वित्तीय प्राक्कलन
तथा
निष्पादन बजट

वर्ष 2019–2020

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पंचदीप भवन, सी.आइ.जी. मार्ग,
नई दिल्ली–110002

विषय सूची

विवरण		पृष्ठ संख्या
अधिशासी सारांश		3–13
बजट एक नज़र में		14
वर्ष 2018–2019 के लिए परिशोधित प्राक्कलन तथा 2019–2020 के बजट प्राक्कलन पर व्याख्यात्मक ज्ञापन		15–34
विवरण क :	राजस्व प्राक्कलन	35–39
विवरण ख :	व्यय प्राक्कलन	40–47
परिशिष्ट :–		
1)	दिनांक 31.03.2019 तथा 31.03.2020 तक योजना के अंतर्गत व्याप्त किए जाने वाले कर्मचारियों की प्रत्याशित संख्या का सूचक विवरण	48–49
2)	प्रति व्यक्ति आय और व्यय का सूचक विवरण	50
3)	वर्ष 2018–2019 के परिशोधित प्राक्कलन तथा वर्ष 2019–2020 के बजट प्राक्कलन में पूंजीगत निर्माण तथा उनकी बजट आवश्यकताओं का विवरण	51–58
निष्पादन बजट 2019–2020		59–76
संलग्नक :–		
1)	व्याप्ति की राज्यवार स्थिति का सूचक विवरण (दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार क.रा.बी. योजना के अधीन कर्मचारियों, बीमाकृत व्यक्तियों/बीमाकृत महिलाओं तथा परिवार एककों की संख्या)	77–81
2)	क.रा.बी. योजना के अंशदान से प्रति व्यक्ति आय और विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत व्यय का सूचक विवरण	82

अधिशासी सारांश

प्रस्तुत दस्तावेज में क.रा.बी. निगम का वित्तीय वर्ष 2018–2019 का परिशोधित बजट प्राक्कलन तथा वर्ष 2019–2020 के लिए बजट प्राक्कलन है।

क.रा.बी. निगम बीमाकृत व्यक्तियों को बीमारी तथा मजदूरी की हानि के फलस्वरूप रोजगार चोट के कारण निःशक्तता और मृत्यु, मातृत्व की विषम आकस्मिकताओं तथा बीमाकृत व्यक्तियों और उनके परिवारों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इन उद्धेश्यों की प्राप्ति हेतु, क.रा.बी. निगम निम्नलिखित मुख्य पहलों की सीमा पर है, जैसे आशोधित बीमा चिकित्सा व्यवसायी योजना, देश के प्रत्येक जिले में औषधालय–सह–शाखा कार्यालय तथा 30 नए अस्पतालों का निर्माण, जिससे काफी हद तक बीमाकृतों की जनसंख्या के लिए प्राथमिक और द्वितीयक स्तरीय चिकित्सा देखरेख की उपलब्धता में बढ़ोतरी संभावित है।

1.1 क.रा.बी. योजना का प्रसार :

1.1.1 द्वितीय चरण सुधार क.रा.बी. निगम 2.0 के अनुक्रम में, क.रा.बी.निगम ने क.रा.बी. योजना की पूरे देश में व्याप्ति के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों के साथ एक कार्य योजना बनाई है :–

क्र.सं.	विषय	लक्ष्य वर्ष
1 (क)	जिन 81 जिलों में क.रा.बी. योजना आंशिक रूप से कार्यान्वित है, वहाँ उसे पूर्ण रूप से कार्यान्वित करना।	31 मार्च, 2019
1 (ख)	जिन 97 जिला मुख्यालय क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया है, वहाँ इस योजना को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करना।	
2	जिन 179 जिलों में योजना कार्यान्वित नहीं है, उन जिलों के मुख्यालयों में योजना कार्यान्वित करना।	31 मार्च, 2020
3	179 जिला मुख्यालयों के अधिसूचित होने के अनुवर्ती वर्ष में संपूर्ण जिलों में योजना कार्यान्वित करना।	31 मार्च, 2021

क.रा.बी. योजना के देश के विस्तृत भौगोलिक विस्तार होने तथा क.रा.बी. योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा के हितलाभ सभी पात्र कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को उपलब्ध कराने के साथ–साथ, बीमाकृत व्यक्तियों की वृद्धि तथा लाभार्थी केंद्रित सेवाओं सहित आंतरिक लक्ष्य भी तैयार किए जा रहे हैं।
वर्तमान में, यह योजना 529 जिलों में विद्यमान है जिसमें 351 पूर्णतया कार्यान्वित जिले, 97 जिला मुख्यालय शामिल हैं, जबकि 81 जिलों में यह आंशिक रूप से कार्यान्वित है।

1.1.2 **राज्यों द्वारा राज्य स्वायत्त निकाय/सोसायटी का गठन :–**

क.रा.बी.निगम ने अपनी 167वीं बैठक में राज्य स्तर पर पूरक निगम की व्यापक संरचना अनुमोदित की तथा तत्पश्चात निगम की 172वीं बैठक में क.रा.बी. अधिनियम 1948 की धारा 58 के अंतर्गत राज्य स्वायत्त निकाय/सोसायटी की नई संरचना अनुमोदित की गई। राज्य इस निकाय को एक सोसायटी के साथ–साथ एक न्यास के रूप में भी पंजीकृत करेंगे तथा क.रा.बी.निगम उन्हें सीधे निधि जारी करेगा। स्वायत्त निकाय के गठन के लिए 14 राज्य[1] सहमत हो गए हैं तथा वे निगम द्वारा समय–समय पर निर्धारित की गई उच्चतम सीमा तक व्यय के 100% वहन का लाभ पाने के हकदार हैं। कुछ राज्यों ने स्वायत्त निकाय की संरचना में परिवर्तन और समय के विस्तार हेतु अनुरोध किया है, ताकि उच्चतम सीमा तक 100% हेतु पात्र बन सकें। इस मामले पर निगम की 174वीं बैठक में चर्चा की गई थी, और इसे एक उप–समिति को निर्देशित किया गया था। मामला उप समिति के पास है।

राज्य स्वायत्त निकायों/सोसाइटी के गठन से क.रा.बी. योजना के बीमाकृत व्यक्तियों और लाभार्थियों को बेहतर प्राथमिक और द्वितीयक देख–रेख के द्वारा चिकित्सा हितलाभ आपूर्त करने वाली सेवा में बहुत सुधार होगा।

1.2 अंशदान का युक्तियुक्तकरण

क.रा.बी.निगम द्वारा दिनांक 18.09.2018 को आयोजित अपनी 175वीं बैठक में किए गए निर्णय के अनुसार, माननीय अध्यक्ष, क.रा.बी.निगम ने अंशदान की आय के युक्तियुक्तकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें अंशदान की कुल दर किसी कर्मचारी को देय मजदूरी के 5 प्रतिशत के बराबर है, जो मौजूदा 4.75 प्रतिशत नियोक्ता के अंश और 1.75 प्रतिशत कर्मचारी के अंश के स्थान पर क्रमशः 4 प्रतिशत और 1 प्रतिशत है। निर्णय के अनुसरण में, कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय), नियमाावली, 1950 के नियम 51 को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी करके संशोधित किया जाना है। इसके अनुसार मसौदा अधिसूचना मंत्रालय को भेज दी गई है। यह अपेक्षित है कि कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियमावली का संशोधित नियम 51, दिनांक 01.04.2019 से प्रभावी होगा।

1.3 चिकित्सा सेवाएँ :

वर्ष 2018–2019 के परिशोधित प्राक्कलनों में चिकित्सा हितलाभों (1.3.1 से 1.3.4) के लिए कुल ₹ 8,799 करोड़ का प्रावधान है जो वर्ष 2018–2019 के लिए प्रदर्शित अंशदान आय का 41% है। बजट प्राक्कलन में 2019–2020 में ₹ 10568.29 करोड़ का प्रावधान किया गया है जो कि वर्ष 2019–2020 की अनुमानित अंशदान आय का 57.64% है।

1.3.1 **नए कार्यान्वित क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्था :**

क.रा.बी.निगम 2.0 के अंतर्गत नामांकित नए बीमाकृत व्यक्तियों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए, जहां स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए क.रा.बी.निगम के पास कोई अवसंरचना नहीं है, वहां आशोधित नियोक्ता उपयोगिता औषधालय(ईयूडी)[2] तथा बीमा चिकित्सा व्यवसायी(आइएमपी)[3] योजना आरंभ करना प्रस्तावित है। इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी उपयोगिता औषधालय तथा बीमा चिकित्सा व्यवसायियों के माध्यम से प्राथमिक देखरेख सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जिसके लिए वर्ष 2019–2020 के संबंध में ₹ 10.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। द्विवितीयक, अर्थात अस्पताल स्तर पर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को सम्मानित निजी स्वास्थ्य देखरेख प्रदाताओं के साथ टाई–अप व्यवस्थाओं में प्रवेश करने के लिए पहले से ही प्राधिकृत कर दिया गया है और यथासमय, प्रत्येक जिले में औषधालय–सह–शाखा कार्यालय से यह अपेक्षित होगा कि वे जिले स्तर पर रेफरल और प्रतिपूर्ति के लिए सभी टाई–अप की देखरेख करें। इसी प्रकार द्वितीयक

---

[1]तमिलनाडु, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू–कश्मीर, ओड़िशा, छत्तीसगढ़, पुदुचेरी, चंडीगढ़, मिजोरम, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश एवं मेघालय राज्य

[2]नियोक्ता उपयोगिता औषधालय

[3]**बीमा चिकित्सा व्यवसायी**

देखरेख सेवाएं प्रदान करने के लिए चिकित्सा स्वास्थ्य बीमा योजना[4] को लाना प्रस्तावित था। चूंकि स्वास्थ्य बीमा योजना पर उप–समिति की रिपोर्ट अभी भी प्रतीक्षित है, अतः बजट प्राक्कलन 2019–2020 में ₹1.00 करोड़ की राशि प्रदान की गई है।

इसके अतिरिक्त, क.रा.बी. योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली परियोजना कार्यान्वयन योजना(पीआइपी) के तहत परिशोधित बजट वर्ष 2018–2019 में ₹100.00 करोड़ की अतिरिक्त निधि आबंटन का प्रावधान है।

1.3.2 **<u>अति विशिष्टता उपचार (एसएसटी) :</u>**

क.रा.बी.निगम देश भर में करीब 1,632 टाइ–अप अस्पतालों के माध्यम से अति विशिष्टता उपचार सेवाएं प्रदान कर रहा है, जिसमें मई 2017 से यूटीआई आईटीएसएल की सेवाएं बिल प्रक्रमण एजेन्सी (बीपीए) के रूप में ले लिया गया हैं। अक्टूबर 2018 से रेफरल यूटीआई माड्यूल के माध्यम से जनरेट किए जा रहे हैं। इस प्रणाली के माध्यम से किए गए भुगतानों का ऑनलाइन अनुवीक्षण किया जा रहा है ताकि पारदर्शिता आए और टाई–अप अस्पतालों को समय पर भुगतान हो। इस प्रणाली के माध्यम से रेफरल तथा भुगतानों की ऑनलाइन निगरानी रखी जाएगी, जिससे पारदर्शिता तथा टाइ–अप अस्पतालों को समय पर भुगतान हो। अति विशिष्टता उपचार बिलों की देयताएं चुकाने के लिए परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020 में ₹1,176.73 करोड़ की राशि आबंटित की गई है तथा छह माह की अंशदान अवधि में केवल 78 दिनों की अंशदान आवश्यकता सहित 2 वर्षों से 6 माह का अतिविशिष्टता उपचार प्राप्त करने के लिए पात्रता शर्तों में रियायत को ध्यान में रखते हुए बजट प्राक्कलन 2019–2020 में ₹1,483.50 करोड़ की राशि आबंटित की गई है।

1.3.3 **<u>चिकित्सा तथा अन्य उपस्करों का प्रापण :</u>**

क.रा.बी.निगम ने उपस्करों की खरीद हेतु व्यवस्थित सुधार किए हैं, जैसे–विभिन्न अस्पतालों के लिए उपस्करों के प्रतिमानकों की समीक्षा तथा समरूप विनिर्देशों सहित केंद्रीकृत खरीद, जीईएम के माध्यम से प्रापण आदि। इन उपस्करों के प्रापण के लिए परिशोधित प्राक्कलन 2018–2019 तथा बजट प्राक्कलन 2019–2020 में क्रमशः ₹158.84 करोड़ तथा ₹191.11 करोड़ की निधि आबंटित की गई है

1.3.4 **<u>आयुष</u>**

क.रा.बी.निगम देशभर के सभी क.रा.बी.निगम/क.रा.बी.योजना अस्पतालों और औषधालयों में आयुष सेवाओं का भी विस्तार कर रहा है। ₹30.00 करोड़ रुपये की लागत वाला नैदानिक सुविधाओं सहित विशेष रूप से आयुष अस्पताल का निर्माण नरेला, दिल्ली में किया जा रहा है, वर्ष 2019–2020 के दौरान जिसके प्रचालन की संभावना है।

---

[4]क.रा.बी.निगम की दिनांक 16.02.18 को आयोजित अपनी 173वीं बैठक के निर्णयानुसार स्वास्थ्य बीमा योजना को क.रा.बी.निगम की उप समिति के पास भेज दिया गया है। उप समिति की सिफारिश तथा क.रा.बी.निगम द्वारा योजना के अनुमोदन पश्चात इस शीर्ष में व्यय किया जाएगा। बजट दस्तावेज इस प्रकटन के संदर्भ में पढ़े जाएं।

1.3.5 **चिकित्सा शिक्षा**

वर्त्तमान में, क.रा.बी.निगम 06 चिकित्सा महाविद्यालय (प्रत्येक में 100 सीट), इसके अतिरिक्त, 3 चिकित्सा महाविद्यालयों का निर्माण किया गया और राज्यों को सौंप दिए गए (कोयम्बटूर, मण्डी और पेरिपल्ली), 05 स्नातकोत्तर संस्थान, दो दंत्य महाविद्यालय (प्रत्येक में 50 सीट) तथा दो नर्सिंग महाविद्यालय (प्रत्येक में 40 सीट) संचालित कर रहा है। वर्ष 2019–2020 शैक्षणिक वर्ष के लिए चिकित्सा और दंत्य महाविद्यालयों में आबंटित सीटों में से 339 सीटों (317 एमबीबीएस+22 बीडीएस) पर बीमाकृत व्यक्ति के अर्हक प्रतिपाल्य को वरीयता के आधार पर प्रवेश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, पाठ्यक्रम समाप्त करने के पश्चात स्नातक और परास्नातक चिकित्सकों की तैनाती वरीयता आधार पर राज्य द्वारा संचालित क.रा.बी. योजना अस्पतालों में की जाएगी और इसके पश्चात तैनाती क.रा.बी.निगम अस्पतालों में की जाएगी। इन चिकित्सा संस्थाओं के प्रबंधन में परिशोधित प्राक्कलन 2018–2019 तथा बजट प्राक्कलन 2019–2020 में कुल अनुमानित व्यय क्रमशः ₹ 533.20 करोड़ तथा ₹ 669.04 करोड़ (पूरी होने वाली परियोजनाओं के पूंजीगत मूल्य पर मूलह्रास सहित) है।

1.4 नकद एवं अन्य हितलाभ

परिशोधित प्राक्कलन 2018–2019 में नकद हितलाभ (1.4.1 से 1.4.2 तक) के लिए ₹ 1765.20 करोड़ रुपये का कुल प्रावधान है जिसमें आय अंशदान का 8.14 प्रतिशत है। वर्ष 2019–2020 बजट प्राक्कलन के लिए ₹ 1,779.59 करोड़ रुपये का प्रावधान है जिसमें वर्ष 2019–2020 में आय अंशदान का 9.71 प्रतिशत है।

1.4.1 **औषधालय–सह–शाखा कार्यालय**

क.रा.बी.निगम ने अपनी 174वीं बैठक में प्रत्येक जिले में औषधालय–सह–शाखा कार्यालय की स्थापना को अनुमोदन प्रदान किया ताकि प्रत्येक जिले में प्राथमिक देखभाल सेवा के लिए क.रा.बी.निगम की उपस्थिति दर्ज हो सके, बावजूद इसके कि वह जिला अंशतः कार्यान्वित है या पूर्वतः या उस क्षेत्र में राज्य द्वारा संचालित औषधालय मौजूद है। औषधालय–सह–शाखा कार्यालय, औषधालय एवं शाखा कार्यालय दोनों के प्रकार्यों के निष्पादन के साथ नियोक्ता उपयोगिता औषधालय/बीमाकृत चिकित्सा व्यवसायी क्लीनिक से जुड़े लाभार्थियों को औषधियों के वितरण हेतु केन्द्रीयकृत फार्मेसी वितरण केन्द्र के रूप में कार्य करेगा। वर्तमान में, योजना को 527 जिलों में या तो अंशतः या पूर्णतः अधिसूचित किया गया है। नए अधिसूचित जिलों/क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर पर चिकित्सा देखभाल के संबंध में क.रा.बी.निगम को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 313 नए क.रा.बी.निगम शाखा कार्यालय सह औषधालयों के लिए संस्वीकृत प्रदान की गई, जिसमें से माह दिसंबर, 2018 तक 29 औषधालय–सह–शाखा कार्यालयों का प्रचालन आरंभ हो गया है। हालांकि माह मार्च 2019 के अंत तक 50 और औषधायल–सह–शाखा कार्यालयों के खुलने की संभावना है। यह भी अपेक्षित है कि औषधायल–सह–शाखा कार्यालयों के प्रचालन का प्रत्यक्ष संबंध संपूर्ण नकद हितलाभ से है।

1.4.2 अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना

क.रा.बी. निगम ने अपनी 175 वी बैठक में क.रा.बी. निगम योजना के अंतर्गत व्याप्त बीमाकृत व्यक्तियों (आई पी) के लिए 'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' नामक एक महत्वकांक्षी योजना अनुमोदित की जिसके अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति को बेरोजगारी अथवा जब वे नया रोजगार ढूंढ रहे हों, जीवनकाल के दौरान में एक बार नकद हितलाभ के रूप में राहत सीधे उनके बैंक खाते में देय होगी।

इस नई योजना के लिए वर्ष 2018–2019 का अनुपूरक प्राक्कलन वर्ष 2019–2020 के बजट प्राक्कलन के लिए क्रमशः ₹10 करोड़ तथा ₹5 करोड़ की राशि प्रदान की गई है।

1.5 चिकित्सा संस्थाएँ और अन्य परियोजनाएँ (परिशिष्ट–III देखें)

1.5.1 वर्ष 2017–2018 के दौरान, क.रा.बी.निगम ने 06 परियोजनाएँ[5] पूरी कर ली हैं। जिसमें कुल 2,210.48 करोड़ रू. की राशि पूँजीकृत की गई है।

1.5.2 क.रा.बी.निगम ने महाविद्यालय तथा अस्पताल की उपलब्ध आधारिक संरचना के आंशिक उपयोग से चालू वित्तीय वर्ष में 2 अस्पताल भी आरंभ किए हैं। पहला अलवर, राजस्थान में तथा दूसरा बिहटा, पटना, बिहार में।

1.5.3 कठोर निगरानी के साथ–साथ व्यवस्थित समीक्षा तथा मामला विशेष अभिगम के विकास के साथ और संबंधित परियोजना निगरानी एजेंसियों[7] द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी राशि[6] के समान निधि उपलब्ध कराकर, अनुमान है कि वर्ष 2008–09 की सभी अपूर्ण परियोजनाएँ मार्च, 2019 तक पूर्ण[8] इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018–2019 के दौरान अनुमान है कि 7 अस्पताल और 8 औषधालय परियोजनाएँ क्रमशः ₹ 586.00 करोड़ तथा ₹ 19.92 करोड़ की अनुमानित लागत से पूर्ण हो जाएंगी।

1.5.4 कुल 66 नई परियोजनाओं में कार्य जमीनी स्तर पर विविध चरणों में है। शेष परियोजनाओं में जल्द ही स्थल पर कार्य आरंभ संभावित है।

1.5.5 भारत सरकार के निदेशानुसार क.रा.बी. निगम के भवनों की छतों के ऊपर सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट के संस्थापन का कार्य श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मैसर्स राजस्थान इलैक्ट्रॉनिक्स एंड इन्स्ट्रमेन्टस लिमिटेड (आरईआईएल) को सौंपा गया है। 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 153 स्थलों/अवस्थितियों का आरईआरएल द्वारा व्यवहायर्ता अध्ययन पूर्ण कर लिया गया है। आरटीएसपीपी के संस्थापन हेतु छाया रहित छतों के ऊपर कुल उपलब्ध क्षेत्र 1,14,476 वर्ग मी. है तथा 8.61 मे. वॉ. का उपयोग किया जा सकता है। आरईआईएल ने क.रा.बी. निगम भवनों पर सौर ऊर्जा के संस्थापन हेतु भिन्न राज्यों में भिन्न डेवलपर्स चयनित किए हैं।

---

[5]क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय तथा अस्पताल, मंडी; क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय तथा अस्पताल, अलवर; क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय तथा अस्पताल, पेरिपल्ली; 100 बिस्तर अस्पताल, देवनगेरे का नवीकरण; 100 बिस्तर अस्पताल, हुबली का नवीकरण; नए क्षेत्रीय कार्यालय तथा राज्य निदेशालय कार्यालय, साल्ट लेक, कोलकाता का निर्माण।

[6]बैंक गारंटी

[7]परियोजना अनुवीक्षण एजेंसी

[8]वर्ष 2017–2018 में 10 परियोजनाएं तथा 2018–2019 में 9 परियोजनाएं।

1.5.6 चिकित्सा संस्थाओं और अन्य परियोजनाओं के निष्पादन के लिए कुल परिव्यय का अनुमान निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	परियोजनाएँ	परियोजनाओं की संख्या	परिशोधित प्राक्कलन 2018–2019 (₹ करोड़ में)	बजट प्राक्कलन 2019–2020 (₹ करोड़ में)
1.	**चिकित्सा शिक्षा संस्थाएँ**	22	565.04	345.51
2.	**अस्पताल/औषधालय**			
2.1	चालू परियोजनाएँ	45	237.19	114.30
2.2	नई परियोजनाए	64	638.68	1,173.15
3	**क्षे.का./उप क्षे.का. और शाखा कार्यालय**			
3.1	चालू परियोजनाएँ	24	31.70	9.94
3.2	नई परियोजनाए	2	–	-
	कुल	**157**	**1,472.61**	**1,642.90**

1.6 सूचना प्रौद्योगिकी

1.6.1 <u>वर्ष 2018–2019 के दौरान उपलब्धियाँ :</u>

(क) दिनांक 23/11/2018 को डाटा सेंटर का डिजास्टर रिकवरी सेंटर स्थानांतरण गतिविधि पूरी हो गई है तथा डिजास्टर रिकवरी केन्द्र अब पूर्णतः प्रचालन में है।

(ख) एसबीआई गेटवे के अतिरिक्त नियोक्ताओं को बैंक ऑफ बड़ौदा गेटवे के माध्यम से भी उनके भुगतान करने का विकल्प दिया गया है। इस कार्यक्षमता को प्रसारित किया गया है तथा आईडीबीआई बैंक के साथ भी समान समन्वय प्रक्रियाधीन है। इसके परिणामस्वरूप संव्यवहार प्रभार में बचत हुई है।

(ग) निगम के अनुमोदन के अनुसार, क.रा.बी. निगम ने सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों के संबंध में अनुपयोगी तथा निपटान नीति तैयार की है तथा इसके आगे कार्यान्वयन हेतु सभी लेखांकन इकाइयों को परिचालित की गई जिससे सभी क्षेत्र इकाइयां नवीनतम हार्डवेयर से लैस हों।

(घ) भारत सरकार की ई–मेल नीति के अनुसार, क.रा.बी. मेल मैसेजिंग प्रणाली एनआईसी मेल मैसेजिंग में अंतरित हो गई है। इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि 0.47 करोड़ रू. है।

(ड़) 'उमंग': क.रा.बी. निगम चिंता से मुक्ति' एप्पः बीमाकृत व्यक्ति केन्द्रिक सूचना सेवाएं अब 'क.रा.बी. निगम चिंता से मुक्ति मोबाइल एप्प के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है जो कि उमंग (यूनीफाइड मोबाईल एप्लीकेशन फॉर न्यू ऐज गवर्नेंस) प्लेटफार्म द्वारा आरंभ किया गया। इससे वास्तविक सूचना प्रदान करने हेतु क.रा.बी. निगम डाटाबेस तथा मोबाईल एप्प को एकीकृत किया गया है। इस एप्प को गूगल प्ले स्टोर से बहु चैनलों जैसे मोबाइल एप्लीकेशन, वेब इत्यादि पर मुफ्त डाउनलोड किया जा सकता हैं तथा स्मार्ट फोन, टेबलेट्स तथा डेस्कटॉप आदि के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। मोबाईल आधारित सरल प्रमाणीकरण प्रणाली से बीमाकृत व्यक्ति आसानी से अपनी निजी तथा नामांकित परिवार जनसांख्यिकीय विवरण, अंशदान विवरण, बीमा तथा पात्रता विवरण, हितलाभ हकदारी सूचना, दावा प्रस्थिति, औषधालय तथा शाखा कार्यालय जिससे वह संबद्ध है इत्यादि। वे इस मोबाईल एप्प द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं तथा शिकायत निवारण सेवाएं प्राप्त कर सकते है।

(च) क.रा.बी. निगम दो वर्ष की अवधि के लिए प्रचालन तथा अनुसरण सेवाएं जारी रखने हेतु निविदा जारी करने की प्रक्रिया में है। इसके लिए ₹24.00 करोड़ वर्ष 2019–2020 के बजट प्राक्कलन में रखे गए हैं।

1.6.2 <u>2019–2020 में नई पहलें</u> :

2019–2020 के दौरान निम्नलिखित कार्यालय आरंभ करने का प्रस्ताव हैः

(क) परियोजना पंचदीप का पूर्णतया अधिग्रहण करने के लिए प्रोजेक्ट मोड में एनआईएसजी अथवा एनआईसीएसआई/एनआईसी पैनलबद्ध एजेंसियों के माध्यम से आईटी विशेषज्ञों की सेवाएं लेकर एक कोर ग्रुप की स्थापना करना। इसके लिए 2019–2020 के बजट प्राकल्लन में ₹2.20 करोड़ की राशि रखी गई है।

(ख) एसडी–डब्लूएएन तकनीक को लागू कर सभी स्थानों पर चरणवार नेटवर्किंग करने की योजना है। इसके लिए 2019–2020 बजट में ₹40.00 करोड़ की राशि रखी गई है।

(ग) वर्ष 2009–10 में उस समय उपलब्ध तकनीक तथा ''जैसा है जहां है'' को ध्यान में रखते हुए विप्रो द्वारा परियोजना पंचदीप के अंतर्गत क.रा.बी. निगम की सभी कार्यक्षमताओं के लिए एप्लीकेशन विकसित की गई। वर्ष 2009 के बाद की अवधि के दौरान तकनीकी स्तर जैसे मोबाईल एप्प इत्यादि में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। नियमों, विनियमों तथा प्रक्रियाओं में भी परिवर्तन हुए हैं। इन आवश्यकताओं को समझने तथा अंशधारकों की तेजी से परिवर्तनशील आशाओं को पूरा करने के लिए एप्पलीकेशन में पूरा पुनरुत्थान करने की योजना है। आरम्भ में, एक बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग एक्सरसाईज की जाएगी और वित्त वर्ष 2020–2021 के दौरान एप्पलीकेशन के विकास पर बड़ी राशि खर्च की जानी सम्भावित है।

(घ) एपीएआर तथा ई–ऑफिस की योजना तथा कार्यान्वयन इसके लिए 2019–2020 बजट में ₹2.00 करोड़ की राशि रखी गई है।

(ड़) ईएसआई मेल मैसेजिंग के संबंध में जो कि एनआईसी मेल मैसेजिंग सिस्टम में विस्थापित किया जा रहा है, बजट प्राक्कलन 2019–2020 में ₹1.50 करोड़ आवंटित किया गया है।

1.6.3 <u>पुरानी कम्प्यूटर प्रणाली को विस्थापित करना</u>

परियोजना पंचदीप के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी का वर्ष 2011 में आरम्भ किया गया और कम्प्यूटर प्रणाली के तकनीकी और भौतिक अप्रचलन के दृष्टिगत, 132.34 करोड़ रू. की कुल राशि का प्राक्कलन किया गया है, 2018–2019 में संशोधित प्राक्कलन में ₹30 करोड़ तथा 2019–2020 के बजट प्राक्कलन में ₹102.34 करोड़ क.रा.बी. निगम योजना के अंतर्गत 1625 स्थानों पर तथा क.रा.बी. निगम में 986 स्थानों पर चरणवार तरीके से कम्प्यूटर प्रणाली के प्रतिस्थान पर खर्च होगा।

1.7 <u>वित्त एवं लेखा</u>

1.7.1 <u>नई निवेश नीति</u>

क.रा.बी. निगम की नई निवेश नीति के अंतर्गत, राजकीय प्रतिभूतियों/एएए+रेटेड सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों में निवेश हेतु परामर्शदाताओं, पोर्टफोलियों प्रबंधक तथा कस्टोडियन के चयन हेतु बॉन्ड कर लिए गए हैं। नई निवेश नीति के अंतर्गत निवेश कार्यकलाप फरवरी, 2019 तक संचालित किए जाने की संभावना है। प्रतियोगी बोली के लेखा पर उपार्जित लाभ के दृष्टिगत 2018–2019 के संशोधित प्राक्कलन के अंतर्गत पोर्टफोलियों मैनेजर कस्टोडियन तथा कनकरेंट ऑडिटर की नियुक्ति के लिए कुल खर्च ₹0.07 करोड़ तथा इसी प्रकार 2019–2020 के बजट प्राक्कलन में ₹0.31 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

1.7.2 **आंतरिक लेखापरीक्षा की आउटसोर्सिंग**

आंतरिक लेखापरीक्षा की आउटसोर्सिंग मामलों के लिए भारत के महा लेखापरीक्षक के साथ पैनलबद्ध चार्टड आकाउंटेट फर्म के कार्यों की विस्तृत जॉच की जा रही है। तदनुसार, इसके लिए 2019–2020 के बजट प्राक्कलन में ₹5.00 करोड़ (निवेश कार्यकलाप के लिए कनकरेंट ऑडिटर के अतिरिक्त) का प्रावधान किया गया है।

1.7.3 बहुबैंकिंग मॉडूयल

बैंकिग प्रभार में कमी करने के लिए एक रू. प्रति वर्ष के टोकन प्रभार पर ऑनलाईन अंशदान से संग्रहण के लिए क.रा.बी. निगम ने बैंक ऑफ बड़ौदा तथा आईडीबीआई बैंक के साथ एक समझौता किया है। आगे, ऑनलाइन अंशदान संग्रहण के लिए एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक तथा आइसीआइसीआई बैंक के साथ समझौता प्रक्रियाधीन है। बैंकिंग प्रभारों में कटौती की संभावना के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तदनुसार, बैंक खाता बनाये रखने तथा अन्य प्रभारों के लिए संशोधित बजट प्राक्कलन 2018–2019 तथा बजट प्राक्कलन 2019–2020 में न्यूनतम क्रमशः ₹10.00 करोड़ तथा ₹9.00 करोड़ जो कि बजट प्राक्कलन 2018–2019 में ₹12 करोड़ था।

1.8 प्रशासन

वर्ष 2017–2018 के दौरान प्रशासनिक लागत कुल आय की 4.39 प्रतिशत थी। चालू वर्ष (2018–2019) में इसके लगभग 5.31 प्रतिशत होने की उम्मीद है। अनुमान है कि अनुमानित अंशदान आय के युक्तिकरण के कारण प्रशासनिक लागत वित्त वर्ष 2019–2020 में थोड़ी बढ़कर 6.79 प्रतिशत के स्तर पर पहुॅच जाएगी। यह नियम 31 (क) के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय के लिए केंद्र सरकार द्वारा यथानिर्धारित 15 प्रतिशत ऊपरी सीमा के अंतर्गत ही है।

1.8.1 **भर्ती**

वर्ष के दौरान निम्नलिखित रिक्तियां भरी गईं :–

क्र.सं.	पद	रिक्तियों की सं.	भरी गई रिक्तियां
1.	शिक्षण संकाय की भर्ती–08 क.रा.बी.निगम चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं के लिए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा असिस्टेंट प्रोफेसर	206	03 क्षेत्रों के संबंध में प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तथा शेष प्रक्रियाधीन हैं।
2.	अवर श्रेणी लिपिक, प्रवर श्रेणी लिपिक, सहायक, आशुलिपिक, वैयक्तिक सहायक तथा सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के पद हेतु सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा संचालित करना	1481	प्रक्रिया पूरी कर ली गई।
3.	सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती–2018	539	प्रक्रियाधीन
4.	बीमा चिकित्सा अधिकारी ग्रेड–।। की भर्ती–2018	771	
5.	कनिष्ठ अभियंता (सिविल एवं इलेक्ट्रिकल) की भर्ती	79 (52 – सिविल एवं 27 –	
6.	विशेषज्ञ ग्रेड–।। (वरिष्ठ तथा कनिष्ठ स्केल) की भर्ती	329 (कनि. स्केल 257एवं वरि. स्केल 72)	प्रक्रियाधीन
7.	नर्सिंग तथा परा चिकित्सा संवर्ग की भर्ती	2360	

उपर्युक्त सभी संवर्गो में भर्ती प्रक्रियाधीन है। तदनुसार, परिशोधित प्राक्कलन 2018–2019 तथा बजट प्राक्कलन 2019–2020 में रू., 32.00/–करोड़ तथा रू. 50.00/– करोड़ का प्रावधान किया गया है।

<u>1.8.2 अर्थव्यवस्था के उपाय</u>

क्षेत्रीय कार्यालय तथा उप क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्य को युक्तियुक्तकरण संबंधी मामला उप समिति को अभिनिर्देशित किया जा चुका है। क्षेत्रीय कार्यालय तथा उप क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्य का युक्तियुक्त्करण पणधारियों को प्रदान की जा रही सेवाओं पर बिना प्रभाव पड़े प्रशासनिक व्यय के बेहतर नियंत्रण में सहायक होगी।

<u>1.8.3 स्वच्छता कार्य योजना (एस.ए.पी)</u>

श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसरण में, स्वच्छता कार्य योजना संबंधी अनुवीक्षण तथा बुकिंग उद्देश्य हेतु एक अलग बजट बनाया गया है। इस शीर्ष के अंतर्गत परिशोधित प्राक्कलन 2018–2019 तथा बजट प्राक्कलन 2019–2020 में क्रमशः रू. 0.34/– करोड़ तथा रू. 2. 09/– करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

<u>1.8.4 एलईडी लाइटिंग तथा ऊर्जा दक्षता उपस्कर का संस्थापन</u>

स्थायी समिति ने दिनांक 12/7/18 को आयोजित अपनी 211वीं बैठक में पीएमसी मॉडल के अंतर्गत क.रा.बी. निगम स्वामित्व वाले भवनों में एलईडी लाइटिंग तथा ऊर्जा दक्षता उपस्कर के संस्थापन को अनुमोदन प्रदान किया। तदनुसार उक्त के लिए बजट प्राक्कलन 2019–2020 में रू. 5.00/– करोड़ का प्रावधान किया गया है।

<u>1.9 लिंग एवं बाल बजट</u>

भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के लिए लिंग बजट वार्षिक कार्ययोजना 2018–2019 के अनुसार, क.रा.बी.निगम के लिए नए दिशानिर्देशों को संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं की मदद से श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किए गए लिंग निर्धारण के आधार पर अनुमोदित किया गया है। इसके अलावा, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, क.रा.बी.निगम एक लिंग और बाल बजट प्रकोष्ठ की स्थापना पर विचार कर रहा है। है। इसके अलावा, क.रा.बी.निगम ने क.रा.बी.निगम के लिए लिंग बजट वार्षिक योजना 2018–2019 के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए भी योजना बनाई है, जिसमें लिंग लेंस के माध्यम से क.रा.बीमा की सभी योजनाओं का तीसरा पक्ष मूल्यांकन, लिंग संवेदीकरण के लिए प्रशिक्षण/कार्यशाला/संगोष्ठी का आयोजन, सेक्स–विच्छेदित डेटा के लिए क.रा.बीमा की सभी योजनाएं शामिल है। क.रा.बी.योजना के तहत सभी बजट शीर्षों में महिलाओं के लिए अनुमानित बजट प्रावधान ₹2,155.60 करोड़ तथा ₹2586.82 करोड़ क्रमशः परिशोधित प्राक्कलन 2018–2019 तथा बजट प्राक्कलन 2019–2020 के लिए किया गया है। लिंग एवं बाल बजट का शीर्षवार विस्तृत बजट आबंटन व्याख्यात्मक ज्ञापन के पैरा सं. 8.5 तथा 15.1 में क्रमशः वर्ष 2018–2019 के परिशोधित प्राक्कलन तथा वर्ष 2019–2020 के बजट प्राक्कलन में दिया गया है

1.10 नई योजनाओं/नए कार्यकलापों पर निधि परिव्यय का सारांश :

क्र.सं.	वर्ष 2019–2020 के बजट में प्रमुख नई योजनाएं/नए क्रियाकलाप	निधि आबंटन (₹ करोड़ में)
1.	आशोधित कर्मचारी उपयोगिता औषधालय (ईयूडी) तथा बीमा चिकित्सा व्यवसायी (आइएमपी) योजना#	10.00
2.	अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना	5.00
3.	चार नई पूंजीगत परियोजनाएं (अस्पताल)	449.00
4.	क.रा.बी.निगम अस्पतालों/औषधालयों में नए चिकित्सा तथा अन्य उपस्करों का प्रापण	191.00
5.	सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना तथा ईआरपी संगठन एवं पद्धति पर व्यय	121.72
6.	पुराने कंप्यूटर सिस्टमों का प्रतिस्थापन	102.34
7.	चिकित्सा, परा चिकित्सा अभियंता तथा अनुसचिवीय संवर्ग के विभिन्न पदों की भर्ती	50.00
8.	एलईडी परियोजना पर व्यय	5.00
9.	आंतरिक लेखा – परीक्षा का बाह्य स्त्रोतन	5.00
10.	स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) के अंतर्गत व्यय	2.09
11.	चिकित्सा स्वास्थ्य बीमा योजना	1.00
12.	परामर्शदाताओं की नियुक्ति	0.70
13.	पोर्टफोलियो प्रबंधकों तथा अभिरक्षकों की नियुक्ति	0.31
	कुल	**943.16**

*दिनांक 16.02.2018 को आयोजित क.रा.बी.निगम की 173वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार क्रम सं. 2 पर स्थित चिकित्सा स्वास्थ्य बीमा योजना को क.रा.बी.निगम की उप समिति को संदर्भित किया गया है। इस शीर्ष के अंतर्गत व्यय उप समिति की अनुशंसाओं के आधार पर तथा तत्पश्चात क.रा.बी.निगम द्वारा योजना के अनुमोदन के बाद किए जाएंगे। बजट दस्तावेज को इस प्रकटन के साथ पढ़ा जाए।

#आईएमपी अर्थात् बीमा चिकित्सा व्यवसाय तथा ईयूडी अर्थात नियोक्ता उपयोगन औषधालय।

1.11 वर्ष 2019-2020 के दौरान निधि अंतर्वाह तथा बहिर्वाह का सारांश

चित्र संख्या 1: जहाँ धन व्यय हो रहा है-व्यय (बजट प्राक्कलन 2019-2020)

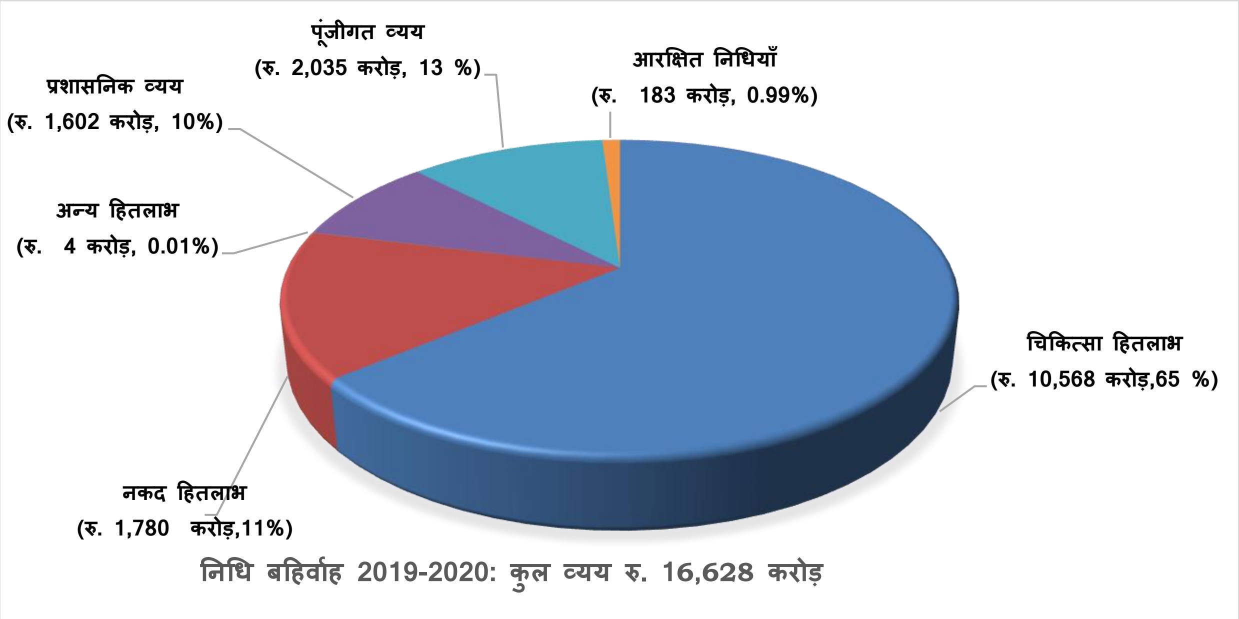

चित्र संख्या 2: जहाँ से धन आ रहा है-राजस्व (बजट प्राक्कलन 2019-2020)

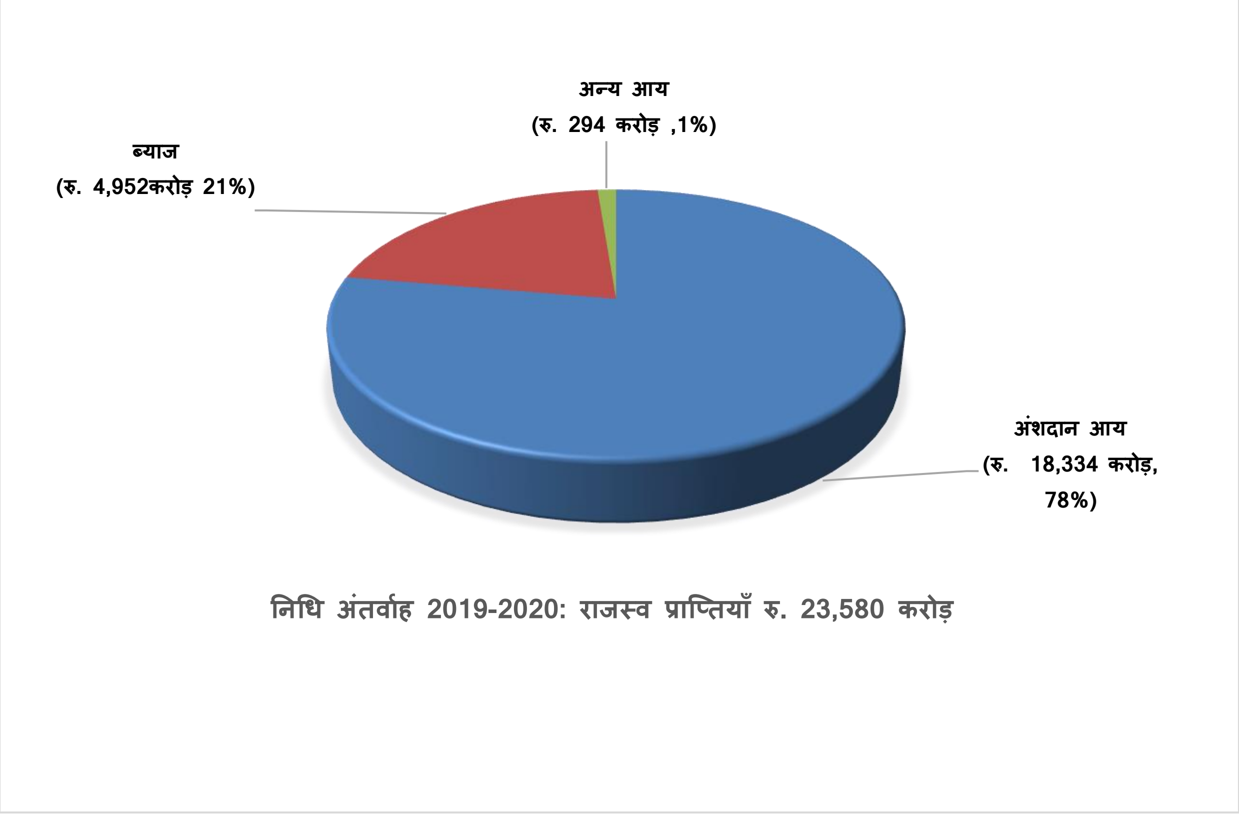

	क.रा.बी. निगम का बजट एक नजर में				
	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2017–2018	बजट प्राक्कलन 2018–2019	परिशोधित प्राक्कलन 2018–2019	बजट प्राक्कलन 2019–2020
क.	**राजस्व प्राप्तियाँ :**			**(लाख ₹ में)**	
i)	अंशदान	20,07,718.35	20,90,000.00	21,66,734.00	18,33,390.00
ii)	ब्याज़	3,19,688.17	3,92,635.00	4,23,004.00	4,95,203.00
iii)	किराया, पौरकर तथा कर	5,751.75	8,941.00	11,265.00	11,265.00
iv)	दिल्ली राज्य सरकार का अंश चिकित्सा हितलाभ के निमित्त जो प्रथमतः निगम द्वारा व्यय किया गया।	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
v)	शुल्क, जुर्माना एवं जब्तियां	3,647.53	3,600.00	4,700.00	4,800.00
vi)	चिकित्सा शिक्षा प्राप्तियां	1,530.88	1,500.00	2,200.00	2,300.00
vii)	विविध	9,699.63	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	कुल राजस्व प्राप्तियां :	**23,48,036.31**	**25,07,676.00**	**26,09,903.00**	**23,57,958.00**
ख.	**राजस्व व्यय**				
क)	**हितलाभ**				
i)	चिकित्सा हितलाभ :	6,86,774.00	12,64,296.00	8,79,907.19	10,56,829.24
ii)	नकद हितलाभ :	64,284.78	1,33,916.00	1,76,520.00	1,77,959.00
iii)	अन्य हितलाभ :	252.44	358.00	363.00	383.00
	कुल हितलाभ :	**7,51,311.22**	**13,98,570.00**	**10,56,790.19**	12,35,171.24
ख)	**प्रशासनिक व्यय**	**1,03,100.60**	**1,74,003.00**	**1,38,469.70**	**1,60,154.47**
ग)	**पूंजीगत निर्माण हेतु प्रावधान**	20,077.18	20,900.00	21,667.34	18,333.90
	कुल राजस्व व्यय (क + ख + ग)	**8,74,489.00**	**15,93,473.00**	**12,16,926.89**	14,13,659.71
ग.	**पूंजीगत व्यय**				**(₹ लाख में)**
i)	निगम के कार्यालय (स्टाफ क्वार्टर सहित)	1,911.96	1,239.00	3,170.00	994.00
ii)	अस्पताल एवं औषधालय	35,658.16	1,97,179.00	87,587.00	1,28,745.00
iii)	चिकित्सा शिक्षा परियोजना	32,129.48	1,00,554.00	56,504.00	34,551.00
iv)	अन्य परिसंपत्तियां	6,315.39	12,371.00	21,074.00	39,246.00
	कुल पूंजीगत व्यय	**76,014.99**	**3,11,343.00**	**1,68,335.00**	**2,03,536.00**
	राजस्व व्यय से राजस्व आय का आधिक्य	**15,15,191.39**	**9,14,203.00**	**13,92,976.11**	9,44,298.29

वर्ष 2018–2019 के परिशोधित प्राक्कलन तथा वर्ष 2019–2020 के बजट प्राक्कलन पर व्याख्यात्मक ज्ञापन

बजट एवं लेखा उप समिति और स्थायी समिति ने क्रमशः 30.01.2018 तथा 31.01.2018 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वित्त वर्ष 2018–2019 की आय तथा व्यय के बजट प्राक्कलनों का अनुमोदन किया। निगम की दिनांक 16.02.2018 को सम्पन्न 173वीं बैठक में इन प्राक्कलनों को अंगीकार किया गया। केन्द्र सरकार ने अपने पत्र संख्याः जी 20017/01/2018–सा.सु.–1, दिनांक 13.03.2018 द्वारा बजट का अनुमोदन किया।

वर्ष 2018–2019 के परिशोधित प्राक्कलन और वित्त वर्ष 2019–2020 के बजट प्राक्कलन अब तैयार कर लिए गए हैं। 'बजट एक नजर में' में इन प्राक्कलनों को राजस्व और व्यय के व्यापक मुख्य शीर्षो के अंतर्गत दर्शाया गया है। प्राक्कलन अनुसार चिकित्सा, नकद हितलाभ और प्रशासनिक व्यय आदि को पूरा करने के लिए अंशदान से होने वाली आय पर्याप्त है।

2. वर्ष 2018–2019 के परिशोधित प्राक्कलन और 2019–2020 के बजट प्राक्कलन निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं :–

2.1 प्राप्तियाँ

i. कर्मचारी राज्य बीमा(केन्द्रीय) नियमावली, 1950 के नियम 51 में उल्लिखित दरों के अनुसार अंशदान का नियोक्ता और कर्मचारी अंश नियोक्ता द्वारा देय होता है। वर्ष 2018–2019 के लिए, नियोक्ता अंशदान की दर कर्मचारी को देय मजदूरी का 4.75% तथा कर्मचारी अंशदान उसे देय मजदूरी का 1.75% (नए क्षेत्रों में जहां योजना पहली बार दिनांक 06.10.2016 से कार्यान्वित की गई, नियोक्ता एवं कर्मचारी अंशदान मजदूरी का क्रमशः 3% एवं 1%) है। दिनांक 01.08.2007 से प्रतिदिन ₹100/– तक मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों को उक्त नियमावली के नियम 52 के अधीन कर्मचारी–अंशदान की अदायगी से छूट है। दिनांक

14.06.2016 से यह राशि पुनः ₹137/– प्रतिदिन की जा चुकी है।

हालांकि, क.रा.बी. निगम की दिनांक 18.09.2018 को आयोजित 175वीं बैठक में किए गए निर्णयानुसार तथा कर्मचारी को देय मजदूरी के कुल 5 प्रतिशत के बराबर अंशदान की संयुक्त दर को कम करने, जिसमें वर्तमान 4.75 प्रतिशत नियोक्ता शेयर तथा 1.75 प्रतिशत कर्मचारी शेयर के स्थान पर क्रमशः 4 प्रतिशत तथा 1 प्रतिशत हो, द्वारा अंशदान आय को युक्तिसंगत बनाने हेतु अध्यक्ष, क.रा.बी. निगम के अनुमोदन के अनुसरण में, क.रा.बी.(केंद्रीय) नियमावली, 1950 के नियम 51 में संशोधन हेतु मसौदा अधिसूचना श्रम और रोजगार मंत्रालय को अग्रेषित किया जा चुका है तथा तदनुसार वर्ष 2019–2020 के लिए अंशदान आय कर्मचारी को देय मजदूरी के कुल 5 प्रतिशत अंशदान तक कम करके युक्तिसंगत बनाई गई है। अतः बजट प्राक्कलन 2019–2020 के लिए अंशदान आय अंशदान की कम की गई दर पर ₹18,333.90 करोड़ प्रदर्शित की गई है।

ii. दिनांक 01.01.2017 से मजदूरी उच्चतम सीमा में ₹15,000/— से ₹21,000/— की वृद्धि।

iii. नए क्षेत्रों में क.रा.बी.योजना के कार्यान्वयन तथा विस्तार के कारण अतिरिक्त व्याप्ति।

iv. वर्ष 2018—2019 के प्रथम सात महीनों के दौरान देखी गयी प्रवृति।

v. वर्ष 2018—2019 के दौरान बकायों की वसूली के लिए ₹563.26 करोड़ का लक्ष्य तथा 4/2018 से 11/2018 के दौरान की गई ₹248.45 करोड़ की वास्तविक प्राप्तियां।

vi. कर्मचारी राज्य बीमा सामान्य आरक्षित, आकस्मिक आरक्षित निधि तथा पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि के निवेश पर ब्याज़ से आय।

vii. पूर्व आवधिक मदें 2017—2018 के वास्तविक आंकड़ों में सम्मिलित नहीं की गई है।

2.2 व्यय

2.2 (1) चिकित्सा हितलाभ

'क—चिकित्सा हितलाभ' शीर्ष के अधीन व्यय, दिल्ली और नोएडा (उ.प्र.) में औषधालयों को छोड़कर जहां योजना सीधे निगम द्वारा प्रशासित की जाती हैं, निगम और संबंधित राज्य सरकारों के बीच 7:1 के निर्धारित अनुपात में बांटा जाता है। अधिकतम बांटी जाने योग्य राशि निगम द्वारा समय—समय पर निर्धारित अधिकतम सीमा की शर्त के अधीन है। इस शीर्ष के अधीन किया गया प्रावधान केवल निगम के व्यय के अंश को पूरा करने हेतु है।

दिल्ली में, जहां योजना सीधे कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा चलाई जाती है, चिकित्सा देखरेख पर पूर्ण व्यय, आरंभ में, निगम द्वारा वहन किया जाता है तथा तत्पश्चात् यह दिल्ली सरकार के साथ बांटा जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अपने अंश से अधिक व्यय की गई राशि दिल्ली सरकार से यथासमय वसूली—योग्य है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, चिकित्सा देखरेख पर किए गए व्यय का 1/8 अंश तथा सीमा से अधिक किया गया व्यय वर्ष 1989—1990 तक बांट रही थी तथा भुगतान कर रही थी। दिल्ली सरकार ने 1990—91 से अपने अंश की अदायगी इस तर्क पर नहीं की कि वे किसी अनुबंध के अभाव में सीमा से अधिक किए गए व्यय का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। तथापि, दिनांक 31.3.2018 की स्थिति के अनुसार निगम द्वारा ₹1,974.16 करोड़ की राशि का दावा दिल्ली सरकार को भेजा गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त न होने के मद्देनज़र परिशोधित प्राक्कलन 2018—2019 में कोई प्रावधान नहीं किया गया तथा बजट प्राक्कलन 2019—2020 में ₹90.00 करोड़ के प्रावधान को दर्शाया जा रहा है।

व्यावसायिक रोग केन्द्र

निगम ने कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, के.के.नगर, चेन्नै (तमिलनाडु), कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल ठाकुरपुकुर (पश्चिम बंगाल), कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, अंधेरी (मुंबई), क.रा.बी. अस्पताल, इन्दौर(मध्य प्रदेश) और कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, बसईदारापुर (दिल्ली) में व्यावसायिक रोग केन्द्र स्थापित किए हैं। इन अस्पतालों के संचालन पर किया जा रहा सम्पूर्ण व्यय क.रा.बी.निगम द्वारा वहन किया जा रहा है जो परिशोधित प्राक्कलन 2018—2019 तथा बजट प्राक्कलन 2019—2020 में क्रमशः ₹896.03 करोड़ तथा ₹1,052.32 करोड़ है

चिकित्सा शिक्षा परियोजनाएं

राज्य सरकारों द्वारा अपने अधिकार में लेने तक या अति विशिष्टता उपचार हेतु संस्थाओं को उत्कृष्टता केन्द्र बनाने के लिए इस प्रकार की संस्थाओं में चालू खर्च पूरा करने हेतु बजटीय प्रावधान किए जा रहे हैं। तदनुसार वर्ष 2018–2019 और 2019–2020 के लिए क्रमशः ₹533.20 करोड़ और ₹669.04 करोड़ बजटीय प्रावधान किए गए हैं।

अस्पतालों और औषधालयों में सूचना प्रौद्योगिकी सूत्रपात प्रचालन हेतु व्यय

सूचना प्रौद्योगिकी सूत्रपात के कारण अस्पतालों और औषधालयों के कम्प्यूटरीकरण पर व्यय संचालन हेतु परिशोधित प्राक्कलन 2018–2019 में ₹103.94 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है तथा वर्ष 2019–2020 के लिए बजट प्राक्कलन में ₹58.57 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है।

आदर्श अस्पताल और क.रा.बी. निगम अस्पताल

निगम ने दिनांक 14.12.2001 को सम्पन्न अपनी बैठक में चिकित्सा देखरेख की गुणवत्ता में सुधार लाने और राज्य सरकारों द्वारा संचालित अस्पतालों के लिए एक आदर्श उदाहरण के रूप में कार्य करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक आदर्श अस्पताल स्थापित करने का निर्णय लिया। इस निर्णय के अनुसार क.रा.बी. निगम आदर्श अस्पताल के रूप में चलाने के लिए राज्य के कम–से–कम एक अस्पताल को अपने नियंत्रण में लिया गया या राज्य में एक नया अस्पताल स्थापित किया गया। आदर्श अस्पतालों के अलावा निगम ने कुछ राज्य अस्पतालों को अपने नियंत्रण में लिया है/राज्य में नए अस्पतालों की स्थापना की है और सीधे क.रा.बी. निगम द्वारा संचालित किए जाते हैं।

क.रा.बी. निगम अस्पतालों (आदर्श अस्पतालों सहित) तथा औषधालयों के व्यय का वहन करने हेतु परिशोधित प्राक्कलन 2018–2019 में ₹4,257.50 करोड़ तथा बजट प्राक्कलन 2019–2020 में ₹4,654.05 करोड़ (उपस्करों की लागत सहित) का प्रावधान किया गया है। दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार दिल्ली तथा नोएडा स्थित औषधालयों तथा निदेशालय (चिकित्सा), दिल्ली के अतिरिक्त 5 व्यावसायिक रोग केन्द्र तथा 44 आदर्श एवं 6 चिकित्सा महाविद्यालय और 5 स्नातकोत्तर संस्थाएं क.रा.बी.निगम द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संचालित किए जा रहे हैं और व्यय प्राक्कलन (स्नातकोत्तर संस्थान जहां लागू है, सहित) निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	क.रा.बी. निगम व्यावसायिक रोग केंद्र/अस्पताल/नए अस्पताल/चिकित्सा महाविद्यालय	परिशोधित प्राक्कलन 2018–2019 (₹ लाख में)			बजट प्राक्कलन 2019–2020 (₹ लाख में)		
		उपस्कर के अतिरिक्त	उपस्कर	कुल	उपस्कर के अतिरिक्त	उपस्कर	कुल
1.	जोका	17,462.97	1,200.00	18,662.97	19,510.39	1,720.00	21,230.39
2.	के.के. नगर	14,570.80	1,500.00	16,070.80	15,646.73	1,550.00	17,196.73
3.	अंधेरी	12,002.18	80.00	12,082.18	12,778.96	95.00	12,873.96
4.	नंदा नगर, इंदौर	8,574.65	110.00	8,684.65	1,023.40	170.00	10,193.40
5.	बसईदारापुर	32,802.91	1,300.00	34,102.91	42,388.33	1,350.00	43,738.33
6.	बेलतला	7,426.01	200.00	7,626.01	8,194.08	120.00	8,314.08
7.	आश्रमम	8,173.01	140.00	8,313.01	8,620.72	150.00	8,770.72
8.	राउरकेला	3,027.43	80.00	3,107.43	3,473.57	90.00	3,563.57
9.	लुधियाना	12,437.73	150.00	12,587.73	13,786.87	120.00	13,906.87
10.	राजाजी नगर	28,284.17	728.00	29,012.17	30,369.48	1,250.00	31619.48
11.	बापू नगर	7,425.55	320.00	7,745.55	8,061.20	830.00	8,891.20
12.	सनत नगर अस्पताल	10,346.64	730.00	11,076.64	11,453.62	1,260.00	12,713.62

13.	जयपुर	8,352.27	150.00	8,502.27	9,058.41	160.00	9,218.41
14.	जम्मू	2,715.10	18.00	2,733.10	2,946.44	20.00	2,966.44
15.	नामकुम	4,364.92	100.00	4,464.92	4,939.35	110.00	5,049.35
16.	फुलवारीशरीफ	3,157.03	60.00	3,217.03	3,484.69	75.00	3,559.69
17.	चंडीगढ़	4,726.96	280.00	5,006.96	5,092.07	180.00	5,272.07
18.	नोएडा	22,159.00	1,800.00	2,3959.00	24,328.98	1,800.00	26,128.98
19.	उद्योगमंडल	6,682.67	250.00	6,932.67	7,205.86	220.00	7,425.86
20.	नरोड़ा	1,284.40	30.00	1,314.40	1,361.57	34.00	1,395.57
21.	आदित्यपुर	4,057.66	75.00	4,132.66	4,400.82	85.00	4,485.82
22.	एषुकोण	4,157.99	40.00	4,197.99	4,488.01	50.00	4,538.01
23.	सनत नगर (अ. वि. उ. अस्पताल)	8,015.54	250.00	8,265.54	9,335.81	200.00	9,535.81
24.	गुरुग्राम	10,87.53	150.00	10,237.53	1,0895.71	180.00	1,1075.71
25.	भिवाड़ी	2,483.14	10.00	2,493.14	2,800.18	15.00	2,815.18
26.	तिरुनेलवेली	3,433.00	180.00	3,613.00	4,182.82	190.00	4,372.82
27.	बद्दी	4,674.61	0.00	4,674.61	4,924.43	0.00	4,924.43
28.	पीण्या	7,014.38	150.00	71,6438	8,293.48	200.00	8,493.48
29.	मानेसर	4,866.62	40.00	4906.62	5390.34	50.00	5440.34
30.	वापी (गुजरात)	1,891.14	25.00	1,916.14	2,171.16	40.00	2,211.16
31.	फरीदाबाद	17,564.12	250.00	17,814.12	20,068.11	300.00	20,368.11
32.	स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान तथा क. रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय, जोका	2,954.00	30.00	2,984.00	3,106.00	30.00	3,136.00
33.	स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान तथा क. रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय, के.के. नगर	2,910.00	210.00	3,120.00	3,015.50	210.00	3,225.50
34.	स्नातकोत्तर आयु. एवं अनुसंधान संस्थान, अंधेरी	408.50	0.00	408.50	486.00	0.00	486.00
35.	क.रा.बी. तथा स्ना. आ. एवं अनुसंधान संस्थान, बसईदारापुर	1,312.00	90.00	1,402.00	1,514.00	100.00	1,614.00
36.	क.रा.बी.नि. चि. म. तथा स्ना. आ. एवं अन.संस्थान, राजाजी नगर	2,670.00	0.00	2,670.00	2,811.00	0.00	2,811.00
37.	गुलबर्गा चिकित्सा महाविद्यालय	8,425.72	800.00	9,225.72	10,655.95	900.00	11,555.95
38.	गुलबर्गा दंत्य महाविद्यालय	1,330.0	750.00	2,080.00	1,745.00	800.00	2,545.00
39.	एस. नगर चिकित्सा महाविद्यालय	1,625.00	800.00	2,425.00	1,798.00	1,100.00	2,898.00
40.	जाजमउ, कानपुर	1,234.84	100.00	1,334.84	1,465.56	250.00	1,715.56
41.	वाराणसी	1,749.78	500.00	2,249.78	1,930.33	200.00	2,130.33
42.	साहिबाबाद	2,671.57	500.00	3,171.57	3,203.81	600.00	3,803.81
43.	सरोजिनी नगर, लखनऊ	3,458.52	150.00	3,608.52	3,917.84	160.00	4,077.84
44.	अंकलेश्वर, गुजरात	1,894.28	35.00	1,929.28	2,205.84	42.00	4,247.84
45.	कोल्हापुर, महाराष्ट्र	1,541.89	150.00	1,691.89	2,292.86	450.00	2,742.86
46.	बिहटा (पटना)	528.00	38.00	566.00	2,052.00	150.00	2,202.00
47.	बिबवेवाड़ी, महाराष्ट्र	1,459.17	250.00	1,709.17	2,330.57	300.00	2,630.57
48.	अलवर (राजस्थान)	3,663.00	350.00	4,013.00	4,148.00	400.00	4,548.00
49.	बरेली	3,270.00	80.00	3,350.00	3,618.00	85.00	3,703.00
50.	झिलमिल	16,476.42	190.00	16,666.42	19,700.45	200.00	19,900.45
51.	ओखला	12,619.83	200.00	12,819.83	14,381.20	200.00	14,581.20
52.	रोहिणी	12,595.37	150.00	12,745.37	14,801.07	200.00	15,001.07
53.	निदेशालय (चिकित्सा), दिल्ली	40,851.13	110.00	4,0961.13	25,444.96	115.00	25,559.96
	कुल	**4,09,871.15**	**15,879.00**	**4,25,750.15**	**4,46,299.53**	**19,106.00**	**4,65,405.53**

नोट : उपर्युक्त आंकड़ों में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान की राशि सम्मिलित नहीं है।

राज्य सरकारों को भुगतान

क.रा.बी. निगम ने दिनांक 31.07.2014 को आयोजित अपनी 162वीं बैठक में दिनांक 01.04.2015 से 5 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए प्रति व्यक्ति उच्चतम सीमा को ₹150/– प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रतिवर्ष की अतिरिक्त वृद्धि सहित ₹1,500/– से बढ़ाकर ₹2,000/– करने का निर्णय किया। उच्चतम सीमा की वृद्धि में राज्यों की ओर से वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त/राज्य चिकित्सा आयुक्त द्वारा अति विशिष्टता उपचार तथा अन्य व्यय का वहन शामिल है।

दिनांक 07.08.2015 को आयोजित निगम की अपनी 166वीं बैठक में लाभार्थियों द्वारा उठाई जा रही कठिनाइयों का जायजा लिया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि अति विशिष्टता उपचार पर व्यय का वहन सीधे क.रा.बी. निगम द्वारा किया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि दिनांक 01.04.2015 से बढ़ाई गई उच्चतम सीमा (अति विशिष्टता उपचार सहित) को वापस नहीं लिया जाएगा क्योंकि उसका प्रयोग चिकित्सा सेवाओं में सुधार तथा राज्यों में नई पहलें कार्यान्वित करने हेतु किया जाएगा। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2017–2018 तथा उससे आगे ₹150/– प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रतिवर्ष की वार्षिक वृद्धि को वापस लिया जाएगा। निर्णयानुसार दिनांक 01.09.2015 से अति विशिष्टता उपचार के व्यय का वहन पूर्णतः क.रा.बी. निगम द्वारा किया जाएगा।

आगे, दिनांक 15.12.2016 को आयोजित अपनी 170वीं बैठक में क.रा.बी. निगम ने निम्नलिखित पर निर्णय किया है।

क. वर्ष 2018–2019 के लिए प्रशासन के लिए ₹1,250/– तथा अन्य के लिए ₹1,750/– की उप उच्चतम सीमा सहित ₹2,150/– से ₹3,000/– प्रति बीमाकृत व्यक्ति धारा 58(3) के अंतर्गत राज्य सरकारों के साथ व्यय बांटने की प्रति व्यक्ति की उच्चतम सीमा में वृद्धि।

ख. वर्ष 2019–2020 से प्रशासनिक उप–उच्चतम सीमा ₹3,000/– प्रति व्यक्ति की संपूर्ण उच्चतम सीमा के भीतर सीपीआइ के समान बढ़ाई जाएगी।

ग. ₹3,000/– की उच्चतम सीमा 2018–2019 से 2020–2021 निर्धारित की जाएगी तथा राज्यों के डब्ल्यूपीआइ तथा व्यय प्रतिरूप के आधार पर 2021–2022 से वार्षिक रूप से समीक्षा की जाएगी।

घ. राज्य सरकार निगम के बजट में उसके समावेशन के लिए अगले वित्तीय वर्ष हेतु प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर तक, समय–समय पर क.रा.बी. निगम द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार परियोजना कार्यान्वयन योजना (पीआइपी) प्रस्तुत करेगी। पीआइपी में अगले वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्ताव तथा वर्तमान वर्ष के प्रथम छह माह के दौरान की गई प्रगति शामिल होगी।

   i) कोई भी योजना, जो क.रा.बी. निगम द्वारा विधिवत अनुमोदित नहीं की गई है, शामिल नहीं की जाएगी।

   ii) किसी योजना का वित्त पोषण जो किसी वर्ष के प्राक्कलन में शामिल नहीं की गई है, को उस वित्तीय वर्ष के दौरान, क्या इसे प्रस्तावित करना चाहिए, उसके वित्त पोषण की विधि के लिए क.रा.बी. निगम की मंजूरी लेनी होगी।

   iii) किसी भी वस्तु पर व्यय के लिए निधि विनियोजित नहीं की जाएगी जिसे अनुमोदित नहीं किया गया है।

   iv) महानिदेशक, क.रा.बी. निगम को निधि विनियोजन एक प्राथमिक इकाई से अन्य में करने के लिए प्राधिकृत किया जाए।

ङ) वर्ष 2019–2020 के लिए निधि, प्रथम तिमाही के लिए ₹2,150/– की वर्तमान उच्चतम सीमा के अनुसार जारी की जाएगी। तथापि, वर्ष 2018–2019 के लिए पीआइपी परिशोधित उच्चतम सीमा अनुसार निधि जारी करने के लिए क.रा.बी. निगम को 31 मार्च, 2019 तक प्रस्तुत की जानी चाहिए।

च) प्रस्तुत योजना को, क.रा.बी. निगम द्वारा प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, विधिवत मॉनीटर किया जाएगा। दिनांक 19 अप्रैल, 2016 को जारी पत्र संख्या वी–24/11/10/2001–चि.1 के अनुसार तिमाही आधार पर निधि जारी की जाएगी।

पूर्व में, 15 दिसम्बर, 2011 को आयोजित निगम की अपनी बैठक में यह अनुमोदित किया गया कि ₹200/– प्रति बीमाकृत व्यक्ति का अतिरिक्त प्रोत्साहन का वहन क.रा.बी. निगम द्वारा उन राज्यों की उच्चतम सीमा के अतिरिक्त किया जाएगा जिन राज्यों के सभी क.रा.बी. योजना अस्पताल वित्तीय वर्ष के दौरान 70% या अधिक का अधिभोग दर्ज करते हैं। इस प्रयोजन हेतु, परिशोधित बजट 2018–2019 तथा बजट प्राक्कलन 2019–2020 के लिए क्रमशः 60.00 करोड़ प्रत्येक की कुल राशि प्रस्तावित की गई है।

नए अस्पताल अथवा मौजूदा अस्पताल में बाद में जुड़े नए विभाग(गों) में आरंभ में उपस्करों की खरीद पर व्यय सामान्यः अनुपात में भी निगम तथा राज्य सरकार के बीच उच्चतम सीमा के बाहर साझा होता है। लागत की शेयरिंग मौजूदा क.रा.बी. योजना अस्पतालों में महंगे चिकित्सा उपस्करों के प्रतिस्थापन पर व्यय के लिए भी लागू है। राज्य अस्पतालों के लिए नए उपस्कर की खरीद हेतु परिशोधित प्राक्कलन 2018–2019 तथा बजट प्राक्कलन 2019–2020 में क्रमशः ₹50.00 करोड़ प्रत्येक की राशि प्रदान की गई है।

निगम ने निर्धारित उच्चतम सीमा तक राज्य सरकार को व्यय का अपना 7/8 भाग का 100% देने हेतु प्रावधान किया है, राशि का 90% भुगतान अग्रिम रूप में किया जाता है तथा शेष 10% का भुगतान संबंधित राज्य महालेखाकार से 'लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्राप्ति' पर किया जाता है। तथापि, यह निर्णय किया गया कि क.रा.बी. निगम उस राज्य में उच्चतम सीमा का 100% वहन करेगी जहां राज्य क.रा.बी. निगम/सोसायटी का गठन किया गया है। क.रा.बी. निगम की दिनांक 06.12.2017 की 172वीं बैठक के निर्णय के अनुसरण के संबंध में विचार/कार्रवाई हेतु सभी राज्यों को एक परिशोधित मॉडल उप विधि भेजी जा रही है।

तदनुसार, वर्ष 2018–2019 के परिशोधित प्राक्कलन तथा बजट प्राक्कलन वर्ष 2019–2020 हेतु क्रमशः ₹3,338.95 करोड़ तथा ₹4,533.30 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है। इनमें से परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2018–2019 में पीआइपी हेतु अतिरिक्त प्रावधान के रूप में ₹100.00 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है, जो उपर्युक्त (ङ) में दर्शाई गई शर्तों को पूरा करने पर जारी की जाएगी।

<u>क.रा.बी. निगम सुधार 2.0</u>

46वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों पर स्थायी समिति/निगम की बैठक में चर्चा की गई तथा क.रा.बी. निगम द्वारा निम्नलिखित पहल की गई हैं :–

(i) **सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में क.रा.बी. निगम व्याप्ति का प्रसार**

क.रा.बी. योजना का विस्तार अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में किया गया है। मणिपुर में योजना का विस्तार प्रक्रियाधीन है।

(ii) **जिले, जहां वर्तमान में योजना संचालित है, के संपूर्ण क्षेत्र में क.रा.बी. योजना व्याप्ति का विस्तार**

क.रा.बी. निगम ने क.रा.बी. योजना की अखिल भारतीय व्याप्ति हेतु निम्नलिखित लक्ष्यों सहित एक कार्ययोजना बनाई है :–

क्र.सं.	विषय	लक्ष्य वर्ष
1(क)	जिन 81 जिलों में क.रा.बी. योजना आंशिक रूप से कार्यान्वित है, वहां उसे पूर्ण रूप से कार्यान्वित करना।	31 मार्च, 2019
1(ख)	जिन 97 जिला मुख्यालय क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया है, वहां योजना को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करना।	
2.	जिन 179 जिलों में योजना कार्यान्वित नहीं है, उन जिलों के मुख्यालयों में योजना कार्यान्वित करना।	31 मार्च, 2020
3.	179 जिला मुख्यालयों के अधिसूचित होने के अनुवर्ती वर्ष में संपूर्ण जिलों में योजना कार्यान्वित करना।	31 मार्च, 2021

पूर्वोक्त से क.रा.बी. योजना का देश के विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में शीघ्रता से विस्तार होगा तथा क.रा.बी. योजना के अंतर्गत उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा के हितलाभ सभी पात्र कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को प्राप्त हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त नए दृष्टिकोण के अनुसार कार्यान्वयन की प्राप्ति हेतु बीमाकृत व्यक्तियों की वृद्धि तथा लाभार्थी केंद्रित सेवाओं सहित आंतरिक लक्ष्य भी तैयार किए जा रहे हैं।

वर्तमान में, 351 पूर्ण कार्यान्वित जिलों सहित योजना 529 जिलों तथा 97 जिला मुख्यालयों में कार्यान्वित है, जबकि 81 जिलों में यह आंशिक रूप से कार्यान्वित है।

(iii) कार्यान्वित क्षेत्रों में निर्माण कामगारों के लिए क.रा.बी. व्याप्ति का विस्तार किया गया है। दिनांक 01 अगस्त, 2015 से निर्माण क्षेत्र कामगारों को हितलाभ उपलब्ध कराने के लिए क.रा.बी. योजना के अंतर्गत व्याप्त किया गया है। हालांकि यह मामला वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

(iv) चिकित्सा देखरेख में सुधार :

- क.रा.बी. लाभार्थियों तथा उनके परिजनों के इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ–रिकॉर्ड की ऑनलाइन उपलब्धता – क.रा.बी. निगम सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली को ब्योरा उपलब्ध कराने के लिए विन्यस्त किया गया है।
- अभियान इंद्रधनुष : इंद्रधनुषी क्रम के अनुसार सप्ताह में दिनवार चादर बदली जाना।
- आपातकालीन स्थिति में अस्पताल के हताहत/आपातकाल विंग से चिकित्सीय सलाह एवं मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए मेडिकल हेल्पलाइन संख्या 1800 11 3839।
- क.रा.बी. निगम अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांगजनों के लिए विशेष बाह्य रोगी विभाग।

नई पहलें :–

जैसा कि पहले से विद्यमान क्षेत्रों तथा नए क्रियान्वित क्षेत्रों में क.रा.बी. निगम 2.0 के क्रियान्वयन से लगभग 01 करोड़ बीमाकृत व्यक्तियों की वृद्धि हुई है। क.रा.बी. निगम ने आशोधित कर्मचारी उपयोगिता औषधालय(ईयूडी) तथा बीमा चिकित्सा व्यवसायी(आइ एम पी) योजना शुरु करने का प्रस्ताव किया है। जहां क.रा.बी. निगम के पास स्वास्थ्य देखरेख प्रदान प्रदान करने के लिए स्वयं की पर्याप्त अवसंरचना नहीं है, में क.रा.बी. निगम 2.0 के अंतर्गत नए नामांकित बीमाकृत व्यक्तियों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए आशोधित कर्मचारी उपयोगिता औषधालय (ईयूडी) तथा आशोधित बीमा चिकित्सा व्यवसायी (आइएमपी) योजना शुरु करने का प्रावधान किया गया था। इस योजना के अंतर्गत, कर्मचारी उपयोगिता औषधालय तथा बीमा चिकित्सा व्यवसायी के माध्यम से प्राथमिक देखरेख सेवाएं प्रदान की जाएंगी जिसके लिए वर्ष 2019–2020 में ₹10.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। द्वितीयक अर्थात् अस्पताल स्तर पर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रसिद्ध निजी चिकित्सा देखरेख प्रदाता के साथ टाइ–अप व्यवस्थापन करने के लिए पहले ही प्राधिकृत किया जा चुका है तथा कुछ समय में जिला स्तर पर अभिनिर्देशन के लिए सभी टाइ–अप तथा प्रतिपूर्ति प्रत्येक जिले में देखी जाना संभावित है। इसी प्रकार द्वितीयक देखरेख सेवाएं प्रदान करने के लिए चिकित्सा स्वास्थ्य बीमा योजना शुरु किया जाना प्रस्तावित था। चूंकि स्वास्थ्य बीमा योजना पर उप समिति की रिपोर्ट अभी भी प्रतीक्षित है इसलिए बजट प्राक्कलन 2019–2020 में ₹1.00 करोड़ की राशि प्रदान की गई है।

(v) रोगी/परिचर्या देखभाल में सुधार हेतु अन्य पहलें
राज्यों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों के अनुसार नए अस्पताल और औषधालय स्थापित करना

- आयुष सेवाओं को बढ़ावा देने और सुविधाओं के लिए मानक दिशानिर्देश तैयार करना और व्यक्तिगत चिकित्सा में उनकी ज्ञात शक्ति के आधार पर सुविधाओं को विकसित करना, गैर–संचारी, अपक्षयी और ऑटो प्रतिरक्षा विकारों की रोकथाम और उपचार के लिए, कायाकल्प और जराचिकित्सा देखभाल के लिए चिकित्सा।
- अस्पतालों के परा चिकित्सा और अन्य कर्मचारियों को व्यवहार प्रशिक्षण, मरीजों से संव्यवहार में शिष्टाचार के लिए उनका मार्गदर्शन करना
- अस्पतालों में स्वागत सुविधा और सहायता स्टेशन
- सभी क.रा.बी.निगम अस्पतालों में उपयुक्त संकेत व्यवस्था
- सभी अस्पतालों में योग की सुविधाएं
- वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग रोगियों के लिए विशेष अपराह्न बाह्य रोगी विभाग
- सभी आंतरिक रोगियों से प्रतिपुष्टि प्रणाली
- जन सुरक्षा वैन सेवाएं
- सभी आदर्श अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा
- सभी क.रा.बी.निगम अति विशिष्टता अस्पतालों में कैथ लैब की सुविधा

---
[9]नियोक्ता उपयोगन औषधालय
[10]बीमा चिकित्सा व्यवसायी

अति विशिष्टता उपचार

क.रा.बी. निगम द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संचालित अस्पतालों तथा टाइअप अस्पतालों के माध्यम से अति विशिष्टता उपचार हेतु 2018–2019 के लिए ₹1,176.73 करोड़ का परिशोधित प्राक्कलन और 2019–2020 के लिए ₹1,483.50 करोड़ के बजट प्राक्कलन का प्रावधान किया गया है।

2.2(2) नकद हितलाभ

बीमाकृत व्यक्तियों को बीमारी, कुछेक विनिर्दिष्ट रोगों के कारण विस्तारित बीमारी, प्रसूति, रोजगार चोट से उत्पन्न अस्थायी या स्थायी निःशक्तता की आकस्मिकताओं में नकद हितलाभ तथा किसी व्यावसायिक रोग या रोजगार चोट के फलस्वरूप किसी बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु पर परिवार के जीवित सदस्य(यों) को पेंशन के रूप में आश्रितजन हितलाभ का भुगतान किया जाता है। अंत्येष्टि खर्च भी दिया जाता है। क.रा.बी.निगम ने दिनांक 18/9/18 को आयोजित अपनी 175वीं बैठक में बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु पर देय वर्तमान अंत्येष्टि व्यय राशि ₹10,000 से बढ़ाकर ₹ 15,000 कर दी है। इन हितलाभों का भुगतान कर्मचारी राज्य बीमा(केन्द्रीय) नियमावली,1950 के नियम 54 से 59 में निर्धारित दरों पर किया जाता है।

राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना

चिकित्सा हितलाभ प्रदान करने के साथ–साथ बीमायोग्य रोजगार की 5 वर्ष की न्यूनतम अर्हक अवधि के बाद कारखाना बंद होने पर 6 माह की अधिकतम अवधि हेतु बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के लिए एक अन्य योजना पर विचार किया गया और निगम ने इसका अनुमोदन भी कर दिया है जो दिनांक 01.04.2005 से लागू है। आगे, हितलाभों की आवधिकता 24 महीने की अधिकतम अवधि तक विस्तारित की गई है तथा हकदारी की शर्त के रूप में बीमायोग्य रोजगार की अवधि भी घटाकर 3 वर्ष कर दी गई है। इसके अतिरिक्त बेरोजगारी भत्ते के दावे के प्रस्तुतीकरण की अवधि दिनांक 01.07.2010 से 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने कर दी गई है। हितलाभ की दर प्रथम 12 माह के लिए पहली औसत दैनिक मजदूरी का 50% है तथा अगले 13 से 24 महीनों के लिए अंतिम औसत दैनिक मजदूरी का 25% है, जिसे दिनांक 06.09.2016 को आयोजित क. रा.बी. निगम की 169वीं बैठक के दौरान निर्धारित किया गया था।

2018–2019 के परिशोधित प्राक्कलन तथा 2019–2020 के बजट प्राक्कलन में इस योजना हेतु प्रत्येक के लिए ₹7.00 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना

भारत में रोजगार पैटर्न में बदलाव और रोजगार के मौजूदा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, जो दीर्घकालिक रोजगार से निश्चित अल्पकालिक नियुक्तियों में बदल गया है, क.रा.बी.निगम ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत बीमाकृत व्यक्तियों(आईपी) के लिए "अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना" नामक महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी है। यह योजना बेरोजगारी के मामले में, जब वे नई नौकरी खोज रहे होते हैं, जीवन में एक बार 90 दिनों तक मजदूरी की 25 प्रतिशत की दर से नकद के रूप में सीधे उनके बैंक खाते में देय राहत है। बेरोजगारी किसी भी प्रकार की हो सकती है सिवाय कुछ आकस्मिकताओं के, जैसे कि कदाचार के लिए दंड, अधिवर्षिता और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। यह योजना 01.07.2018 से लागू की गई है।

इस नई योजना के लिए 2018–2019 के लिए अनुपूरक प्राक्कलन और बजट प्राक्कलन 2019–2020 के लिए क्रमशः 10.00 करोड़ और 5.00 करोड़ की राशि प्रदान की गई है।

2.2(3) प्रशासनिक व्यय

प्रशासनिक व्यय में ''वेतन एवं भत्ते'' एवं प्रशासनिक कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति हितलाभ शामिल हैं तथा कार्यालय प्रबंधन पर व्यय 7वें वेतन आयोग के प्रभाव, वस्तुओं की कीमतों और सेवा की लागत में सामान्य वृद्धि तथा भर्तियों को ध्यान में रखते हुए दर्शाया गया है। तथापि, किफायती उपायों को ध्यान में रखा गया है।

केन्द्र सरकार ने नियम 31क के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय की प्रतिशतता वर्ष 1997–98 से कुल राजस्व आय की 15% नियत की है। 2018–2019 के परिशोधित प्राक्कलन में और 2019–2020 के बजट प्राक्कलन में प्रशासनिक व्यय इन वर्षों के दौरान कुल राजस्व आय का क्रमशः 5.30% और 6.79% बनता है|.

<u>वर्ष 2018–2019 के परिशोधित प्राक्कलन</u>

I. प्राप्तियाँ :

3.1 चालू वित्त वर्ष 2018–2019 में निगम का राजस्व ₹26,099.03 करोड़ होने का अनुमान है जबकि पहले ₹25,076.76 करोड़ का अनुमान लगाया गया था।

अंशदान :

3.2 अक्टूबर 2018 तक राजस्व की प्रवृति, शेष माह के लिए बीमांकन प्राक्कलन के अनुसार प्रवृति तथा पैरा 2.1 में उल्लिखित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए अंशदान से ₹21,667.34 करोड़ आय का अनुमान है। परिशोधित प्राक्कलन में योजना के कार्यान्वयन हेतु चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार वर्ष के दौरान कर्मचारियों की अतिरिक्त व्याप्ति जिलावार कार्यान्वयन एवं दिनांक 01.01.2017 से मजदूरी की उच्चतम सीमा में ₹15,000/– से ₹21,000/– की वृद्धि का भी ध्यान रखा गया है। दिनांक 31.3.2019 को कुल अनुमानित व्याप्ति 330.26 लाख कर्मचारी होने की सम्भावना है।

3.3 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार अंशदान तथा ब्याज़ की कुल बकाया राशि ₹3,073.29 करोड़ में से ₹1,490.44 करोड़ फिलहाल विभिन्न कारणों से लावसूल है। बकाया तथा लावसूल राशि का ब्योरा निम्नलिखित है :–

क.	फिलहाल लावसूल बकाया राशि		(₹ करोड़ में)
	क)	न्यायालयों में विवादग्रस्त बकाया राशि	1,160.19
	ख)	परिसमापन के अधीन राशि	200.89
	ग)	दावा आयुक्त के पास लंबित राशि	8.94
	घ)	ऐसे कारखाने/स्थापनाएं जो बंद हो गई हैं तथा जिनके नियोक्ताओं का अता–पता मालूम नहीं, से देय राशि	119.57
	ङ)	ऐसी राशि जिनमें डिक्री प्राप्त हो गई है परन्तु निष्पादित नही हुई	0.85
		योग	**1,490.44**
ख.	***रुग्ण उद्योगों से प्राप्य राशि***		
(i)	ऐसे कारखानों से संबंधित मामले जो औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड(बीआइएफआर) से पंजीकृत हैं परन्तु पुनर्वास योजना अभी स्वीकृत की जानी है		85.97
(ii)	ऐसे कारखाने/स्थापनाएं जिन्हें रुग्ण घोषित कर दिया गया है तथा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड(बीआइएफआर) द्वारा पुनर्वास योजना स्वीकृत कर दी गई है		65.52
ग.	वसूली अधिकारी के पास वसूली हेतु लम्बित वसूली–योग्य प्राप्य राशि		1,431.36
	कुल योग		**3,073.29**

निगम द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 45–ग से 45–झ के अधीन स्थापित अपने स्वयं के वसूली तंत्र के माध्यम से नियोक्ताओं से राशि की वसूली करने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है। जहाँ कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबंधों के अधीन अभियोजन तथा दाण्डिक कार्रवाई अपेक्षित है, वहां उचित कार्रवाई भी की गई है।

3.4 चिकित्सा हितलाभ के निमित्त राज्य सरकारों का अंश

(1) दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा योजना

निगम ने 1 अप्रैल, 1962 से, दिल्ली में बीमाकृत व्यक्तियों और उनके परिजनों की चिकित्सा देखरेख की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी ली थी। समझौते के अनुसार चिकित्सा देखरेख पर निगम द्वारा किए गए व्यय का 1/8 भाग दिल्ली सरकार से वसूली–योग्य है। यद्यपि दिल्ली सरकार ने वर्ष 1990–1991 से अपने पूरे अंश की अदायगी नहीं की है। परन्तु उन्होंने 5/2005 में ₹10.32 करोड़, 2/2007 में ₹6.00 करोड़, 2/2008 में ₹9.82 करोड़, 6/2008 में ₹6.58 करोड़ तथा दिनांक 19.03.2010 को ₹9.64 करोड़ और दिनांक 28.03.2011 को ₹20.00 करोड़ का भुगतान किया। दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार चिकित्सा देखरेख के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा भुगतान हेतु ₹1974.15 करोड़ की राशि लंबित है। इसके अतिरिक्त ₹299.99 करोड़ की राशि चिकित्सा देखरेख के 1/8 भाग की उच्चतम सीमा के अंतर्गत है। इन वर्षों में जारी उच्चतम सीमा के भीतर दिल्ली सरकार के बजट में प्रावधान करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के 1/8 भाग के संबंध में बकाया जारी करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गई है। तदनुसार वर्ष 2018–2019 परिशोधित प्राक्कलन में कोई प्रावधान नहीं किया गया है परंतु 2019–2020 बजट प्राक्कलन में इसके लिए ₹90.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

(2) नोएडा में कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा योजना

दिनांक 1.4.1988 से नोएडा में योजना लागू किए जाने से ही कर्मचारी राज्य बीमा निगम नोएडा में चिकित्सा देखरेख मुहैया करा रहा है। नोएडा में कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों के संचालन पर व्यय का वहन निगम द्वारा किया जाता है तथा बाद में उत्तर प्रदेश के खातागत भुगतान से इसके आनुपातिक हिस्से की वसूली कर ली जाती है।

3.5 ब्याज़

प्राक्कलित तथा परिशोधित प्राक्कलन 2018–2019 में दर्शाए जा रहे ब्याज़ आंकड़े सामान्य आरक्षित निधि और आकस्मिकता आरक्षित निधि और पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि के निवेश पर प्राप्त ब्याज़ से संबंधित हैं। उद्दिष्ट आरक्षित निधि खाते पर प्रोदभूत ब्याज़ संबंधित निधि खाते में जमा किया गया है। कुल प्राक्कलित ब्याज़ तथा उसका नियोजन निम्न प्रकार हैं :–

(₹ करोड़ में)

	परिशोधित प्राक्कलन (2018-19)
गैर–उद्दिष्ट निधि पर ब्याज़	4,230.44
उद्दिष्ट आरक्षित निधि पर ब्याज़	1,734.88
कुल	**5,965.32**

3.6 मुआवज़े

किसी राज्य में बीमाकृत व्यक्तियों को बीमारी हितलाभ के भुगतानों की घटना–दर अखिल भारतीय औसत के 150% से अधिक और उस राज्य में बीमारी हितलाभ दिनों की औसत संख्या 3 दिनों से अधिक पाए जाने पर इस प्रकार के व्यय की राशि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 58(2) के अधीन करार द्वारा यथा नियत रूप में राज्य सरकार और निगम के बीच बांटी जाती है। चूंकि बीमारी हितलाभ की घटना–दर निर्धारित सीमा के भीतर है, इसलिए परिशोधित प्राक्कलन 2018–2019 तथा बजट प्राक्कलन 2019–2020 में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

3.7 किराया, पौरकर और कर

इस शीर्ष के अधीन, (i) कार्यालय भवनों (स्टाफ क्वार्टरों सहित) और (ii) अस्पतालों तथा औषधालयों (स्टाफ क्वार्टरों सहित) के संबंध में वसूली–योग्य किराया, पौरकर तथा कर दर्शाए गए हैं। निगम द्वारा निर्मित तथा अपने स्वामित्व वाले अस्पताल तथा औषधालय भवनों से संबंधित किराया, परन्तु उच्चतम सीमा से बाहर, बांटने योग्य व्यय का भाग होता है। इस प्रकार यह निगम तथा राज्य सरकारों के बीच 7:1 के निर्धारित अनुपात में विभाजित हो जाता है। इस शीर्ष के अधीन वर्ष 2017–2018 के लिए ₹112.65 करोड़ की राशि का अनुमान लगाया गया है, जिसमें ₹3.00 करोड़ कार्यालय भवनों तथा स्टाफ क्वार्टरों से संबंधित हैं और ₹109.65 करोड़ अस्पताल और औषधालय भवनों से संबंधित हैं। इस किराए में से केवल 1/8वां भाग ही राज्य सरकारों से वसूल किया गया है तथा क.रा.बी.निगम का 7/8 भाग लेखा समायोजन के रूप में दर्शाया गया है।

3.8 शुल्क, जुर्माने तथा जब्तियाँ

इस शीर्ष में निगम को अंशदान, नियोक्ता और कर्मचारी दोनों अंश, की समय पर अदायगी न कर पाने पर नियोक्ताओं पर लगाए गए हर्जानों के कारण आय शामिल है।

3.9 चिकित्सा शिक्षा प्राप्तियां

चिकित्सा शिक्षा प्राप्तियों में छात्रों द्वारा भुगतान किया गया शुल्क जैसे शिक्षा शुल्क, छात्रावास शुल्क एवं चिकित्सा शिक्षा के रूप में प्राप्त अन्य राशियां शामिल हैं।

3.10 विविध प्राप्तियाँ

इनमें अनुलिपि पहचान–पत्रों की कीमत से हुई आय, छुट्टी वेतन तथा पेंशन अंशदानों की वसूलियां, न्यायालयों द्वारा डिक्री की गई राशियों सहित कानूनी मुकदमों की लागत की वसूलियां, अन्य मौजूदा शीर्षो के अंतर्गत वर्गीकृत न की जा सकने वाली आय तथा अधिक भुगतान तथा लेखापरीक्षा में अस्वीकृत राशि की वसूली; गत वर्षो में किए गए सेवा व्ययों की वसूली तथा नकद हितलाभ की वसूली आवेदकों द्वारा भर्ती हेतु जमा कराए गए शुल्क क.रा.बी. निगम कर्मचारियों को चिकित्सा हितलाभ पर अंशदान आदि शामिल हैं।

II. व्यय :

वर्ष 2018–2019 के दौरान राजस्व लेखे में ₹12,169.27 करोड़ के व्यय का अनुमान है, जबकि मूल बजट में ₹16,077.70 करोड़ प्रत्याशित था। राजस्व व्यय के ब्योरे निम्न प्रकार हैं :–

(क) चिकित्सा हितलाभ :

4.1 इस शीर्ष के अधीन ₹8,799.07 करोड़ का प्रावधान (319.67 लाख बीमाकृत व्यक्तियों के लिए) प्राक्कलित किया गया है।

4.2 वर्ष 2017–2018 तक राज्य सरकारों द्वारा किए गए चिकित्सा व्यय में निगम के अंश (7/8 अंश का 10%) की प्रतिपूर्ति के लिए निगम की बकाया देयता ₹1,341.28 करोड़ अनुमानित है। पिछली देयता के ''खातागत भुगतान'' की निकासी के लिए निगम द्वारा दिनांक 6.12.2017 को आयोजित अपनी 172वीं बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने प्रदत्त वर्ष के लिए क.रा.बी. निगम के लेखा की लेखापरीक्षा कर ली है और प्रमाणित कर दिया है तो राज्य महालेखाकार प्रमाण–पत्र के बदले में एक बार छूट के रूप में यह मान लिया जाएगा कि संबंधित राज्य की परिक्रामी निधि सहित संबंधित क्षेत्रीय निदेशक/राज्य चिकित्सा आयुक्त कार्यालय के लेखा की लेखापरीक्षा हो गई है और प्रमाणित कर दिया गया है। तदनुसार परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2018–2019 तथा बजट प्राक्कलन वर्ष 2019–2020 प्रत्येक के लिए ₹125.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

4.3 अस्पताल/औषधालय

इस शीर्ष के अंतर्गत धन व्यवस्था में (i) चालू भवन की पूंजीगत लागत के 3.34% की दर से अस्पताल एवं औषधालय भवनों का मूल्यह्रास (₹76.52 करोड़) और (ii) प्रदर्शित व्यय पर भवनों की मरम्मत एवं रखरखाव (₹235.81 करोड़) तथा (iii) अस्पतालों तथा औषधालयों के लिए किराया तथा नगरपालिका कर (₹45.00 करोड़) शामिल हैं। विशेष मरम्मत पर व्यय मूल्यह्रास आरक्षित निधि में प्रभारित किया जाता है, जबकि अस्पतालों और औषधालय भवनों की मरम्मत और रख–रखाव पर किया गया व्यय चिकित्सा हितलाभ व्यय में प्रभारित किया जाता है।

(ख) नकद हितलाभ :

4.4 ₹1,339.16 करोड़ के मूल प्रावधान की तुलना में विवरण 'ख' में दिए गए ब्योरे के अनुसार परिशोधित व्यय ₹1,765.20 करोड़ है जो स्थायी निःशक्तता हितलाभ तथा आश्रितजन हितलाभ व्यवस्था के लिए संभावित बीमांकन मूल्यांकन पर आधारित है। इसमें राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के लिए ₹7.00 करोड़ का प्रावधान भी शामिल है।

प्रतिवर्ष प्रतिकर्मचारी, हितलाभ दिनों की औसत संख्या तथा प्रतिकर्मचारी, बीमारी हितलाभ तथा अस्थायी निःशक्तता हितलाभ की दैनिक दर की औसत राशि नीचे दर्शायी गयी है :–

	वर्ष	बीमारी हितलाभ	अस्थायी निःशक्तता हितलाभ
प्रतिवर्ष प्रतिकर्मचारी हितलाभ दिनों की औसत संख्या (दिनों की संख्या में)	2003-2004	1.80	0.53
	2004-2005	1.55	0.44
	2005-2006	1.34	0.38
	2006-2007	1.12	0.32
	2007-2008	0.98	0.30
	2008-2009	0.94	0.23
	2009-2010	0.85	0.21
	2010-2011	0.55	0.21
	2011-2012	0.53	0.21
	2012-2013	0.57	0.20
	2013-2014	0.47	0.20
	2014-2015	0.45	0.21
	2015-2016	0.37	0.17
	2016-2017	0.33	0.14
	2017-2018	0.29	0.10
ख) प्रतिदिन प्रतिकर्मचारी औसत हितलाभ दर (रुपये में)	2003-2004	80.05	94.22
	2004-2005	80.68	94.68
	2005-2006	83.11	95.21
	2006-2007	84.08	99.65
	2007-2008	96.98	99.63
	2008-2009	121.12	124.57
	2009-2010	126.80	134.10
	2010-2011	136.37	154.86
	2011-2012	160.82	177.01
	2012-2013	159.42	219.51
	2013-2014	194.25	237.52
	2014-2015	217.91	264.45
	2015-2016	261.72	287.39

	वर्ष	बीमारी हितलाभ	अस्थायी निःशक्तता हितलाभ
	2016-2017 2017-2018	251.43 260.19	300.42 307.36

बीमारी हितलाभ तथा अस्थायी निःशक्तता हितलाभ के संबंध में की गई धन व्यवस्था में उपर्युक्त को ध्यान में रखा गया है।

ग. **अन्य हितलाभ :**

5. परिशोधित प्राक्कलन 2018–2019 में ₹3.63 करोड़ के प्रावधान में विविध मदों पर यानी चिकित्सा बोर्डों तथा न्यायाधिकरणों को दिए गए शुल्क, चिकित्सा बोर्डो के समक्ष उपस्थित होने के लिए बीमाकृत व्यक्तियों द्वारा परिवहन पर स्वयं किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए उन्हें दिए गए भुगतान, चिकित्सा बोर्डो के समक्ष उपस्थित होने के लिए बीमाकृत व्यक्तियों को मजदूरी की हानि के लिए देय राशि के रूप में खर्चें इत्यादि शामिल हैं। इस प्रावधान में जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने हेतु ₹100/– प्रति लाभार्थी यात्रा व्यय का भुगतान भी शामिल है।

घ. **प्रशासनिक व्यय**

वर्ष 2018–2019 के लिए प्रशासन पर कुल व्यय ₹1,384.69 करोड़ होने का अनुमान है, जबकि पहले ₹1,740.03 करोड़ का अनुमान लगाया गया था। वर्ष 2018–2019 के लिए प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक लागत कुल राजस्व का 5.30% बनती है।

(क) **स्थापना व्यय (ई.बी.आर.एफ.सहित)**

वर्ष 2018–2019 हेतु स्थापना व्यय पर कुल व्यय ₹925 करोड़ दर्शाया है, जबकि पह ₹1222 करोड़ प्राक्कलित था।

(ख) **अन्य प्रशासनिक व्यय**

6.1 पूर्व बजट प्राक्कलन में ₹518.11 करोड़ की तुलना में वर्ष 2018–2019 के परिशोधित प्राक्कलन में ₹460.32 करोड़ की धन व्यवस्था की गई है।

पूंजीगत निर्माण निधि

7.1 निगम ने 2 फरवरी, 1974 को सम्पन्न अपनी बैठक में यह निर्णय लिया था कि नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों के अंशदान से प्राप्त कुल राजस्व का 10% अस्पतालों, औषधालयों तथा अन्य चिकित्सा संस्थाओं और कार्यालय भवनों तथा स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि में जमा कर दिया जाएगा। इसके पश्चात् दिनांक 19 फरवरी, 1983 को सम्पन्न निगम की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि इस धन व्यवस्था को घटाकर अंशदान का 5% कर दिया जाए। फिर, दिनांक 17.12.2004 को सम्पन्न निगम की 129वीं बैठक में निर्णय लिया गया था कि दिनांक 01.04.2005 से इस धन व्यवस्था को घटाकर अंशदान का 1% कर दिया जाए। तदनुसार, परिशोधित प्राक्कलन 2018–2019 में अंशदान आय के 1% को दर्शाते हुए परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2018–2019 में ₹216.67 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

आकस्मिकता आरक्षित निधि

7.2 निगम की दिनांक 17 मार्च, 1973 को सम्पन्न बैठक में निर्णय लिया था कि ₹1.00 करोड़ की न्यूनतम राशि की शर्त के अधीन राजस्व लेखे पर व्यय से अधिक आय का 20% इस निधि में जमा किया जाए (यह राशि ₹1.00 करोड़ से कम होने पर संपूर्ण राशि)। स्थायी समिति तथा निगम की 27/28 नवम्बर,1986 को सम्पन्न बैठकों में निर्णय लिया गया कि इस निधि में बकाया राशि केवल ₹75.00 करोड़ तक सीमित रखी जाए। इस निधि में उक्त सीमा तक राशि जमा होने के कारण परिशोधित प्राक्कलन में कोई धन व्यवस्था नहीं की गई है।

पूंजीगत लेखा पर व्यय

8.1 पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि से पूरी की जाने वाली परियोजनाओं की प्रगति को ध्यान में रखते हुए 2018–2019 के परिशोधित प्राक्कलन में निर्माण कार्यों पर ₹1,472.70 करोड़ (कार्यालय भवनों तथा स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए ₹31.79 करोड़, अस्पतालों, औषधालयों और स्टाफ क्वार्टरों के लिए ₹875.87 करोड़ तथा चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं के निर्माण के लिए ₹565.04 करोड़) के व्यय का अनुमान लगाया गया है। अनुमानित व्यय के विवरण परिशिष्ट–3 में दिए गए हैं।

8.2 वर्ष 2018–2019 के परिशोधित प्राक्कलन में गैर परियोजना पर ₹210.74 करोड़ का व्यय प्राक्कलित है, जिसमें कम्प्यूटर के लिए ₹30.10 करोड़ तथा उपस्कर (कार्यालय और चिकित्सा उपस्कर, दोनों) के लिए ₹168.29 करोड़ का बड़ा व्यय सम्मिलित है।

व्यय से आय का आधिक्य

8.3 परिशोधित प्राक्कलन के अनुसार व्यय से अधिक आय के पूर्व अनुमान ₹9,142.03 करोड़ की तुलना में ₹13,929.76 करोड़ अनुमानित है।

8.4 निगम के एक सेवा संगठन होने के कारण इसके संचालन में लाभ का कोई तत्व नहीं है इसलिए आयकर अधिनियम की धारा 10(25) (क) के अंतर्गत क.रा.बी. निधि को निगम द्वारा आयकर के भुगतान से विशेष छूट दी गई है।

लिंग और बाल बजट

8.5 भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के लिए लिंग बजट वार्षिक कार्ययोजना 2018–2019 के अनुसार, क.रा.बी.निगम के लिए नए दिशानिर्देशों को संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं की मदद से श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किए गए लिंग निर्धारण के आधार पर अनुमोदित किया गया है। इसके अलावा, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, क.रा.बी.निगम एक लिंग और बाल बजट प्रकोष्ठ की स्थापना पर विचार कर रहा है। क.रा.बी. योजना के तहत सभी बजट शीर्षों में परिशोधित प्राक्कलन 2018–2019 में महिलाओं के लिए अनुमानित बजट प्रावधान ₹2,155.60 करोड़ किया गया है।

वर्ष 2019–2020 के बजट प्राक्कलन

I प्राप्तियां

9. वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिए निगम का अनुमानित राजस्व ₹23,579.58 करोड़ है, जबकि परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2018–2019 में ₹26,099.03 करोड़ दर्शाया गया है।

अंशदान

9.1 क.रा.बी.निगम द्वारा दिनांक 18.09.2018 को आयोजित अपनी 175वीं बैठक में किए गए निर्णय के अनुसार, माननीय अध्यक्ष, क.रा.बी.निगम ने अंशदान की आय के युक्तियुक्तकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें अंशदान की कुल दर किसी कर्मचारी को देय मजदूरी के 5 प्रतिशत के बराबर है, जो मौजूदा 4.75 प्रतिशत नियोक्ता के अंश और 1.75 प्रतिशत कर्मचारी के अंश के स्थान पर क्रमशः 4 प्रतिशत और 1 प्रतिशत है। निर्णय के अनुसरण में, कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय), नियमाावली, 1950 के नियम 51 को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी करके संशोधित किया जाना है। इसके अनुसार मसौदा अधिसूचना मंत्रालय को भेज दी गई है। यह अपेक्षित है कि कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियमावली का संशोधित नियम 51, दिनांक 01.04.2019 से प्रभावी होगा। तदनुसार, वर्ष 2019–2020 के लिए अंशदान से आय ₹18,333.90 करोड़ प्राक्कलित की गई है, जबकि परिशोधित प्राक्कलन 2018–2019 के लिए यह ₹21,667.34 करोड़ है। इस वृद्धि में कार्यान्वयन कार्यक्रम (परिशिष्ट–1) के अनुसार (क) नए क्षेत्रों में 2019–2020 के दौरान लगभग 20.24 लाख कर्मचारियों की अतिरिक्त व्याप्ति और (ख) अंशदान आय के रुझान को ध्यान में रखा गया है। वर्ष 2019–2020 में कर्मचारियों की भारित औसत संख्या 340.38 लाख अनुमानित है।

9.2 तालिका में 2014–2015 से प्रतिव्यक्ति अंशदान आय दिखाई गई है :–

2014–2015 वास्तविक	2015–2016 वास्तविक	2016–2017 वास्तविक	2017–2018 वास्तविक	2018–2019 परिशोधित प्राक्कलन	2019–2020 बजट प्राक्कलन
₹6,025	₹6,054	₹6,127*	₹6,258	₹6,755	₹5,386

*यह आंकड़ें स्प्री अभियान तथा मजदूरी की उच्चतम सीमा में वृद्धि के कारण वर्ष 2016–17 की अंतिम तिमाही में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि के कारण प्रतिव्यक्ति आय की घटी हुई राशि दर्शाते हैं।

9.3 ब्याज

बजट प्राक्कलन में प्राक्कलित तथा दर्शाए गए ब्याज़ आंकड़े सामान्य आरक्षित निधि और आकस्मिकता आरक्षित निधि के निवेश और पूंजी निर्माण आरक्षित निधि पर प्राप्त ब्याज़ से संबंधित हैं। उद्दिष्ट आरक्षित निधि खाते पर प्रोद्भूत ब्याज़ संबंधित निधि खाते में जमा कर दिया है। निवेश पर ब्याज की दर में तेजी से गिरावट आई है, अतः निवेश योग्य अधिशेष में वृद्धि के बावजूद कुल ब्याज आय में निवेश के साथ वृद्धि नहीं हुई। पोर्टफोलियो प्रबंधन प्रणाली के संचालन उपरांत निवेश में विविधता के प्रभाव वर्ष 2019–2020 से परिलक्षित होंगे। कुल प्राक्कलित ब्याज़ तथा उसका विनियोजन निम्न प्रकार है :–

(₹ करोड़ में)

	बजट प्राक्कलन (2019-20)
गैर उद्दिष्ट आरक्षित निधि पर ब्याज़	4,952.03
उद्दिष्ट आरक्षित निधि पर ब्याज़	2,031.00
कुल	**6,983.03**

मुआवज़ा

9.4 मुआवज़ा केवल उन्हीं राज्यों से प्रभारित किया जाता है जिसमें प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष बीमारी हितलाभ दिनों की औसत संख्या 3 दिनों से अधिक होती है और अखिल भारतीय औसत से 150% अधिक होती है। चूंकि बीमारी हितलाभ की घटना दर विहित सीमा के भीतर है, इसलिए वर्ष 2019–2020 के बजट प्राक्कलनों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

अस्पताल/औषधालय भवनों का किराया

9.5 निगम द्वारा स्थापित एवं इसके स्वामित्व वाले अस्पताल एवं औषधालय भवनों का किराया निगम एवं राज्यों के बीच 7:1 के निर्धारित अनुपात में विभाजित होता है। वर्ष 2018–2019 के लिए इस शीर्ष में कुल ₹ 112.65 करोड़ का अनुमान लगाया गया है, जिसमें से ₹ 3.00 करोड़ कार्यालय भवन एवं स्टाफ क्वार्टर के लिए तथा ₹ 109.65 करोड़ अस्पताल एवं औषधालय भवन के लिए शामिल है। अस्पताल एवं औषधालय भवनों के लिए किराए का केवल 1/8 भाग राज्य सरकारों से वसूल हुआ है। क.रा.बी. निगम के 7/8 भाग को बही समायोजन के रूप में दर्शाया गया है।

II व्यय

10.1 वर्ष 2018–2019 के लिए ₹ 12,169.27 करोड़ के परिशोधित प्राक्कलन की तुलना में वर्ष 2019–2020 के लिए बजट प्राक्कलन में ₹ 14,136.60 करोड़ का कुल व्यय है। प्रावधानों में ₹ 1,967.33 करोड़ तक की बढ़ोतरी की निम्नलिखित पैरा में व्याख्या की गई है।

क. चिकित्सा हितलाभ

11.1 चिकित्सा हितलाभों पर व्यय के लिए कुल ₹ 10,568.29 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उच्चतर प्रावधानों में अन्य मदों के साथ–साथ क्रियान्वित कार्यक्रम के अंतर्गत 20.24 लाख कर्मचारियों की प्रत्याशित अतिरिक्त व्याप्ति शामिल है। किए गए प्रावधानों के ब्यौरों की व्याख्या एतदधीन की गई है :–

		राशि (₹ करोड़ में)
I) चिकित्सा देखरेख पर खर्च का क.रा.बी.(⅞वां) भाग (पूर्व की देयताओं सहित) ***राज्य सरकारों को देय***		4,533.30
II) इन पर क.रा.बी. निगम द्वारा खर्च का प्रत्यक्ष वहन :		
क)	व्यावसायिक रोग केन्द्र वाले अस्पताल/आदर्श अस्पताल/अन्य अस्पताल/औषधालय	3,398.97
ख)	अति विशिष्टता उपचार	1,483.50
ग)	बीमाकृत महिलाओं तथा बीमाकृत व्यक्तियों की पत्नियों को प्रसूति भत्ता	7.20
घ)	अस्पताल एवं औषधालय के मूल्यह्रास का प्रावधान	137.73
ङ)	मरम्मत एवं रखरखाव (अस्पताल एवं औषधालय)	281.99
च)	नगरपालिका कर	45.00
छ)	चिकित्सा शिक्षा	669.04
ज)	आशोधित नियोक्ता उपयोगिता औषधालय	10.00
झ)	क.रा.बी. निगम सुधार 2.0	1.00
ञ)	स्वच्छता कार्य योजना(एसएपी)	0.56
	कुल :	**10,568.29**

11.2 वर्ष 2014–15 से प्रतिकर्मचारी प्रतिवर्ष चिकित्सा देखरेख पर व्यय का निगम के अंश की औसत अनुमानित लागत निम्नानुसार है :–

2014-2015 वास्तविक	**2015-2016** वास्तविक	**2016-2017** वास्तविक	**2017-2018** वास्तविक	**2018-2019** परिशोधित प्राक्कलन	**2019-2020** बजट प्राक्कलन
₹ 3,182	₹ 3,230.78	₹ 2,806.18*	₹ 2,847.20	₹ 2,743.53	₹ 3104.85

*कर्मचारियों की भारित औसत संख्या के अनुसार परिकलित।

11.3 यदि राज्य चालित सभी अस्पतालों में वर्ष 2018–2019 के दौरान 70% से अधिक अधिभोग दर्ज होता है तो राज्य सरकार को ₹200.00 प्रतिबीमाकृत व्यक्ति की राशि के भुगतान के लिए ₹60.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

अस्पताल एवं औषधालय :

12.1 निगम एवं सरकार द्वारा अनुमोदित नई लेखाकरण नीति के अनुसार चालू भवनों की पूंजीगत लागत के 3.34% की दर पर (₹137.73 करोड़) अस्पताल एवं औषधालय भवनों के लिए मूल्यह्रास व्यवस्था की गई है।

12.2 वर्ष भर में अनुमानित मरम्मत एवं रखरखाव खर्च के अनुसार इन भवनों की मरम्मत एवं रखरखाव (₹281.99 करोड़)।

12.3 निगम के भवनों के संबंध में देय नगरपालिका कर आदि (₹45.00 करोड़)।

ख. नकद हितलाभ

13.1 वर्ष 2018–2019 के परिशोधित प्राक्कलन तथा जिलावार व्याप्ति के कारण 20.24 लाख कर्मचारियों की संभावित अतिरिक्त व्याप्ति को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2019–2020 के दौरान नकद हितलाभों पर ₹1,779.59 करोड़ के खर्च का अनुमान है। वर्धित प्रावधान भी संबंधित उद्दिष्ट निधि में स्थानांतरित किए जाने वाले स्थायी निःशक्तता हितलाभ और आश्रितजन हितलाभ के पूंजीकृत मूल्य के बीमांकिक निर्धारण के फलस्वरूप है।

अन्य हितलाभ

13.2 ₹3.83 करोड़ के प्रावधान में विविध मदों पर हुए खर्च यथा–चिकित्सा बोर्डों, अधिकरणों को अदा किए गए शुल्क, चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के लिए सवारी खर्च हेतु बीमाकृत व्यक्तियों को प्रतिपूर्ति, उक्त बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के लिए बीमाकृत व्यक्तियों को मजदूरी में हुए नुकसान के प्रति भुगतान आदि सम्मिलित हैं। इस प्रावधान में जीवन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के लिए ₹100/– प्रति लाभार्थी यात्रा खर्च का भुगतान भी शामिल है।

13.3 प्रतिव्यक्ति व्यय

प्रतिकर्मचारी प्रतिवर्ष नकद हितलाभों की विभिन्न कोटियों की औसत अनुमानित लागत नीचे दर्शायी गई है :

(₹ में)

क्र. सं.	हितलाभ	2014-2015 वास्तविक	2015-2016 वास्तविक	2016-2017 वास्तविक	2017-2018* वास्तविक	2018-2019 परिशोधित प्राक्कलन	2019-20 बजट प्राक्कलन
i)	बीमारी हितलाभ	140.01	136.98	123.54	127.47	129.83	163.64
ii)	विस्तारित बीमारी हितलाभ	18.81	19.31	17.20	17.03	16.86	14.31
iii)	मातृत्व हितलाभ	47.35	47.22	40.69	75.46	93.53	132.21
iv)	अस्थायी निःशक्तता हितलाभ	54.68	48.56	44.28	38.21	49.17	41.13
v)	स्थायी निःशक्तता हितलाभ (पूंजीकृत मूल्य)	0.00	0.00	211.11	0.00	127.00	96.04
vi)	आश्रितजन हितलाभ (पूंजीकृत मूल्य)	108.06	109.60	235.68	0.00	91.13	64.93
Vii)	अन्त्येष्टि खर्च	8.22	8.11	6.60	6.55	6.36	7.34
viii)	राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना	2.69	2.26	1.67	1.76	1.87	1.76
ix)	अटल बीमित योजना	--लागू नहीं --	--लागू नहीं --	--लागू नहीं --	--लागू नहीं--	3.11	1.47
x)	अन्य हितलाभ	1.43	1.33	1.09	1.04	1.13	1.13
	कुल	**381.25**	**373.37**	**681.86**	**267.52**	**519.99**	**523.95**

*कर्मचारियों की भारित औसत संख्या अनुसार परिकलित।

13.4 अंशदान से आय की प्रतिशतता के अनुसार हितलाभों पर खर्च निम्नानुसार है :

हितलाभ	2014-2015 वास्तविक	2015-2016 वास्तविक	2016-2017* वास्तविक	2017-2018 वास्तविक	2018-2019 परिशोधित प्राक्कलन	2019-2020 बजट प्राक्कलन
चिकित्सा हितलाभ	52.58%	53.36%	60.21%	34.21%	40.61%	57.64%
नकद तथा अन्य हितलाभ	6.30%	6.16%	14.62%	3.20%	8.15%	12.19%

*कर्मचारियों की भारित औसत संख्या अनुसार परिकलित।

प्रशासनिक व्यय :

14.1 बजट प्राक्कलन 2019–2020 में प्रशासन पर व्यय के लिए ₹1,601 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2018–2019 के लिए परिशोधित प्राक्कलन में ₹925.00 करोड़ की तुलना में इसमें वेतन एवं भत्तों के निमित्त ₹1095.00 करोड़ की व्यवस्था की गई है। परिशोधित प्राक्कलन 2018–2019 के आंकड़ों में ₹170.00 करोड़ की वृद्धि, वेतन–वृद्धि का प्रभाव, महंगाई भत्ते में प्रदर्शित वृद्धि, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति आदि के कारण है।

14.2 'अन्य प्रशासनिक व्यय' शीर्ष के अधीन ₹507 करोड़ का प्रावधान वस्तुओं के मूल्य एवं सेवाओं की लागत, भर्ती व्यय तथा कार्यालय भवन की मरम्मत और रखरखाव में वृद्धि को ध्यान में रखकर किया गया है।

14.3 वर्ष 2019–2020 के लिए कुल राजस्व की प्रतिशतता के अनुसार प्रशासनिक लागत 6.79% बनती है।

लिंग तथा बाल बजट

15.1 श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में, क.रा.बी.निगम एक लिंग और बाल बजट प्रकोष्ठ की स्थापना पर विचार कर रहा है। इसके अलावा, क.रा.बी.निगम ने क.रा.बी.निगम के लिए लिंग बजट वार्षिक योजना 2019–2020 के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए भी योजना बनाई है, जिसमें लिंग लेंस के माध्यम से क.रा.बीमा की सभी योजनाओं का तीसरा पक्ष मूल्यांकन, लिंग संवेदीकरण के लिए प्रशिक्षण/कार्यशाला/संगोष्ठी का आयोजन, सेक्स–विच्छेदित डेटा के लिए क.रा.बीमा की सभी योजनाएं शामिल है। क.रा.बीमा योजना के तहत सभी बजट शीर्षों में परिशोधित प्राक्कलन 2019–2020 में महिलाओं के लिए अनुमानित बजट प्रावधान ₹5,586.82 करोड़ किया गया है।

पूंजीगत निर्माण एवं आकस्मिकता आरक्षित निधि में अंशदान

16.1 दिनांक 17.12.2004 को संपन्न निगम की बैठक में किए गए निर्णयानुसार अंशदान आय के 1 प्रतिशत की दर पर पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि में ₹183.33 करोड़ के अंतरण की व्यवस्था की गई है।

16.2 आकस्मिकता आरक्षित निधि में वर्ष 2019–2020 के लिए बजट प्राक्कलन में कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि उक्त निधि में शेष ₹75.00 करोड़ के निर्धारित स्तर पर है।

पूंजीगत लेखा पर व्यय

17.1 बजट प्राक्कलन वर्ष 2019–2020 के लिए पूंजीगत लेखा परिव्यय हेतु विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत बनाई गई परियोजनाएं निम्नानुसार हैं :–

(i)	चिकित्सा संस्थाओं के लिए	₹ 345.51 करोड़
(ii)	अस्पतालों / औषधालयों के लिए	₹ 1,287.45 करोड़
(iii)	क्षेत्रीय / उप क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए	₹ 9.94 करोड़

17.2 वर्ष 2019–2020 के बजट प्राक्कलन में, गैर–परियोजना पर खर्च 392.46 करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें कंप्यूटर के लिए ₹ 177.45 करोड़ और उपकरण (दोनों कार्यालय और चिकित्सा उपकरण) के लिए ₹ 201.06 करोड़ का मुख्य व्यय शामिल है।

व्यय से आय का आधिक्य

18 वर्ष 2018–2019 के परिशोधित प्राक्कलन में प्रत्याशित ₹ 13,929.76 करोड़ की तुलना में वर्ष 2019–2020 के बजट प्राक्कलन में राजस्व लेखे पर खर्च से ₹ 9,442.98 करोड़ की अधिक निवल आय प्रत्याशित है।

19 राजस्व लेखा में आय एवं व्यय के अलावा वित्तीय विवरण अर्थात् विवरण क–आवतियां एवं विवरण ख–व्यय में अन्य लेखा शीर्षों अर्थात् ऋण जमा, आरक्षित निधियां, पेशगियां, प्रेषण एवं नकद शेष आदि के प्राक्कलन भी समाविष्ट हैं। वार्षिक अंशदान एवं संबंधित आरक्षित निधियों में शेष राशियों के निवेश पर जमा ब्याज़ के द्वारा आरक्षित निधियों में धन व्यवस्था प्राप्ति भाग में दर्शाई गई है। आरक्षित निधियों में पहले से उपलब्ध शेष में जमा या निकासी को वर्ष के दौरान विस्तृत शीर्ष आरक्षित निधि निवेश के सामने व्यय भाग में दर्शाया गया है।

अंत रोकड़ शेष

19 31 मार्च, 2019 एवं 2020 को बैंकों में अंत रोकड़ शेष तथा हाथ रोकड़ शेष ₹ 30.00 करोड़ प्रत्याशित है। दिनांक 31.03.2019 एवं 31.03.2020 को ₹ 30.00 करोड़ की राशि खाता संख्या 1 (संग्रह खातों) में रहेगी तथापि, जहां तक संभव हो, हाथ / बैंक में नकद को न्यूनतम स्तर तक प्रतिबंधित किया जाएगा।

20. परिशिष्ट–II के विवरण दर्शाते हैं :

क. अंशदानों से प्रतिव्यक्ति आय;

ख. राजस्व लेखा पर प्रतिव्यक्ति व्यय तथा

ग. अंशदान आय का अंतर।

संध्या

(संध्या शुक्ला)
वित्त आयुक्त

	वर्ष 2018–2019 के लिए परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2019–2020 के लिए बजट प्राक्कलन विवरण—क प्राप्ति				
	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2017–2018	बजट प्राक्कलन 2018–2019	परिशोधित प्राक्कलन 2018–2019	बजट प्राक्कलन 2019–2020
					(₹ लाख में)
	राजस्व के मुख्य शीर्ष				
I.	अंशदान	20,07,718.35	20,90,000.00	21,66,734.00	18,33,390.00
ii.	चिकित्सा हितलाभ पर निगम द्वारा आरम्भ में किए गए व्यय में राज्य सरकार का अंश	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
	राजस्व के अन्य शीर्ष				
iii.	ब्याज़	3,19,688.17	3,92,635.00	4,23,004.00	4,95,203.00
iv.	किराया, पौरकर तथा कर				
	(i) निगम के कार्यालय (स्टाफ क्वार्टरों सहित)	274.15	300.00	300.00	300.00
	(ii) अस्पताल तथा औषधालय (स्टाफ क्वार्टरों सहित)	5,477.60	8,641.00	10,965.00	10,965.00
v.	शुल्क, जुर्माना तथा जब्तियां	3,647.53	3,600.00	4,700.00	4,800.00
vi.	चिकित्सा शिक्षा प्राप्तियां	1,530.88	1,500.00	2,200.00	2,300.00
vii.	विविध	9,699.63	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	कुल–राजस्व	**23,48,036.31**	**25,07,676.00**	**26,09,903.00**	**23,57,958.00**
	ऋण, आरक्षित निधियां, जमा, पेशगियां तथा धन प्रेषण				
	साधारण ऋण, राज्य सरकार (महाराष्ट्र) द्वारा लौटाया गया ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल साधारण ऋण	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	अनिधिक ऋण **क.रा.बी. निगम सामान्य भविष्य निधि**				
I.	कर्मचारियों का अभिदान	17,533.78	19,020.00	17,579.00	19,337.00
ii.	कर्मचारियों के अभिदान पर ब्याज़	7,057.86	8,285.00	7,727.00	8,318.00
iii.	**कुल अनिधिक ऋण**	**24,591.64**	**27,305.00**	**25,306.00**	**27,655.00**
	आरक्षित निधि :				
क.	**स्टाफ क्वार्टरों सहित निगम के कार्यालय भवनों का मूल्यह्रास आरक्षित निधि लेखा**				
I.	निधि में अंतरित वार्षिक मूल्यह्रास प्रभार	787.62	817.00	2,395.09	2,207.66
ii.	निवेश पर प्राप्त ब्याज़	189.43	240.00	154.00	180.00
iii.	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
iv.	**घटाएं–वर्ष के दौरान पेशगियां**	**-1,139.62**	**-7,205.00**	**-5,579.00**	**-9,761.00**

	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2017–2018	बजट प्राक्कलन 2018–2019	परिशोधित प्राक्कलन 2018–2019	बजट प्राक्कलन 2019–2020
					(₹ लाख में)
ख.	**अस्पताल तथा औषधालय भवनों (स्टाफ क्वार्टरों सहित) का मूल्यह्रास आरक्षित निधि लेखा**				
I.	निधि में अंतरित वार्षिक मूल्यह्रास प्रभार	9,754.29	19,689.00	14,010.47	21,432.73
ii.	निवेश पर प्राप्त ब्याज़	6,498.93	7,980.00	6,662.00	7,799.00
iii.	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
iv.	***घटाएं—वर्ष के दौरान पेशगियां***	**-2,628.46**	**-17,845.00**	**-17,095.00**	**-29,480.00**
ग.	**अन्य परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास आरक्षित निधि लेखा (संयंत्र एवं मशीनरी, फर्नीचर तथा वाहन)**				
i	निधि में अंतरित वार्षिक मूल्यह्रास प्रभार	8,919.85	4,320.00	2,395.09	2,207.66
ii	निवेश पर प्राप्त ब्याज़	4,409.56	5,460.00	4,813.00	5,635.00
iii	अन्य प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00
iv.	**घटाएं—वर्ष के दौरान अग्रिम**	**0.00**	**-300.00**	**0.00**	**0.00**
घ.	**स्थायी (आंशिक तथा पूर्ण) निःशक्तता हितलाभ आरक्षित निधि लेखा**				
I.	वार्षिक प्रावधान	0.00	31,206.00	40,730.00	46,840.00
ii.	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	निवेश पर प्राप्त ब्याज़	43,058.89	53,040.00	39,174.00	45,861.00
iv.	**घटाएँ—वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान**	**-22,018.57**	**-31,000.00**	**-34,000.00**	**-44,500.00**
ङ.	**आश्रितजन हितलाभ आरक्षित निधि लेखा**				
i.	वार्षिक प्रावधान	0.00	24,540.00	29,930.00	33,610.00
ii.	अन्य प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	निवेश पर प्राप्त ब्याज़	27,729.61	34,140.00	25,014.00	29,283.00
iv.	**घटाएँ—वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान**	**-17,166.17**	**-19,000.00**	**-28,000.00**	**-32,000.00**

	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2017–2018	बजट प्राक्कलन 2018–2019	परिशोधित प्राक्कलन 2018–2019	बजट प्राक्कलन 2019–2020
					(₹ लाख में)
च.	**चिकित्सा शिक्षा भवन के लिए मूल्यह्रास आरक्षित निधि**				
I.	निधि में अंतरित वार्षिक मूल्यह्रास प्रभार	2,530.34	38,162.00	29,000.00	38,634.00
ii.	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	निवेश पर प्राप्त ब्याज़	199.05	240.00	370.00	433.00
iv.	**घटाएँ—वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
छ.	**कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि—पेंशन**				
I.	वर्ष के लिए वार्षिक प्रावधान	10,516.97	49,027.00	46,962.00	52,563.00
ii.	अन्य प्राप्तियाँ	548.65	220.00	700.00	600.00
iii.	निवेश पर प्राप्त ब्याज़	68,920.30	84,900.00	62,955.00	73,700.00
iv.	**घटाएँ—वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान**	**-42,795.91**	**-55,000.00**	**-58,000.00**	**-63,700.00**
ज.	**कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि—उपदान**				
I.	वर्ष के लिए वार्षिक प्रावधान	3,859.35	14,536.00	8,606.00	9,638.00
ii.	निवेश पर प्राप्त ब्याज़	5,258.63	6,480.00	4,662.00	5,458.00
iii.	**घटाएँ—वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान**	**-8,247.79**	**-10,000.00**	**-10,100.00**	**-12,300.00**
झ.	**कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि—छुट्टी नकदीकरण**				
I.	वर्ष के लिए वार्षिक प्रावधान	-7,588.64	11,887.00	4,323.00	4,842.00
ii.	निवेश पर प्राप्त ब्याज़	4,366.35	5,400.00	3,294.00	3,850.00
iii.	**घटाएँ—वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान**	**-4,108.71**	**-4,400.00**	**-5,000.00**	**-6,100.00**
ञ.	**कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि—पेंशनभोगी चिकित्सा योजना**				
i.	वर्ष के लिए वार्षिक प्रावधान	473.00	5,000.00	500.00	600.00
ii.	पेंशनभोगियों से प्राप्त अंशदान	236.49	300.00	500.00	600.00
iii.	निवेश पर प्राप्त ब्याज़	961.07	1,200.00	896.00	1,049.00
iv.	**घटाएं—वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान**	**-899.06**	**-950.00**	**-1,100.00**	**-1,300.00**

	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2017–2018	बजट प्राक्कलन 2018–2019	परिशोधित प्राक्कलन 2018–2019	बजट प्राक्कलन 2019–2020
					(₹ लाख में)
ट.	**पूंजीगत निर्माण निधि लेखा**				
i.	निधि में अंतरित वार्षिक राशि	20,077.18	20,900.00	21,667.34	18,333.90
ii.	अन्य प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00
	घटाएं—वर्ष के दौरान भवनों के निर्माण के लिए निर्माण एजेंसियों को दी गई पेशगियां				
i.	निगम के कार्यालय (स्टाफ क्वार्टरों सहित)	-1,911.96	-1,239.00	-3,170.00	-994.00
ii.	अस्पताल एवं औषधालय	-35,658.16	-1,97,179.00	-87,587.00	-12,8745.00
iii.	चिकित्सा शिक्षा परियोजनाएं	-32,129.48	-1,00,554.00	-56,504.00	-34,551.00
ठ.	**आकस्मिकता आरक्षित निधि लेखा**	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल आरक्षित निधियां	**43,003.03**	**-24,988.00**	**-14,7261.00**	**-41,926.05**
	जमा				
i.	प्रतिभूति जमा	752.43	1,100.00	1,100.00	1,150.00
ii.	अन्य जमा	1,978.65	2,300.00	9,000.00	5,000.00
iii.	**कुल जमा**	**2,731.08**	**3,400.00**	**10,100.00**	**6,150.00**
	पेशगियां				
i.	**स्थायी पेशगियां**	4.99	10.00	10.00	10.00
ii.	**निगम के कर्मचारियों को पेशगी**				
क.	स्थानांतरण पर वेतन अग्रिम	13.66	0.00	5.00	5.00
ख.	स्थानांतरण पर परिवहन भत्ता अग्रिम	17.70	25.00	25.00	30.00
ग.	दौरे पर परिवहन भत्ता अग्रिम	93.62	130.00	140.00	150.00
घ.	छुट्टी यात्रा रियायत के लिए अग्रिम	879.59	1,000.00	1,050.00	1,100.00
ङ	मोटर वाहन की खरीद के लिए अग्रिम	74.04	60.00	60.00	70.00
च.	अन्य वाहन की खरीद के लिए अग्रिम	0.30	1.00	1.00	1.00
छ.	गृह निर्माण अग्रिम	26.59	100.00	100.00	200.00
ज.	कम्प्यूटर अग्रिम	206.75	450.00	300.00	400.00
झ.	विविध अग्रिम (त्योहार अग्रिम, बाढ़ अग्रिम, चिकित्सा एवं पंखा अग्रिम)	260.52	650.00	600.00	650.00
iii.	**अन्य पेशगियां**				
क.	राज्य सरकार/निर्माण/कर्मचारी बीमा न्यायालय को अदा की गई पेशगियां	423.16	2,000.00	2,000.00	2,000.00
ख.	विविध	1,531.25	2,600.00	2,600.00	2,600.00
ग.	विशेष अग्रिम	9.01	60.00	60.00	60.00
	कुल अग्रिम (I+II+III)	**3,541.43**	**7,086.00**	**6,951.00**	**7,276.00**

	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2017–2018	बजट प्राक्कलन 2018–2019	परिशोधित प्राक्कलन 2018–2019	बजट प्राक्कलन 2019–2020
					(₹ लाख में)
	धन प्रेषण				
i.	नकदी प्रेषण (क)	12,00,039.77	12,00,000.00	13,50,000.00	15,00,000.00
ii.	अन्य धन प्रेषण (ख)	20,11,456.26	18,40,000.00	22,00,000.00	24,50,000.00
	कुल धन प्रेषण	**32,11,496.03**	**30,40,000.00**	**35,50,000.00**	**39,50,000.00**
	कुल ऋण, आरक्षित निधियां, जमा, अग्रिम एवं धन प्रेषण आदि	**32,85,363.21**	**30,52,803.00**	**36,35,934.65**	**40,33,007.45**
	कुल प्राप्तियां	**56,75,043.60**	**55,60,479.00**	**62,45,837.65**	**63,90,965.05**
	आदि रोकड़ शेष	16,685.23	3,000.00	6,345.22	3,000.00
	प्राप्तियों का कुल योग	**56,50,084.75**	**55,63,479.00**	**62,52,182.87**	**63,93,965.05**

(क) "नकद धन प्रेषण" शब्द का अर्थ एक लेखा परिमंडल से अन्य लेखा परिमंडल को तथा इसके विपरीत क्रम से निधियों (नकद) का अंतरण है। निगम का राजस्व भारतीय स्टेट बैंक एवं इसके सहयोगी बैंकों के माध्यम से एकत्र किया जाता है। प्राप्त अंशदान टेलीग्राफिक अंतरणों के माध्यम से खाता संख्या 1 केन्द्रीय (मुख्यालय) में साप्ताहिक रूप में अंतरित किया जाता है।

(ख) "अन्य धन प्रेषण" शब्द का अर्थ निगम के एक कार्यालय से अन्य कार्यालयों के बीच खाता समायोजन है। निगम के एक कार्यालय में किया गया ऐसा लेनदेन जिसका समायोजन किसी दूसरे कार्यालयों के खाते में किया जाता हो, का अंतरण विनिमय खाते के माध्यम से किया जाता है और इसे इस शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाता है।

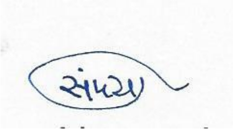

(संध्या शुक्ला)
वित्त आयुक्त

वर्ष 2018–2019 के लिए परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2019–2020 के लिए बजट प्राक्कलन विवरण—ख व्यय						
	लेखा शीर्ष		वास्तविक 2017–2018	बजट प्राक्कलन 2018–2019	परिशोधित प्राक्कलन 2018–2019	बजट प्राक्कलन 2019–2020
						(₹ लाख में)
राजस्व लेखे पर व्यय						
1	**बीमाकृत व्यक्तियों और उनके परिजनों को हितलाभ :**					
क.	**चिकित्सा हितलाभ**					
I.	i)	चिकित्सा देखरेख उपचार तथा मातृत्व सुविधाओं पर खर्च में निगम के अंश के रूप में राज्य सरकारों को भुगतान	2,90,665.51	5,21,100.00	3,33,895.00	4,53,330.00
	ii)	वर्धित उच्चतम सीमा हेतु अतिरिक्त प्रावधान	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00
II.	निम्न पर निगम द्वारा सीधे किया गया व्यय :					
क)	व्यावसायिक रोग केन्द्र/आदर्श अस्पताल सहित अस्पताल		2,49,084.51	3,13,220.00	3,28,377.00	3,39,897.00
ख)	अति विशिष्टता उपचार		95,535.16	1,17,673.00	1,17,673.00	1,48,350.00
ग)	बीमाकृत महिलाओं और बीमाकृत व्यक्तियों की पत्नियों को प्रसव भत्ता		430.75	700.00	500.00	720.00
घ)	अस्पताल एवं औषधालय का मूल्यह्रास प्रावधान		11,690.26	19,689.00	7,652.19	13,773.24
ङ)	मरम्मत एवं रखरखाव (अस्पताल एवं औषधालय)		13,858.82	24,572.00	23,581.00	28,199.00
च)	अस्पताल एवं औषधालय का किराया, भाड़ा तथा कर		1,263.11	2,000.00	4,500.00	4,500.00
छ)	चिकित्सा स्वास्थ्य बीमा/औषधालय–सह–शाखा कार्यालय[12]		0.00	1,56,700.00	0.00	100.00
ज)	आशोधित नियोक्ता उपयोगिता औषधालय (एमईयूडी)/बीमा चिकित्सा व्यवसायी (आइएमपी)		0.00	50,000.00	400.00	1,000.00
झ)	स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी)पर व्यय		0.00	0.00	9.00	56.00
III.	चिकित्सा शिक्षा		24,245.88	58,642.00	53,320.00	66,904.00
	जोड़—क—चिकित्सा हितलाभ :		**6,86,774.00**	**12,64,296.00**	**8,79,907.19**	**10,56,829.24**
ख.	**नकद हितलाभ**					
i.	बीमारी हितलाभ		30,748.04	41,638.00	41,640.00	55,700.00
ii.	विस्तारित बीमारी हितलाभ		4,107.81	5,405.00	5,410.00	4,870.00
iii.	मातृत्व हितलाभ		18,202.93	13,134.00	40,000.00	45,000.00
iv.	निःशक्तता हितलाभः					
	क. अस्थायी निःशक्तता		9,218.20	15,764.00	15,770.00	14,000.00
	ख. स्थायी निःशक्तता		0.00	31,206.00	40,730.00	32,689.00

[12] इस बजट शीर्ष का नाम बदला/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2017–2018	बजट प्राक्कलन 2018–2019	परिशोधित प्राक्कलन 2018–2019	बजट प्राक्कलन 2019–2020
					(₹ लाख में)
v.	आश्रितजन हितलाभ	0.00	24,540.00	29,230.00	22,100.00
vi	अंत्येष्टि खर्च	1,581.36	1,729.00	2,040.00	2,500.00
vii.	राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना	426.44	500.00	700.00	600.00
viii	अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना[13]	0.00	0.00	1,000.00	500.00
	योग—ख—नकद हितलाभ	**64,284.78**	**1,33,916.00**	**1,76,520.00**	**1,77,959.00**
ग.	**अन्य हितलाभ :**				
i.	चिकित्सा बोर्ड व अपील अधिकरण	59.35	80.00	80.00	85.00
ii	सवारी प्रभार के निमित्त बीमाकृत व्यक्तियों को भुगतान	148.39	210.00	210.00	220.00
iii.	मजदूरी की हानि के निमित्त बीमाकृत व्यक्तियों को भुगतान	14.09	25.00	25.00	25.00
iv.	विविध	30.61	40.00	45.00	50.00
v.	बीमाकृत व्यक्तियों को पुनर्वास भत्ता	0.00	3.00	3.00	3.00
	योग—ग—अन्य हितलाभ	**252.44**	**358.00**	**363.00**	**383.00**
	योग शीर्ष—1 हितलाभ	**7,51,311.22**	**13,98,570.00**	**10,56,790.19**	**12,35,171.24**
	प्रशासनिक व्यय				
क.	**अधीक्षण :**				
	अधिकारी :				
i.	वेतन	7,144.43	8,500.00	7,500.00	9,000.00
ii.	भत्ते एवं मानदेय	2,389.33	3,500.00	3,200.00	4,000.00
iii.	बोनस	0.00	4.00	0.00	4.00
iv.	संविदात्मक कर्मचारी	88.95	140.00	140.00	140.00
	कुल अधिकारी	**9,622.71**	**12,144.00**	**10,840.00**	**13,144.00**
	लिपिकवर्गीय स्थापनाएँ				
i.	वेतन	22,987.56	28,500.00	26,000.00	30,000.00
ii.	भत्ते एवं मानदेय	7,603.75	13,500.00	11,000.00	15,000.00
iii.	बोनस	767.39	1,500.00	900.00	950.00
iv.	संविदात्मक कर्मचारी	214.81	350.00	280.00	3000.00
	कुल लिपिकवर्गीय स्थापनाएँ:	**31,573.51**	**43,850.00**	**38,180.00**	**46,250.00**
समूह 'घ' कर्मचारी					
i.	वेतन	74.97	120.00	110.00	140.00
ii.	भत्ते एवं मानदेय	26.48	60.00	50.00	70.00
iii.	बोनस	1.77	10.00	5.00	6.00
iv.	संविदात्मक कर्मचारी	0.00	20.00	5.00	5.00
	कुल समूह 'घ' कर्मचारी	**103.22**	**210.00**	**170.00**	**221.00**
	कुल 'क' अधीक्षण (i)	**41,299.44**	**56,204.00**	**49,190.00**	**59,615.00**

[13] अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के लिए क.रा.बीमा (केंद्रीय) नियमावली के नियम 32 के अंतर्गत वर्ष 2018–2019 के लिए अनुपूरक प्राक्कलन प्रस्तावित किया गया है क्योंकि यह वर्ष 2018–2019 के दौरान पेश की गई नई योजना है।

	लेखा शीर्ष		वास्तविक 2017–2018	बजट प्राक्कलन 2018–2019	परिशोधित प्राक्कलन 2018–2019	बजट प्राक्कलन 2019–2020
						(₹ लाख में)
	ख—क्षेत्र कार्य					
	अधिकारी					
i.	वेतन		298.26	350.00	300.00	500.00
ii.	भत्ते एवं मानदेय		87.87	140.00	230.00	280.00
iii.	बोनस		3.50	7.00	5.00	7.00
iv.	संविदात्मक कर्मचारी		0.85	3.00	1.00	2.00
	कुल—अधिकारी		**390.48**	**500.00**	**536.00**	**789.00**
	लिपिकवर्गीय स्थापना					
i.	वेतन		10,619.80	13,500.00	12,000.00	14,000.00
ii.	भत्ते एवं मानदेय		3,064.50	5,000.00	4,300.00	5,500.00
iii.	बेनस		290.86	350.00	350.00	400.00
iv.	संविदात्मक कर्मचारी		2.10	12.00	5.00	7.00
	कुल—लिपिकवर्गीय स्थापना		**13,977.26**	**18,862.00**	**16,655.00**	**19,907.00**
	समूह 'घ' कर्मचारी :					
i.	व्तन		27.02	120.00	50.00	80.00
ii.	भत्ते एवं मानदेय		12.76	60.00	20.00	30.00
iii.	बेनस		1.14	2.00	2.00	4.00
iv.	संविदात्मक कर्मचारी		0.13	10.00	2.00	4.00
	कुल समूह 'घ' कर्मचारी :		**41.05**	**192.00**	**74.00**	**118.00**
	कुल—ख—क्षेत्र कार्य (ii)		**14,408.79**	**19,554.00**	**17,265.00**	**20,814.00**
	क–अधीक्षण और ख–क्षेत्र कार्य अधिकारियों/स्टाफ के लिए साझा व्यय					
क.	स्टाफ कल्याण व्यय		144.65	400.00	800.00	1,000.00
ख.	छुट्टी वेतन एवं पेंशन अंशदान		5.57	12.00	100.00	100.00
ग.	अनुकम्पा अनुदान		0.16	3.00	15.00	15.00
घ.	भविष्य निधि जमा संबद्ध बीमा योजना		11.78	17.00	18.36	20.20
ङ	कर्मचारी हितलाभों पर व्यय					
	i)	पेंशन	7,505.38	32,678.00	17,571.49	19,680.08
	ii)	डपदान	2,317.99	5,088.00	3,222.07	3,608.73
	iii)	छुट्टी नकदीकरण	0.00	4,161.00	1,618.60	1,812.83
	iv)	पेंशनभोगी चिकित्सा योजना	473.00	1,750.00	187.18	224.63
	v)	नई पेंशन योजना में क.रा.बी. निगम का भाग	1,678.60	2,200.00	2,400.00	2,500.00
च.	समूह बचत संबद्ध बीमा योजना में क.रा.बी. निगम का भाग		12.72	125.00	50.00	100.00
	कुल (iii)		**12,149.85**	**46,434.00**	**25,982.70**	**29,061.47**
	कुल स्थापना व्यय (i+ii+iii)		**67,858.08**	**1,22,192.00**	**92,437.70**	**1,09,493.47**

	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2017–2018	बजट प्राक्कलन 2018–2019	परिशोधित प्राक्कलन 2018–2019	बजट प्राक्कलन 2019–2020
					(₹ लाख में)
	ग. अन्य प्रशासनिक व्यय				
1.	विद्युत एवं शक्ति	1,827.01	3,100.00	2,500.00	2,800.00
2.	जल प्रभार	150.93	220.00	240.00	290.00
3.	बीमा	28.36	155.00	200.00	230.00
4.	किराया, पौरकर एवं कर	4,709.36	10,600.00	8,000.00	8,500.00
5.	वाहन, चालन एवं अनुरक्षण (भाड़ा प्रभार सहित)	375.04	800.00	600.00	700.00
6.	डाक, दूरभाष एवं संचार प्रभार	516.14	850.00	700.00	800.00
7.	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	391.70	800.00	600.00	800.00
8.	यात्रा एवं वाहन व्यय				
	क) निगम/स्थायी समिति/क्षेत्रीय बोर्ड/स्थानीय समिति	103.59	250.00	320.00	350.00
	ख) अन्य (क.रा.बी. निगम कर्मचारी)	655.37	1,200.00	850.00	850.00
9.	संगोष्ठी/कार्यशाला पर व्यय	136.39	250.00	250.00	330.00
10.	सदस्यता व्यय—पत्र/पत्रिकाएँ	33.62	100.00	100.00	110.00
11.	लेखापरीक्षा शुल्क	24.13	560.00	100.00	550.00
12.	विधिक प्रभार	462.53	530.00	500.00	530.00
13.	बीमा न्यायालय	16.26	15.00	80.00	100.00
14.	अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों को अंशदान	74.64	90.00	90.00	90.00
15.	गृह प्रबंधन व्यय	1,792.61	2,100.00	2,200.00	2,600.00
16.	स्वच्छता कार्य योजना(एसएपी)	0.00	0.00	25.00	153.00
17.	**बैंक खाते अनुरक्षण तथा अन्य बैंक शुल्कों हेतु व्यय**	1,298.26	1,200.00	1,000.00	900.00
18.	हानियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	मरम्मत एवं रख–रखाव–कम्प्यूटर एवं अन्य	7,776.37	9,100.00	7,300.00	5,630.00
20.	भर्ती व्यय	3,593.52	2,300.00	3,200.00	5,000.00
21.	राजस्व वसूली कक्ष	47.61	110.00	150.00	180.00
22.	विज्ञापन एवं प्रचार	1,532.77	3,200.00	2,500.00	3,000.00
23.	पहरा व निगरानी	3,964.97	4,500.00	4,800.00	4,900.00
24.	प्रशिक्षण	67.25	410.00	300.00	350.00
25.	विविध*	1,403.89	2,200.00	2,300.00	2,450.00
26.	कार्यालय भवन तथा स्टाफ क्वार्टर की मरम्मत एवं रख–रखाव	2,737.02	6,134.00	5,050.00	6,370.00
27.	परामर्श सेवाएं	0.00	70.00	70.00	70.00
28.	निवेश प्रबंधन प्रभार	0.00	150.00	7.00	31.00
29.	मूल्यह्रास	1,523.18	817.00	2,000.00	2,000.00
II	**कुल अन्य प्रशासनिक व्यय**	**35,242.52**	**51,811.00**	**46,032.00**	**50,664.00**
	कुल प्रशासनिक व्यय (I + II + III)	**1,03,100.60**	**1,74,003.00**	**1,38,469.70**	**1,60,157.47**

*मध्यस्थता के लिए क्षतिपूर्ति हेतु प्रदान की गई 1 करोड़ की राशि शामिल।

	लेखा शीर्ष		वास्तविक 2017–2018	बजट प्राक्कलन 2018–2019	परिशोधित प्राक्कलन 2018–2019	बजट प्राक्कलन 2019–2020
						(₹ लाख में)
4	**पूंजीगत निर्माण तथा आकस्मिकता आरक्षित निधियों में अंशदान**					
	क.	पूंजीगत निर्माण निधि में वार्षिक अंशदान (अंशदान आय के 1% की दर पर)	20,077.18	20,900.00	21,667.34	18,333.90
	ख.	आकस्मिक आरक्षित निधि में वार्षिक अंशदान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल शीर्ष–4 पूंजीगत निर्माण तथा आकस्मिक आरक्षित निधियों में अंशदान		**20,077.18**	**20,900.00**	**21,667.34**	**18,333.90**
	राजस्व लेखाओं में कुल व्ययः		**8,74,489.00**	**15,93,473.00**	**12,16,926.89**	14,13,659.71
5	**पूंजीगत लेखा पर व्यय**					
(क)	i)	वाहन	20.35	160.00	150.00	160.00
	ii)	कार्यालय उपस्कर	4,549.45	8,006.00	16,829.00	20,106.00
	iii)	फर्नीचर एवं फिक्सचर	569.40	750.00	950.00	1,100.00
	iv)	कम्प्यूटर	1,008.16	1,375.00	3,010.00	17,745.00
	v)	पुस्तकें	167.68	130.00	130.00	130.00
	vi)	चिकित्सा शिक्षा सहायता	0.36	1,950.00	5.00	5.00
	कुल		**6,315.39**	**12,371.00**	**21,074.00**	**39,246.00**
(ख)	**परियोजनाएं**					
	कार्यालय भवन एवं स्टाफ क्वार्टर्स		1,911.96	1,239.00	3,170.00	994.00
	स्टाफ क्वार्टर्स सहित अस्पताल एवं औषधालय		35,658.16	1,97,179.00	87,587.00	1,28,745.00
	चिकित्सा महाविद्यालय और स्टाफ क्वार्टर्स		32,129.48	1,00,554.00	56,504.00	34,551.00
	कुल(ख)		**69,699.60**	**2,98,972.00**	**1,47,261.00**	**1,64,290.00**
	कुल योग–पूंजीगत व्यय (क+ख)		**76,014.44**	**3,11,343.00**	**1,68,335.00**	**2,03,536.00**
	ऋण, आरक्षित निधियां, जमा, पेशगियां तथा प्रेषित धन अनिधिक ऋण :					
	क.रा.बी.निगम सामान्य भविष्य निधि					
	अभिदाताओं को अदायगी		18,804.95	20,218.00	21,523.00	23,675.00
	कुल निधिरहित ऋण		**18,804.95**	**20,218.00**	**21,523.00**	**23,675.00**
	आरक्षित निधियाँ					
क.	निगम के कार्यालय भवनों (स्टाफ क्वार्टरों सहित) का मूल्यह्रास आरक्षित निधि निवेश लेखा					
	वर्ष के दौरान किया गया निवेश		-162.57	-6,148.00	-3,029.91	-7,373.34
ख.	अस्पताल व औषधालय भवन (स्टाफ क्वार्टरों सहित) का मूल्यह्रास आरक्षित निधि निवेश लेखा					
	वर्ष के दौरान किया गया निवेश		13,624.76	9,824.00	3,577.47	-248.27

	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2017–2018	बजट प्राक्कलन 2018–2019	परिशोधित प्राक्कलन 2018–2019	बजट प्राक्कलन 2019–2020
					(₹ लाख में)
ग.	अन्य परिसंपत्तियों (संयंत्र और मशीनरी, फर्नीचर और वाहन) की मूल्यह्रास आरक्षित निधि				
	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	13,329.41	9,480.00	7,208.09	7,842.66
घ.	स्थायी (आंशिक तथा पूर्ण) निःशक्तता हितलाभ आरक्षित निधि निवेश लेखा				
	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	21,040.32	53,246.00	45,904.00	48,201.00
ङ.	आश्रितजन हितलाभ आरक्षित निधि निवेश लेखा				
	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	10,563.44	39,680.00	26,944.00	30,893.00
च.	चिकित्सा शिक्षा भवन हेतु मूल्यह्रास आरक्षित निधि				
	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	2,729.34	38,402.00	29,370.00	39,068.77
छ.	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि : पेंशन				
	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	37,190.00	79,147.00	52,617.00	63,163.00
ज.	क.रा.बी. निगम सामान्य भविष्य निधि निवेश खाता				
	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	5,786.69	7,087.00	3,783.00	3,980.00
झ.	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि : उपदान				
	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	870.19	11,016.00	3,168.00	2,796.00
ञ.	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि : छुट्टी नकदीकरण				
	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	-7,331.00	12,887.00	2,617.00	2,592.00
ट.	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि : पेंशनभोगी चिकित्सा योजना				
	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	771.50	5,550.00	796.00	949.00
ठ.	पूँजीगत निर्माण निधि निवेश खाता				
	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	-49,622.42	-2,78,072.00	-1,25,594.00	-1,45,956.00
	कुल आरक्षित निधियां :	**48,789.66**	**-17,901.00**	**47,360.65**	**45,907.82**

	लेखा शीर्ष		वास्तविक 2017–2018	बजट प्राक्कलन 2018–2019	परिशोधित प्राक्कलन 2018–2019	बजट प्राक्कलन 2019–2020
						(₹ लाख में)
	जमा :					
	i.	प्रतिभूतियों में जमा	321.84	2,000.00	1,000.00	1,000.00
	ii.	अन्य जमा (क)	1,940.20	4,500.00	10,000.00	10,000.00
	कुल जमा :		**2,262.04**	**6,500.00**	**11,000.00**	**11,000.00**
	पेशगियाँ :					
क.	स्थायी पेशगियाँ		74.00	50.00	50.00	50.00
ख.	निगम के कर्मचारियों को पेशगियाँ					
	i.	स्थानांतरण पर वेतन पेशगी	4.54	0.00	5.00	5.00
	ii.	स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता पेशगी	11.27	100.00	100.00	100.00
	iii.	दौरे पर यात्रा भत्ते हेतु पेशगी	98.73	180.00	180.00	180.00
	iv.	छुट्टी यात्रा रियायत हेतु पेशगी	1,180.34	1,200.00	1,300.00	1,350.00
	v.	मोटर वाहन की खरीद हेतु पेशगी	3.16	0.00	4.00	4.00
	vi.	कम्प्यूटर अग्रिम	143.92	900.00	900.00	900.00
	vii.	अन्य वाहन की खरीद हेतु पेशगी	0.00	0.00	0.00	0.00
	viii.	गृह निर्माण पेशगी	15.11	2,200.00	2,200.00	2,800.00
	ix.	विविध पेशगियाँ (त्योहार, बाढ़ एवं पंखा पेशगियाँ)	302.06	970.00	450.00	500.00
ग.	**अन्य पेशगियां :**					
	i.	राज्य सरकारों / निर्माण एजेंसियों को पेशगी अदायगियां	2,275.36	3,500.00	3,500.00	3,500.00
	ii.	विविध	2,795.44	7,000.00	5,000.00	5,000.00
	iii.	विशेष पेशगियां	13.20	450.00	450.00	450.00
	कुल पेशगियां :		**6,843.13**	**16,550.00**	**14,139.00**	**14,839.00**
	प्रेषित धन					
	नकद प्रेषण (क)		11,86,002.44	12,00,000.00	13,50,000.00	15,00,000.00
	अन्य प्रेषण (ख)		20,19,470.64	18,40,000.00	22,00,000.00	24,50,000.00
	कुल प्रेषित धन :		**32,05,473.08**	**30,40,000.00**	**35,50,000.00**	**39,50,000.00**
	कुल—ऋण, आरक्षित निधियां, जमा, पेशगियां तथा प्रेषित धन :		**32,82,172.86**	**30,65,367.00**	**36,44,022.65**	**40,45,421.82**
	कुल संवितरण :		**42,32,676.85**	**49,70,183.00**	**50,29,284.54**	**56,62,617.53**

	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2017–2018	बजट प्राक्कलन 2018–2019	परिशोधित प्राक्कलन 2018–2019	बजट प्राक्कलन 2019–2020
					(₹ लाख में)
	क.रा.बी. सामान्य आरक्षित निधि				
	1. वर्ष (ग) के दौरान निवेश (वसूली का निवल)	14,59,852.34	5,72,395.00	12,67,258.98	5,80,144.34
	घटाएं—आरक्षित निधि निवेश लेखाओं में अंतरण	48,789.66	-17,901.00	47,360.65	45,907.82
	क.रा.बी. सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित अधिशेष	**14,11,062.68**	**5,90,296.00**	**12,19,898.33**	**7,28,347.52**
	अंत शेष (हाथ / बैंक रोकड़)	6,345.22	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	कुल भुगतान योग	**56,50,084.75**	**55,63,479.00**	**62,52,182.87**	**63,93,965.05**

(क)	"नकद धन प्रेषण" शब्द का अर्थ एक लेखा परिमंडल से अन्य लेखा परिमंडल को तथा इसके विपरीत क्रम से निधियों (नकद) का अंतरण है। निगम का राजस्व भारतीय स्टेट बैंक एवं इसके सहयोगी बैंकों के माध्यम से एकत्र किया जाता है। प्राप्त अंशदान टेलीग्राफिक अंतरणों के माध्यम से खाता संख्या 1 केन्द्रीय (मुख्यालय) में साप्ताहिक रूप में अंतरित किया जाता है।
(ख)	"अन्य धन प्रेषण" शब्द का अर्थ निगम के एक कार्यालय से अन्य कार्यालयों के बीच खाता समायोजन है। निगम के एक कार्यालय में किया गया ऐसा लेनदेन जिसका समायोजन किसी दूसरे कार्यालयों के खाते में किया जाता हो, का अंतरण विनिमय खाते के माध्यम से किया जाता है और इसे इस शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाता है।

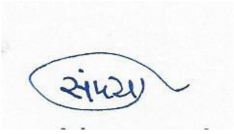

(संध्या शुक्ला)
वित्त आयुक्त

परिशिष्ट–1

31 मार्च, 2017 तथा 2018 तक योजना के अंतर्गत व्याप्त तथा 31 मार्च, 2019 और 31 मार्च, 2020 तक योजना के अंतर्गत व्याप्त किए जाने वाले संभावित कर्मचारियों की संख्या

क्र. सं.	राज्य / क्षेत्र	कर्मचारियों की संख्या					
		31-3-2017 की स्थिति के अनुसार	**31-3-2018** की स्थिति के अनुसार	**1.4.18** से **31.3.2019** के दौरान चरणबद्ध	**31-3-2019** की स्थिति के अनुसार	**1.4.19** से **31.3.2020** के दौरान चरणबद्ध	**31-3-2020** की स्थिति के अनुसार
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	आंध्र प्रदेश						
1	**i)** तिरुपति	1,98,560	2,22,600	13,645	2,36,245	14,482	2,50,727
	ii) विजयवाड़ा और येन्नम	4,40,440	5,37,720	32,962	5,70,682	34,983	6,05,665
	iii) विशाखापत्तनम	3,12,360	3,20,490	19,646	3,40,136	20,850	3,60,986
2	तेलंगाना	15,22,130	15,69,580	96,215	16,65,795	1,02,113	17,67,909
3	असम, मेघालय, नागालैण्ड, सिक्किम तथा त्रिपुरा	2,05,910	2,43,040	14,898	2,57,938	15,812	2,73,750
4	बिहार	1,88,780	2,17,060	13,306	2,30,366	14,121	2,44,487
5	चंडीगढ़ (संघ राज्यक्षेत्र)	2,17,860	2,16,700	13,284	2,29,984	14,098	2,44,082
6	छत्तीसगढ़	3,89,150	5,11,940	31,382	5,43,322	33,306	5,76,628
	दिल्ली						
7	**i)** राजेन्द्र प्लेस	8,13,760	4,14,110	25,385	4,39,495	26,941	4,66,436
	ii) नंद नगरी		1,88,020	11,526	1,99,546	12,232	2,11,778
8	**iii)** रोहिणी	2,23,260	2,24,810	13,781	2,38,591	14,626	2,53,216
9	**iv)** ओखला	7,58,710	8,77,680	53,802	9,31,482	57,100	9,88,582
10	गोवा	2,62,650	2,16,020	13,242	2,29,262	14,054	2,43,316
	गुजरात						
11	**i)** अहमदाबाद	6,52,420	7,27,490	44,595	7,72,085	47,329	8,19,414
12	**ii)** वडोदरा	2,46,490	2,59,450	15,904	2,75,354	16,879	2,92,234
13	**iii)** सूरत	4,49,730	4,29,160	26,308	4,55,468	27,920	4,83,388
	हरियाणा						
14	**i)** फरीदाबाद	6,59,220	7,22,570	44,294	7,66,864	47,009	8,13,872
15	**ii)** गुड़गांव	18,50,600	16,71,470	1,02,461	17,73,931	1,08,742	18,82,673
16	**iii)** अंबाला	1,92,310	2,34,860	14,397	2,49,257	15,279	2,64,536
17	हिमाचल प्रदेश	2,55,660	2,78,600	17,078	2,95,678	18,125	3,13,803
18	जम्मू एवं कश्मीर	2,33,520	2,63,990	16,183	2,80,173	17,175	2,97,347
19	झारखण्ड	2,95,030	3,48,300	21,351	3,69,651	22,660	3,92,310
	कर्नाटक						
20	**i)** बेंगलुरु	9,67,160	10,35,230	63,460	10,98,690	67,350	11,66,039
21	**ii)** हुबली	2,71,560	2,83,610	17,385	3,00,995	18,451	3,19,446
22	**iii)** पीण्या	5,01,980	5,13,900	31,502	5,45,402	33,433	5,78,835
23	**iv)** बोम्मसंद्रा	7,76,520	7,58,340	46,486	8,04,826	49,336	8,54,162
24	**v)** गुलबर्गा	1,39,480	1,48,160	9,082	1,57,242	9,639	1,66,881
25	**vi)** मैसूर	1,84,090	2,00,830	12,311	2,13,141	13,066	2,26,206
26	**vii)** मैंगलौर	1,68,330	1,85,320	11,360	1,96,680	12,056	2,08,737
	केरल तथा माहे						
27	**i)** तृश्शूर	1,34,530	1,56,450	9,590	1,66,040	10,178	1,76,219
28	**ii)** एरणाकुलम	3,72,480	4,05,300	24,845	4,30,145	26,368	4,56,513
29	**iii)** कोल्लम	1,12,360	1,40,630	8,621	1,49,251	9,149	1,58,400
30	**iv)** कोषिकोड	1,36,170	1,69,430	10,386	1,79,816	11,023	1,90,839
31	**v)** तिरुवनंतपुरम	1,13,360	1,17,540	7,205	1,24,745	7,647	1,32,392
32	मध्य प्रदेश	7,18,720	8,65,940	53,082	9,19,022	56,336	9,75,358
	महाराष्ट्र						
33	**i)** लोअर परेल	6,75,890	6,21,210	38,080	6,59,290	40,414	6,99,705
34	**ii)** मरोल	9,39,770	9,08,420	55,686	9,64,106	59,100	10,23,206
35	**iii)** ठाणे	6,12,390	7,29,640	44,727	7,74,367	47,469	8,21,836
36	**iv)** नागपुर	2,76,950	3,22,240	19,753	3,41,993	20,964	3,62,958
37	**v)** औरंगाबाद	2,19,430	2,18,260	13,379	2,31,639	14,199	2,45,839
38	**vi)** पुणे	11,52,790	12,19,070	74,729	12,93,799	79,310	13,73,109
39	**vii)** नाशिक	1,48,490	1,50,960	9,254	1,60,214	9,821	1,70,035
40	ओड़िशा	5,10,880	6,24,060	38,255	6,62,315	40,600	7,02,915
41	पुदुच्चेरी	1,05,460	1,14,530	7,021	1,21,551	7,451	1,29,002
	पंजाब						
42	**i)** चंडीगढ़ (पंजाब)	4,37,120	4,64,480	28,473	4,92,953	30,218	5,23,171

43	**ii)** जालंधर	2,21,450	2,29,260	14,054	2,43,314	14,915	2,58,229
44	**iii)** लुधियाना	3,68,230	3,76,880	23,103	3,99,983	24,519	4,24,502
	राजस्थान						
45	**i)** जयपुर	8,41,430	9,11,470	55,873	9,67,343	59,298	10,26,641
46	**ii)** उदयपुर	1,86,320	1,95,350	11,975	2,07,325	12,709	2,20,034
47	**iii)** जोधपुर	1,27,330	1,51,590	9,292	1,60,882	9,862	1,70,745
	तमिलनाडु						
48	**i)** चेन्नै	20,34,510	21,51,200	1,31,869	22,83,069	1,39,952	24,23,021
49	**ii)** तिरुनेलवेली	1,83,860	2,09,980	12,872	2,22,852	13,661	2,36,513
50	**iii)** सेलम	3,24,950	3,99,760	24,505	4,24,265	26,007	4,50,273
51	**iv)** कोयम्बतूर	6,79,250	7,04,120	43,163	7,47,283	45,808	7,93,091
52	**v)** मदुरै	3,81,550	4,03,700	24,747	4,28,447	26,264	4,54,711
	उत्तर प्रदेश						
53	**i)** कानपुर	3,62,860	3,89,750	23,892	4,13,642	25,356	4,38,998
54	**ii)** वाराणसी	64,940	83,160	5,098	88,258	5,410	93,668
55	**iii)** नोएडा	10,10,790	10,41,960	63,872	11,05,832	67,788	11,73,620
56	**iv)** लखनऊ	2,88,930	3,54,360	21,722	3,76,082	23,054	3,99,136
57	उत्तराखण्ड	5,27,880	5,96,690	36,577	6,33,267	38,819	6,72,086
	पश्चिम बंगाल						
58	**i)** बैरकपुर	2,94,670	13,56,930	83,180	14,40,110	88,279	15,28,389
59	**ii)** कोलकाता	12,20,200	2,92,000	17,900	3,09,900	18,997	3,28,896
60	**iii)** दुर्गापुर	1,57,450	2,01,840	12,373	2,14,213	13,131	2,27,344
	अखिल भारत	**2,93,21,060**	**3,11,18,680**	**19,07,575**	**3,30,26,255**	**20,24,509**	**3,50,50,765**

परिशिष्ट–2

प्रतिव्यक्ति आय–व्यय का सूचक विवरण

वर्ष	प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी अंशदान आय की राशि	राजस्व लेखे में व्यय	अन्तर
1998-1999	1466	1034	432
1999-2000	1578	1261	317
2000-2001	1608	1306	302
2001-2002	1676	1397	279
2002-2003	1840	1488	352
2003-2004	1961	1564	397
2004-2005	2306	1602	704
2005-2006	2421	1577	844
2006-2007	2782	1503	1279
2007-2008	3196	1485	1711
2008-2009	3115	1711	1404
2009-2010	2944	2020	924
2010-2011	3919	2229	1690
2011-2012	4449	2637	1812
2012-2013	4937	3438	1499
2013-2014	5679	3883	1796
2014-2015	6052	4298	1754
2015-2016	6054	4400	1654
2016-2017	6127	4326	1801
2017-2018	8,323	4,615	3,708
2018-2019 (परिशोधित प्राक्कलन)	6,756	4,268	2,487
2019-2020 (बजट प्राक्कलन)	5,386	4,947	439

टिप्पणियां :

(क) क.रा.बी. अधिनियम के अधीन व्याप्ति के लिए मजदूरी सीमा दिनांक 01.10.2006 से ₹7,500/–से बढ़ाकर ₹10,000/– प्रतिमाह कर दी गई।

(ख) क.रा.बी. अधिनियम के अधीन व्याप्ति के लिए मजदूरी सीमा दिनांक 01.05.2010 से ₹10,000/– से बढ़ाकर ₹15,000/– प्रतिमाह कर दी गई।

(ग) क.रा.बी. अधिनियम के अधीन व्याप्ति के लिए मजदूरी सीमा दिनांक 01.01.2017 से ₹15,000/– से बढ़ाकर ₹21,000/– प्रतिमाह कर दी गई।

परिशिष्ट–3

चिकित्सा संस्थाओं, अस्पताल व औषधालयों तथा कार्यालय भवनों
के संबंध में आरंभ की गई पूँजीगत परियोजनाओं के विवरण :
परिशोधित प्राक्कलन 2018–2019 तथा बजट प्राक्कलन 2019–2020
में उनकी निधि संबंधी आवश्यकताएँ

क्र.सं.	परियोजना का नाम एवं स्थान	परियोजना की लागत	01.04.2018 से 30.09.2018 तक उपगत वास्तविक व्यय	01.10.2018 से 31.03.2019 तक निधि की आवश्यकता	परिशोधित प्राक्कलन 2018–2019 (6 = 4+5)	बजट प्राक्कलन 2019–2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		(₹ करोड़ में)				
	क. चिकित्सा संस्थाएँ :					
1	सनत नगर, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) में क.रा.बी. निगम चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण	676.16	0.51	10.00	10.51	15.00
2	दंत्य महाविद्यालय नाचाराम, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) का निर्माण	244.49	14.9	10.00	24.90	45.00
3	चिकित्सा महाविद्यालय फरीदाबाद, हरियाणा का निर्माण	737.37	11.00	10.00	21.00	20.00
4	मंडी (हिमाचल प्रदेश) में चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण	832.00	-	20.00	20.00	30.00
5	गुलबर्गा, कर्नाटक में चिकित्सा/दंत्य महाविद्यालय का निर्माण	1,190.88	0.00	7.00	7.00	0.00
6	पेरीपल्ली, कोल्लम, केरल में चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण	544.26	0.09	5.00	5.09	0.00
7 (क)	चिकित्सा महाविद्यालय, एम.जी.एम. परेल, मुंबई फेज–I का निर्माण	191.15	0.00	30.00	30.00	10.00
7 (ख)	परेल, मुंबई फेज–I में नर्सिंग महाविद्यालय और स्नातकोत्तर छात्रावास/स्टाफ आवास का निर्माण	100.99	0.00	10.00	10.00	5.00
8	क.रा.बी.अस्पताल, बसईदारापुर में स्नातकोत्तर संस्थान–सह–चिकित्सा महाविद्यालय	870.71	24.00	45.00	69.00	50.00
9	क.रा.बी. अस्पताल, बसईदारापुर में स्टाफ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तथा नवीकरण	9.46	1.08	0.36	1.44	0.00
10 (क)	क.रा.बी.दंत्य महाविद्यालय, (प्रथम वर्ष), सेक्टर–15, रोहिणी, नई दिल्ली का निर्माण	8.16	0.00	0.5	0.5	0.00
10 (ख)	क.रा.बी.दंत्य महाविद्यालय, (द्वितीय वर्ष), सेक्टर–15, रोहिणी, नई दिल्ली का निर्माण	5.43	0.00	0.17	0.17	0.00
10 (ग)	क.रा.बी.दंत्य महाविद्यालय, (तृतीय वर्ष), सेक्टर–15, रोहिणी, नई दिल्ली का निर्माण	9.06	0.00	1.31	1.31	0.00
11	कोयम्बत्तूर में क.रा.बी. चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण	550.85	0.3	10.00	10.30	0.00
12	के.के.नगर, चेन्नै में स्नातकोत्तर संस्थान तथा अन्य परा–चिकित्सा संस्थान एवं चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण	470.93	49.03	40.00	89.03	0.00
13	अयनावरम, चेन्नै में शिक्षण अस्पताल भवन निर्माण तथा संबद्ध सुविधाएँ, सुविधाओं का उन्नयन	335.04	14.38	10.00	24.38	15.00

क्र.सं.	परियोजना का नाम एवं स्थान	परियोजना की लागत	01.04.2018 से 30.09.2018 तक उपगत वास्तविक व्यय	01.10.2018 से 31.03.2019 तक निधि की आवश्यकता	परिशोधित प्राक्कलन 2018–2019 (6 = 4+5)	बजट प्राक्कलन 2019–2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	(₹ करोड़ में)					
14	मानिकतला, कोलकाता में स्नातकोत्तर संस्थान का निर्माण	107.31	0.00	5.00	5.00	0.00
15	जोका, कोलकाता में स्नातकोत्तर संस्थान–सह–चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण	542.00	2.81	10.00	12.81	40.00
16	बिहटा, पटना में चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण	676.11	71.13	60.00	131.13	50.00
17	इंदिरा नगर में नर्सिंग महाविद्यालय और अस्पताल तथा 1000 कुर्सियों वाले सभागार का निर्माण	71.20	0.00	3.20	3.20	0.00
18	गुलबर्गा में परा–चिकित्सा एवं संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान केंद्र का निर्माण	308.15	0.00	3.00	3.00	0.00
19	चिकित्सा महाविद्यालय, अलवर का निर्माण	904.08	-	20.00	20.00	10.00
20 (क)	क.रा.बी. निगम अस्पताल, अंधेरी, मुंबई का उन्नयन और विस्तार	234.79	5.00	20.00	25.00	20.00
20 (ख)	क.रा.बी. निगम अस्पताल, अंधेरी, मुंबई (फेज–II) में स्नातकोत्तर छात्रावास और स्टाफ आवास का निर्माण	61.46	0.00	15.00	15.00	10.00
20 (ग)	क.रा.बी. निगम अस्पताल, अंधेरी, मुंबई में स्टाफ आवास का नवीकरण और मरम्मत	6.53	0.00	0.51	0.51	0.51
21	राजाजीनगर, बेंगलुरु, कनार्टक में चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण	319.01	7.28	15.00	22.28	20.00
22	अस्पताल, राजाजी नगर, बेंगलुरु, कर्नाटक का निर्माण	273.59	0.48	2.00	2.48	5.00
	कुल (क. चिकित्सा संस्थाएं)	**10,281.17**	**201.99**	**363.05**	**565.04**	**345.51**
	ख. अस्पतालों/औषधालयों का निर्माण/नवीकरण/उन्नयन					
23	सनत नगर, हैदराबाद में अति–विशिष्टता अस्पताल का निर्माण	145.03	0.00	3.28	3.28	0.00
24	तिरुपति, आंध्र प्रदेश में क.रा.बी. अस्पताल का नवीकरण/पुनर्सज्जा	108.94	23.92	10.00	33.92	18.00
25	बापूनगर, अहमदाबाद में 300 बिस्तरों वाले क.रा.बी. अस्पताल का निर्माण	125.74	0.00	15.00	15.00	0.00
26	मणिनगर, खोखरा में डी–34 औषधालय का निर्माण	25.00	0.00	2.40	2.40	2.40

क्र.सं.	परियोजना का नाम एवं स्थान	परियोजना की लागत	01.04.2018 से 30.09.2018 तक उपगत वास्तविक व्यय	01.10.2018 से 31.03.2019 तक निधि की आवश्यकता	परिशोधित प्राक्कलन 2018–2019 (6 = 4+5)	बजट प्राक्कलन 2019–2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	(₹ करोड़ में)					
27	करनाल, हरियाणा में क.रा.बी. औषधालय–सह–नैदानिक केन्द्र का निर्माण	5.34	0.00	0.34	0.34	0.34
28	फरीदाबाद, सेक्टर 15 ए (हरियाणा) में क.रा.बी.औषधालय का निर्माण	0.87	0.00	0.15	0.15	0.22
29	मुरथल, हरियाणा में क.रा.बी. औषधालय का निर्माण	4.69	0.00	0.22	0.22	0.22
30	मानेसर, हरियाणा में क.रा.बी. अस्पताल का निर्माण (पहले ही उद्‌घाटित)	68.74	0.00	2.40	2.40	0.00
31	बद्‌दी, हिमाचल प्रदेश में क.रा.बी. अस्पताल का निर्माण	59.67	0.00	4.19	4.19	4.19
32	क.रा.बी. अस्पताल, हुबली का नवीकरण	33.17	0.50	2.55	3.05	0.00
33	क.रा.बी. अस्पताल, मैसूर का नवीकरण	35.32	0.5	1.30	1.80	0.00
34	क.रा.बी. अस्पताल, देवनगिरी, कर्नाटक का नवीकरण	29.53	0.5	0.9	1.4	0.00
35	क.रा.बी. अस्पताल, पीण्या, कर्नाटक का निर्माण	125.14	0.00	5.23	5.23	0.00
36	तिरुवंनतपुरम, केरल में निदेशालय बीमा चिकित्सा सेवा भवन का निर्माण	10.62	0.00	1.79	1.79	0.00
37	कोल्लम, केरल में 5 चिकित्सकों का औषधालय	2.63	0.00	0.66	0.66	0.00
38	मायलम, कोट्‌टरकारा के शाखा कार्यालय में 2 चिकित्सकों वाला औषधालय	3.24	0.3	0.00	0.3	0.00
39	पुरवेशी, कोल्लम, केरल में 3 चिकित्सकों वाला औषधालय	2.28	0.00	0.26	0.26	0.00
40	ओ.टी. ब्लॉक, क.रा.बी. अस्पताल, बसईदारापुर का नवीकरण	31.20	0.56	0.96	1.52	0.96
41	ओखला में क.रा.बी. अस्पताल का नवीकरण व विस्तार	271.43	23.32	40.00	63.32	20.00
42	एन.आइ.ए.–1, करमपुरा में क.रा.बी. औषधालय का नवीकरण	1.87	0.00	1.01	1.01	1.01
43	मायापुरी–I, नई दिल्ली में क.रा.बी. औषधालय का नवीकरण	1.58	0.00	1.17	1.17	1.17
44	क.रा.बी. अस्पताल, भुवनेश्वर, ओड़िशा की पुनर्सज्जा	74.70	2.56	5.00	7.56	2.00
45	भिवाड़ी, राजस्थान में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल तथा स्टाफ क्वार्टर का निर्माण	40.68	0.00	0.72	0.72	0.72
46	तिरुनेलवेली में 50 और 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	56.56	0.00	13.00	13.00	0.00

क्र.सं.	परियोजना का नाम एवं स्थान	परियोजना की लागत	01.04.2018 से 30.09. 2018 तक उपगत वास्तविक व्यय	01.10.2018 से 31. 03.2019 तक निधि की आवश्यकता	परिशोधित प्राक्कलन 2018–2019 (6 = 4+5)	बजट प्राक्कलन 2019–2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	(₹ करोड़ में)					
47	जयपुर में क.रा.बी. आदर्श अस्पताल	214.36	0.00	15.00	15.00	10.00
48	सरोजनी नगर, लखनऊ में 100 बिस्तर वाले अभिघात केन्द्र का निर्माण तथा विद्यमान अस्पताल का नवीकरण	106.83	0.00	10.00	10.00	20.00
49	सेक्टर–24, नोएडा अस्पताल की आंतरिक पुनर्सज्जा	149.91	5.62	18.07	23.69	10.00
50	झारसुगुडा में औषधालय, शाखा कार्यालय और स्टाफ क्वार्टर का निर्माण	12.17	0.00	0.02	0.02	0.01
51	जीदीमेटला में क.रा.बी. औषधालय–सह–नैदानिक केन्द्र तथा स्टाफ आवास	25.90	0.00	2.20	2.20	0.00
52	अंकलेश्वर में 100 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण	92.87	0.00	0.90	0.90	0.90
53	पेरीनाडु, कोल्लम, केरल में 3 चिकित्सकों वाले औषधालय का निर्माण	2.33	0.00	0.24	0.24	0.00
54	कोलाबा, मुंबई में आदर्श औषधालय–सह–नैदानिक केन्द्र तथा औषधालय	16.92	0.00	1.59	1.59	1.59
55	वाशी, मुंबई में क.रा.बी. अस्पताल की पुनर्सज्जा/विस्तार तथा दंत्य महाविद्यालय का निर्माण	140.11	0.00	5.53	5.53	5.53
56	कुलाशेखरपुरम, केरल में 02 चिकित्सकों के औषधालय का निर्माण	1.89	0.00	0.43	0.43	0.00
57	विलाकुडी, केरल में 02 चिकित्सकों वाले औषधालय का निर्माण	2.20	0.00	0.76	0.76	0.00
58	वडावतूर, केरल में 02 चिकित्सकों वाले औषधालय का निर्माण	1.95	0.00	0.16	0.16	0.00
59	कदम्पानन्दु, केरल में 05 चिकित्सकों वाले औषधालय का निर्माण	2.34	0.00	0.16	0.16	0.00
60	सिलीगुड़ी (मतीगरा), कोलकाता में क.रा.बी. निगम औषधालय एवं शाखा कार्यालय का निर्माण	3.72	0.00	0.4	0.4	0.00
61	जगतपुर में 02 चिकित्सकों वाले औषधालय एवं शाखा कार्यालय का निर्माण	6.11	0.00	0.01	0.01	0.01
62	केंद्रीय चिकित्सा भंडार, निदेशालय(चिकित्सा) दिल्ली का निर्माण एवं नवीकरण	2.74	0.0	0.00	0.00	0.00
63	नरेला में क.रा.बी. औषधालय का निर्माण	21.03	0.98	10.00	10.98	15.00
64	रोहिणी में एसटीपी एवं ईटीपी	1.01	0.00	0.03	0.03	0.03
65	क.रा.बी. अस्पताल, गुड़गांव का निर्माण	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00
66	ऑटो नगर, विजयवाड़ा में क.रा.बी. औषधालय एवं शाखा कार्यालय का निर्माण	6.37	0.00	0.4	0.4	0.00
67	हिसार में क.रा.बी.निगम औषधालय–सह–नैदानिक केंद्र का निर्माण	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल(अस्पताल/औषधालय)	2,144.31	58.76	178.43	237.19	114.30

क्र.सं.	परियोजना का नाम एवं स्थान	परियोजना की लागत	01.04.2018 से 30.09. 2018 तक उपगत वास्तविक व्यय	01.10.2018 से 31. 03.2019 तक निधि की आवश्यकता	परिशोधित प्राक्कलन 2018–2019 (6 = 4+5)	बजट प्राक्कलन 2019–2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	(₹ करोड़ में)					
	ग. क्षेत्रीय कार्यालयों/उप क्षेत्रीय कार्यालयों तथा शाखा कार्यालयों का निर्माण/नवीकरण/उन्नयन					
68	उप क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा का निर्माण	25.80	0.00	0.61	0.61	0.00
69	आदर्श नगर, हैदराबाद में क्षेत्रीय कार्यालय का नवीकरण/पुनर्सज्जा/सुधार	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
70	क.रा.बी. निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ का नवीकरण/आशोधन	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
71	क्षेत्रीय कार्यालय, पणजी, गोवा का नवीकरण	8.11	0.00	0.15	0.15	0.15
72	क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु की पुनर्सज्जा	18.62	0.00	2.25	2.25	0.00
73	शाखा कार्यालय, एरणाकुलम, केरल का निर्माण	5.56	0.00	1.48	1.48	0.00
74	कोल्लम, केरल में शाखा कार्यालय का निर्माण	5.19	0.00	1.02	1.02	0.00
75	वलुज, औरंगाबाद में शाखा कार्यालय और औषधालय का निर्माण	5.23	0.00	0.24	0.24	0.00
76	चिंचवाड़ (पुणे) में शाखा कार्यालय और औषधालय का निर्माण	12.97	0.00	0.43	0.43	0.00
77	उप क्षेत्रीय कार्यालय, बिबवेवाड़ी, पुणे की पुनर्सज्जा	25.91	0.00	0.08	0.08	0.00
78	उप क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर	11.06	0.00	0.04	0.04	0.00
79	उप क्षेत्रीय कार्यालय, ठाणे, मुंबई	13.38	0.00	1.43	1.43	0.00
80	उप क्षेत्रीय कार्यालय, चिकलथाना, औरंगाबाद का नवीकरण	15.24	0.00	0.09	0.09	0.00
81	उप क्षेत्रीय कार्यालय, मरोल, मुंबई का नवीकरण	11.62	0.00	0.21	0.21	0.00
82	क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर के भवन का नवीकरण और पुनर्सज्जा	10.20	0.00	0.02	0.02	0.00
83	क्षेत्रीय कार्यालय, पुदुच्चेरी का नवीकरण	6.41	0.87	1.67	2.54	0.00
84	क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर की पुनर्सज्जा	16.31	0.00	1.00	1.00	1.00
85	क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै की पुनर्सज्जा	31.62	0.00	3.19	3.19	0.00
86	क.रा.बी. कॉलोनी, सेक्टर–56, नोएडा में स्टाफ क्वार्टर की पुनर्सज्जा और नवीकरण	12.29	1.89	3.78	5.67	3.78
87	सॉल्टलेक, कोलकाता में क्षेत्रीय कार्यालय का निर्माण	69.06	0.00	10.00	10.00	5.00
88	क.रा.बी. आवासीय परिसर, जी.बी. सॉल्टलेक, कोलकाता में ए से एन टाइप क्वाटर्स का आंतरिक नवीकरण, मरम्मत और पेंटिंग	10.69	0.6	0.00	0.6	0.00
89	उप क्षेत्रीय कार्यालय, हुबली, कर्नाटक का निर्माण	14.73	0.00	0.65	0.65	0.00

क्र. सं.	परियोजना का नाम एवं स्थान	परियोजना की लागत	01.04.2018 से 30.09. 2018 तक उपगत वास्तविक व्यय	01.10.2018 से 31. 03.2019 तक निधि की आवश्यकता	परिशोधित प्राक्कलन 2018–2019 (6 = 4+5)	बजट प्राक्कलन 2019–2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	(₹ करोड़ में)					
90	क.रा.बी.निगम भूतल, एक्स्प्रेस बिल्डिंग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
91	क.रा.बी. निगम डेटा केंद्र, रोहिणी	4.80	0.00	0.00	0.00	0.01
	कुल ग =	**375.23**	**3.36**	**28.34**	**31.70**	**9.94**
	कुल क+ख+ग =	**12,800.71**	**264.11**	**569.82**	**833.93**	**469.75**
नई परियोजनाएं अस्पताल एवं औषधालय						
1	रूद्रपुर में 100 बिस्तरों वाला अस्पताल	97.72	19.54	25.00	44.54	22.00
2	हरिद्वार में 100 बिस्तरों वाला अस्पताल	95.00	0.25	1.75	2.00	45.00
3	देहरादून में 100 बिस्तरों वाला अस्पताल	95.00	0.00	1.00	1.00	10.00
4	पइदिभिमावरम में 06 बिस्तरों वाला आदर्श औषधालय एवं नैदानिक केंद्र तथा शाखा कार्यालय	5.64	0.15	0.5	0.65	4.99
5	मापुसा में 06 बिस्तरों वाले एमडीडीसी एवं शाखा कार्यालय का निर्माण	7.12	0.00	2.00	2.00	5.12
6	सूरत में 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी. अस्पताल स्टाफ क्वार्टर्स एवं उप क्षेत्रीय कार्यालय भवन का निर्माण	100.00	0.00	10.00	10.00	40.00
7	रायपुर में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	79.93	24.20	30.00	54.20	10.00
8	डोडाबल्लापुर में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	81.38	0.35	20.00	20.35	61.03
9	उदयपुर में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	77.79	10.11	40.00	50.11	15.00
10	आदित्यपुर में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	75.88	0.00	30.00	30.00	18.30
11	बेलतला में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	100.00	0.00	10.00	10.00	40.00
12	इंदौर में 300 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	200.00	0.25	0.75	1.00	10.00
13	बाल्टीकुरी में 300 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	187.37	34.19	20.00	54.19	100.00
14	रांची में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	71.80	0.00	15.00	15.00	49.00
15	आसनसोल में 100 बिस्तर वाले अस्पताल का 150 बिस्तर वाले अस्पताल में उन्नयन	30.23	3.02	12.00	15.02	15.21
16	बोम्मसंद्रा में 200 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	100.00	0.00	10.00	10.00	40.00
17	नागपुर में 200 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	175.00	0.00	5.00	5.00	50.00
18	उत्तरी गोवा में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	0.00	0.00	0.5	0.5	0.5
19	कोरबा में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	56.31	10.29	20.00	30.29	5.00
20	अंगुल में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	64.47	11.58	15.00	26.58	37.89
21	हल्दिया में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	57.15	0.00	6.00	6.00	40.00
22	तूतीकोरिन में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	परियोजना का नाम एवं स्थान	परियोजना की लागत	01.04.2018 से 30.09. 2018 तक उपगत वास्तविक व्यय	01.10.2018 से 31. 03.2019 तक निधि की आवश्यकता	परिशोधित प्राक्कलन 2018–2019 (6 = 4+5)	बजट प्राक्कलन 2019–2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	(₹ करोड़ में)					
23	बिबवेवाड़ी पुणे में वर्तमान अस्पताल की पुनर्सज्जा एवं 50 बिस्तरों से 100 बिस्तरों में उन्नयन	53.86	10.00	10.00	20.00	10.00
24	विशाखपट्टणम में 500 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	400.00	0.00	25.00	25.00	100.00
25	विजयनगरम में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	80.00	0.00	0.25	0.25	40.00
26	सिलीगुड़ी में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	59.47	0.00	10.00	10.00	30.00
27	देवघर में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	फुलवारीशरीफ में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	50.87	1.37	10.00	11.37	39.00
29	डुबरी में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	70.00	0.00	7.00	7.00	20.00
30	50 अतिरिक्त बिस्तरों के लिए क.रा.बी. अस्पताल, दुर्गापुर का ऊर्ध्वाधर विस्तार	26.15	2.61	5.20	7.81	18.00
31	भुवनेश्वर में 150 बिस्तरों वाले अति विशिष्टता अस्पताल का निर्माण	100.00	0.00	10.00	10.00	50.00
32	भिलाई में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	114.88	0.00	40.00	40.00	74.88
33	रायबरेली में क.रा.बी. औषधालय तथा शाखा कार्यालय का निर्माण	2.27	0.65	1.18	1.83	0.22
34	पनकी में क.रा.बी. औषधालय तथा शाखा कार्यालय का निर्माण	2.33	0.55	1.32	1.87	0.23
35	गोरखपुर में क.रा.बी. औषधालय तथा शाखा कार्यालय का निर्माण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	नंजगुड में एमडीडीसी का निर्माण	8.65	1.51	2.25	3.76	0.00
37	डांगेपार्क, देवगिरि में 2 चिकित्सक वाले औषधालय का निर्माण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	इनाथु में 5 चिकित्सक वाले औषधालय का निर्माण	2.50	0.00	0.25	0.25	2.25
39	कोरेटी में 5 चिकित्सक वाले औषधालय का निर्माण	2.50	0.00	0.25	0.25	2.25
40	सनत नगर में बाह्य रोगी विभाग का निर्माण	86.00	0.00	0.25	0.25	30.00
41	आश्रमम, कोल्लम में आदर्श अस्पताल का उर्ध्वाधर विस्तार	40.00	0.00	0.25	0.25	20.00
42	बरेली, उत्तर प्रदेश में क.रा.बी.निगम अस्पताल का उर्ध्वाधर विस्तार	25.00	0.00	0.5	0.5	15.00
43	हुबली के अस्पताल भवन में अतिरिक्त 50 बिस्तरों का निर्माण	25.00	0.00	0.25	0.25	10.00
44	रायगढ में 100 बिस्तर अस्पताल का निर्माण	84.00	0.00	30.00	30.00	54.00
45	आबू–रोड में 2 चिकित्सक वाले औषधालय तथा शाखा कार्यालय का निर्माण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	वाराणसी में 150 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	141.98	18.39	50.00	68.39	23.59
47	पंचकुला में क.रा.बी.औषधालय–सह–शाखा कार्यालय का निर्माण	0.00	0.25	1.50	1.75	3.00
48	पंचकुला में निदेशक कार्यालय का निर्माण	0.00	0.25	1.50	1.75	3.00
49	कुंडैन में 2 चिकित्सक वाले अस्पताल का निर्माण	0.00	0.00	0.25	0.25	1.00
50	सेलाकुई में 3 चिकित्सक वाले औषधालय तथा शाखा कार्यालय का निर्माण	9.67	0.00	0.25	0.25	2.00
51	मयूर विहार में क.रा.बी. औषधालय का निर्माण	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00

क्र.सं.	परियोजना का नाम एवं स्थान	परियोजना की लागत	01.04.2018 से 30.09.2018 तक उपगत वास्तविक व्यय	01.10.2018 से 31.03.2019 तक निधि की आवश्यकता	परिशोधित प्राक्कलन 2018–2019 (6 = 4+5)	बजट प्राक्कलन 2019–2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	(₹ करोड़ में)					
52	नुनहई में 2 चिकित्सक वाले औषधालय का निर्माण	1.96	0.00	0.50	0.50	1.00
53	भेलुपुर, वाराणसी में उप क्षेत्रीय कार्यालय तथा 6 बिस्तर वाले क.रा.बी. औषधालय का निर्माण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	सुरेन्द्र नगर में 6 बिस्तर के साथ 2 चिकित्सक वाले औषधालय का निर्माण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	आइएमटी मानेसर में 6 बिस्तर के साथ 5 चिकित्सक वाले औषधालय का निर्माण	1.49	0.00	0.50	0.50	1.00
56	अलवर में 6 बिस्तर के साथ 4 चिकित्सक वाले औषधालय तथा स्टाफ क्वार्टर्स का निर्माण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	बेहरोड़ में 3 चिकित्सक वाला औषधालय तथा स्टाफ क्वार्टर्स	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	सीतापुरा, जयपुर में 6 बिस्तर के साथ 5 चिकित्सक वाले औषधालय तथा स्टाफ क्वार्टर्स का निर्माण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	नीमराणा में 6 बिस्तर के साथ 5 चिकित्सक वाले औषधालय तथा स्टाफ क्वार्टर्स का निर्माण	3.39	0.00	0.85	0.85	2.54
60	क.रा.बी. औषधालय राजपुरा, कानपुर	1.84	0.78	0.58	1.36	0.58
61	क.रा.बी. औषधालय नवाबगंज, कानपुर	1.96	0.78	0.60	1.38	0.21
62	क.रा.बी. औषधालय मोदी नगर	1.26	1.01	0.13	1.14	0.13
63	क.रा.बी. औषधालय मिर्ज़ापुर	0.65	0.36	0.09	0.45	0.09
64	क.रा.बी. औषधालय छिपतोला, आगरा	1.14	0.65	0.14	0.79	0.14
	कुल	**3,156.61**	**153.34**	**485.34**	**638.68**	**1,173.15**
	कार्यालय भवन (नए)					
	जोधपुर में उप क्षेत्रीय कार्यालय तथा स्टाफ क्वार्टर्स	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उप क्षेत्रीय कार्यालय, लुधियाना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल कार्यालय भवन (नए)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल नई परियोजनाएं	**3,156.61**	**153.34**	**485.34**	**638.68**	**1,173.15**
	सकल योग	**15,957.32**	**417.45**	**1,055.16**	**1,472.61**	**1,642.90**

क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय – के.के. नगर, राजाजी नगर, सनत नगर, गुलबर्गा, जोका, फरीदाबाद
राज्य सरकारों को हस्तांरित चिकित्सा महाविद्यालय – पेरिपल्ली, कोयम्बटूर, मंडी
क.रा.बी.निगम स्नातकोत्तर संस्थान – बसईदारापुर, अंधेरी, केके नगर, राजाजी नगर, मानिकतला (जोका)
क.रा.बी.निगम दंत्य महाविद्यालय – गुलबर्गा, रोहिणी
क.रा.बी.निगम परिचर्या महाविद्यालय – इंदिरानगर, गुलबर्गा

निष्पादन बजट
वर्ष 2019–2020

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पंचदीप भवन, सी.आइ.जी. मार्ग,
नई दिल्ली–110002

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
2019–2020 का निष्पादन बजट

1. भूमिका

कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन की गई है।

2. व्याप्ति

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 उन सभी कारखानों पर लागू होता है जिनमें 10 या इससे अधिक व्यक्ति नियोजित हों। समुचित सरकार (केन्द्रीय या राज्य) को अधिनियम के उपबंधों का स्थापनाओं के अन्य वर्गों–औद्योगिक, वाणिज्यिक, कृषि या अन्यथा पर विस्तार करने की शक्तियां हैं। इन उपबंधों के अंतर्गत, समुचित राज्य सरकारों ने अधिनियम के उपबंधों का दुकानों, पूर्वदर्शन थियेटर सहित सिनेमाओं, होटलों, रेस्तरां, सड़क मोटर परिवहन उपक्रमों तथा समाचार पत्र स्थापनाओं पर विस्तार किया है, जिसमें 10 या अधिक व्यक्ति नियोजित हों। कई राज्य सरकारों ने अधिनियम के उपबंधों का उनके राज्यों में स्थापित चिकित्सा और शिक्षा संस्थाओं तक विस्तार किया है। फिलहाल, ₹21,000/– प्रतिमाह मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मचारी इस योजना के अधीन आते हैं (01.01.2017 से)।

3. मुख्य उद्देश्य :

क.रा.बी. योजना बीमाकृत व्यक्ति तथा उनके परिवारों को चिकित्सा देखरेख उपलब्ध कराने के अलावा बीमारी, मातृत्व तथा रोजगार चोट के मामले में कर्मचारी बीमाकृत व्यक्तियों को नकद हितलाभ तथा रोजगार चोट के कारण हुई मृत्यु के मामले में आश्रितजन हितलाभ भी उपलब्ध कराती है।

कारखानों आदि के बंद होने के कारण हुई बेरोजगारी के दौरान रोजगार भत्ता तथा चिकित्सा हितलाभ उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 01.04.2005 से राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना नामक एक नकद हितलाभ योजना शुरू की गई है।

दिनांक 1/8/18 से अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना कार्यान्वित है, जो 90 दिनों तक की मजदूरी के 25 प्रतिशत की दर से, अधिवर्षिता, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तथा कदाचार के लिए दंड के अलावा किसी कारणवश हुई बेरोजगारी के मामले में जीवनभर में एक बीमाकृत व्यक्तियों के बैंक खाते में सीधे राहत देय है।

जहां कहीं भी कर्मचारी राज्य बीमा योजना कार्यान्वित की गई है, नियोक्ता कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 और प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के अधीन अपने दायित्व से मुक्त हो जाते हैं।

4. प्रशासन :

यह योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम नामक निगमित निकाय द्वारा चलाई जाती है। इसमें नियोक्ताओं, कर्मचारियों, चिकित्सा व्यवसाय, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों और संसद के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। निगम के सदस्यों में से गठित एक स्थायी समिति कार्यपालक निकाय के रूप में काम करती है। चिकित्सा हितलाभों की व्यवस्था से संबंधित मामलों में निगम को सलाह देने के लिए एक चिकित्सा हितलाभ परिषद् भी है।

5. चिकित्सा सेवाएं :

क.रा.बी. योजना के अंतर्गत, क.रा.बी.अधिनियम, 1948 की धारा 58 के अनुसार बीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके परिवारों को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। तथापि, दिल्ली तथा नोएडा (उत्तर प्रदेश) में निगम सीधे चिकित्सा देखरेख उपलब्ध करा रहा है।

निगम ने आंचलिक आधार पर बसईदारापुर (दिल्ली), ठाकुरपुकुर (पश्चिम बंगाल), के.के. नगर (चेन्नै), इंदौर (मध्य प्रदेश) और अंधेरी (मुंबई) में व्यावसायिक रोग केन्द्रों की स्थापना की है। व्यावसायिक रोग केन्द्रों के संचालन पर होने वाला समस्त व्यय क.रा.बी. निगम ही वहन करता है।

निगम ने अधिकतर राज्यों में आदर्श अस्पताल भी स्थापित किए हैं/एक अथवा अधिक अस्पतालों को अपने नियंत्रण में लेकर सीधे चला रहा है। आदर्श अस्पताल राज्यों में अन्य क.रा.बी. योजना अस्पतालों के उन्नयन के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है। आगे, राज्य सरकारें भी इससे लाभान्वित होंगी क्योंकि इन अस्पतालों को चलाने के लिए पूरा व्यय निगम द्वारा वहन किया जाता है, जो क.रा.बी. योजना के अंतर्गत चिकित्सा देखरेख सेवाओं की लागत के लिए राज्य सरकार को भुगतान की गई राशि के अतिरिक्त होता है। निगम ने योजना के लाभार्थियों को निगम अस्पतालों में ही दिया जाने वाला अति विशिष्टता उपचार उपलब्ध कराने के लिए सनत नगर, हैदराबाद में अति विशिष्टता अस्पताल का निर्माण किया है। वर्तमान में विभिन्न राज्यों में निगम के 44 आदर्श/क.रा.बी. निगम अस्पताल (व्यावसायिक रोग केंद्रों सहित) हैं, जिनकी सूची निम्नवत् है :–

क्र.सं.	अस्पताल का नाम	राज्य	बिस्तरों की संख्या
1.	बेलतला	असम	75
2.	आश्रमम	केरल	200
3.	राऊरकेला	ओडिषा	75
4.	लुधियाना	पंजाब	262
5.	राजाजीनगर	कर्नाटक	500
6.	बापू नगर	गुजरात	300
7.	नाचाराम	आंध्र प्रदेश	200
8.	जम्मू	जम्मू एवं कश्मीर	50
9.	नामकुम	झारखण्ड	75
10.	फुलवारीशरीफ	बिहार	50
11.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	70
12.	नोएडा	उत्तर प्रदेश	300
13.	जोका व्यावसायिक रोग केन्द्र	पश्चिम बंगाल	380
14.	नंदा नगर व्यावसायिक रोग केन्द्र	मध्य प्रदेश	300
15.	के.के. नगर व्यावसायिक रोग केन्द्र	तमिलनाडु	470
16.	ओखला	दिल्ली	216
17.	झिलमिल	दिल्ली	300
18.	रोहिणी	दिल्ली	300
19.	बसईदारापुर व्यावसायिक रोग केन्द्र	दिल्ली	600
20.	अंधेरी व्यावसायिक रोग केन्द्र	महाराष्ट्र	500
21.	आदित्यपुर	झारखण्ड	100

22.	उद्योगमंडल	केरल	100
23.	पेरीपल्ली	केरल	0
24.	नरोड़ा	गुजरात	100
25.	एषुकोण	केरल	150
26.	सनत नगर	आंध्र प्रदेश	375
27.	गुड़गाँव	हरियाणा	126
28.	जयपुर	राजस्थान	300
29.	भिवाड़ी	राजस्थान	50
30.	तिरुनेलवेली	तमिलनाडु	50
31.	बद्दी	हिमाचल प्रदेश	100
32.	मानेसर	हरियाणा	100
33.	पीण्या	कर्नाटक	100
34.	वापी	गुजरात	100
35.	कोयम्बतूर	तमिलनाडु	220
36.	फरीदाबाद	हरियाणा	300
37.	जाजमउ	उत्तर प्रदेश	100
38.	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	30
39.	साहिबाबाद	उत्तर प्रदेश	200
40.	सरोजनी नगर	उत्तर प्रदेश	150
41.	अंकलेश्वर	गुजरात	100
42.	बिबवेवाडी	महाराष्ट्र	100
43.	अलवर	राजस्थान	50
44.	बरेली	उत्तर प्रदेश	50

राज्य सरकारों को भुगतान :

क.रा.बी. निगम ने दिनांक 31.07.2014 को आयोजित अपनी 162वीं बैठक में दिनांक 01.04.2015 से 5 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए प्रति व्यक्ति उच्चतम सीमा को ₹150/– प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रतिवर्ष की अतिरिक्त वृद्धि सहित ₹1,500/– से बढ़ाकर ₹2,000/– करने का निर्णय किया। उच्चतम सीमा की वृद्धि में राज्यों की ओर से वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त/राज्य चिकित्सा आयुक्त द्वारा अति विशिष्टता उपचार तथा अन्य व्यय का वहन शामिल है।

तत्पश्चात, दिनांक 07.08.2015 को आयोजित निगम की अपनी 166वीं बैठक में लाभार्थियों द्वारा उठाई जा रही कठिनाइयों का जायजा लिया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि अति विशिष्टता उपचार पर व्यय का वहन सीधे क.रा.बी. निगम द्वारा किया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि दिनांक 01.04.2015 से बढ़ाई गई उच्चतम सीमा (अति विशिष्टता उपचार सहित) को वापस नहीं लिया जाएगा क्योंकि उसका प्रयोग चिकित्सा सेवाओं में सुधार तथा राज्यों में नई पहलें कार्यान्वित करने हेतु किया जाएगा। हालांकि वित्तीय वर्ष 2016–17 तथा उससे आगे ₹ 150/– प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रतिवर्ष की वार्षिक वृद्धि को वापस लिया गया। आगे, दिनांक 15.12.2016 को आयोजित अपनी 170वीं बैठक में क.रा.बी. निगम ने निम्नलिखित पर निर्णय किया है :–

क. वर्ष 2017–2018 के लिए प्रशासन के लिए ₹1,250/– तथा अन्य के लिए ₹1,750/– की उप उच्चतम सीमा सहित ₹2,150/– से ₹3,000/– प्रति बीमाकृत व्यक्ति धारा 58(3) के अंतर्गत राज्य सरकारों के साथ व्यय बांटने की प्रति व्यक्ति की उच्चतम सीमा में वृद्धि।

ख. वर्ष 2018–2019 से प्रशासनिक उप उच्चतम सीमा ₹3,000/– प्रति व्यक्ति की संपूर्ण उच्चतम सीमा के भीतर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के समान बढ़ाई जाएगी।

ग. ₹3,000/– की उच्चतम सीमा 2017–2018 से 2019–2020 तक निर्धारित की जाएगी तथा राज्यों के डब्ल्यूपीआइ तथा व्यय प्रतिरूप के आधार पर 2020–2021 से वार्षिक रूप से समीक्षा की जाएगी।

घ. राज्य सरकार निगम के बजट में उसके समावेशन के लिए अगले वित्तीय वर्ष हेतु प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर तक, समय–समय पर क.रा.बी. निगम द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार परियोजना कार्यान्वयन योजना (पीआइपी) प्रस्तुत करेगी। पीआइपी में अगले वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्ताव तथा वर्तमान वर्ष के प्रथम छह माह के दौरान की गई प्रगति शामिल होगी।

i) कोई भी योजना, जो क.रा.बी. निगम द्वारा विधिवत अनुमोदित नहीं की गई है, शामिल नहीं की जाएगी।

ii) किसी योजना का वित्त पोषण जो किसी वर्ष के प्राक्कलन में शामिल नहीं किया गया है, को उस वित्तीय वर्ष के दौरान, क्या इसे प्रस्तावित करना चाहिए, उसके वित्त पोषण की विधि के लिए क.रा.बी. निगम की मंजूरी लेनी होगी।

iii) किसी भी वस्तु पर व्यय के लिए निधि विनियोजित नहीं की जाएगी जिसे अनुमोदित नहीं किया गया है।

iv) महानिदेशक, क.रा.बी. निगम को निधि विनियोजन एक प्राथमिक इकाई से अन्य में करने के लिए प्राधिकृत किया जाए।

ङ) 2018–2019 के लिए निधि, प्रथम तिमाही के लिए ₹2,150/– की वर्तमान उच्चतम सीमा के अनुसार जारी की जाएगी। तथापि, वर्ष 2018–2019 के लिए पीआइपी परिशोधित उच्चतम सीमा अनुसार निधि जारी करने के लिए क.रा.बी. निगम को 31 मार्च, 2018 तक प्रस्तुत की जानी चाहिए।

च) प्रस्तुत योजना को, क.रा.बी. निगम द्वारा प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, विधिवत मॉनीटर किया जाएगा। दिनांक 19 अप्रैल, 2016 को जारी पत्र संख्या वी–24/11/10/2001–चि.1 के अनुसार तिमाही आधार पर निधि जारी की जाएगी।

पूर्व में, निगम ने दिनांक 15 दिसम्बर, 2011 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित किया था कि दिए गए वित्तीय वर्ष के दौरान 70% अथवा अधिक अधिभोग दर्ज (रजिस्टर) करने वाले सभी क.रा.बी. योजना अस्पतालों के राज्यों के लिए उच्चतम सीमा राशि से ऊपर ₹200/– प्रति बीमाकृत व्यक्ति के अतिरिक्त प्रोत्साहन का वहन क.रा.बी. निगम द्वारा किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए वर्ष 2018–2019 तथा 2019–2020 के लिए प्रत्येक हेतु ₹60.00 करोड़ के लिए परिशोधित बजट तथा बजट प्राक्कलन प्रस्तावित किया गया।

नए अस्पताल अथवा मौजूदा अस्पताल में बाद में जुड़े नए विभाग(गों) में आरंभ में उपस्करों की खरीद पर व्यय सामान्यतः अनुपात में भी निगम तथा राज्य सरकार के बीच उच्चतम सीमा के बाहर साझा होता है। लागत की शेयरिंग मौजूदा क.रा.बी. योजना अस्पतालों में महंगे चिकित्सा उपस्करों के प्रतिस्थापन पर व्यय के लिए भी लागू है। इस उद्देश्य के लिए नए उपस्कर की खरीद हेतु परिशोधित प्राक्कलन 2018–2019 तथा बजट प्राक्कलन 2019–2020 में ₹50.00 करोड़ की राशि प्रदान की गई है।

निगम ने निर्धारित उच्चतम सीमा तक राज्य सरकार को व्यय का अपना 7/8 भाग का 100% देने हेतु प्रावधान किया है, राशि का 90% भुगतान अग्रिम रूप में किया जाता है तथा शेष 10% का भुगतान संबंधित राज्य महालेखाकार से 'लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्राप्ति' पर किया जाता है।

तदनुसार, वर्ष 2018–2019 तथा 2019–2020 के लिए क्रमशः ₹3,338.95 करोड़ तथा ₹4,533.30 करोड़ (इसमें से परिशोधित प्राक्कलन 2018–2019 में अतिरिक्त प्रावधान के रूप में ₹100.00 करोड़ की राशि) हेतु परिशोधित प्राक्कलन तथा बजट प्राक्कलन प्रस्तावित किया गया है।

6. वित्त

कर्मचारी राज्य बीमा योजना का वित्तपोषण मुख्यतः नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों के अंशदान से होता है। नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों द्वारा अंशदान की दर मजदूरी के 4% और 1.5% को 01.01.1997 से परिशोधित करके क्रमशः 4.75% तथा 1.75% कर दी गई (नए क्षेत्रों में नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों के अंशदान के संबंध में 3% तथा 1% मजदूरी जहां दिनांक 06.10.2016 से योजना पहली बार कार्यान्वित की गई है)। ₹137/– प्रतिदिन तक मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों को अंशदान अदायगी से छूट दी गई है।

निगम को केन्द्र सरकार से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती। नियोक्ता तथा कर्मचारियों के अंशदान से प्राप्त निगम की आय को आयकर अधिनियम, 1962 की धारा 10 (25) (क) के तहत कर के भुगतान से छूट प्राप्त है।

6(क) अंशदान का युक्तियुक्तकरण

क.रा.बी.निगम द्वारा दिनांक 18.09.2018 को आयोजित अपनी 175वीं बैठक में किए गए निर्णय के अनुसार, माननीय अध्यक्ष, क.रा.बी.निगम ने अंशदान की आय के युक्तियुक्तकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें अंशदान की कुल दर किसी कर्मचारी को देय मजदूरी के 5 प्रतिशत के बराबर है, जो मौजूदा 4.75 प्रतिशत नियोक्ता के अंश और 1.75 प्रतिशत कर्मचारी के अंश के स्थान पर क्रमशः 4 प्रतिशत और 1 प्रतिशत है। निर्णय के अनुसरण में, कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय), नियमाावली, 1950 के नियम 51 को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी करके संशोधित किया जाना है। इसके अनुसार मसौदा अधिसूचना मंत्रालय को भेज दी गई है। यह अपेक्षित है कि कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियमावली का संशोधित नियम 51, दिनांक 01.04.2019 से प्रभावी होगा।

7. योजना का विस्तार

वित्त वर्ष 2018–2019 के दौरान योजना को अन्य क्षेत्रों में विस्तारित करने का प्रस्ताव है जिसमें 18.40 लाख अतिरिक्त कर्मचारियों की व्याप्ति की जाएगी। वर्ष 2019–2020 के बजट प्राक्कलन में व्याप्त किए जाने वाले कर्मचारियों की अनुमानित संख्या 20.24 लाख है। व्याप्त कर्मचारियों की संख्या और चिकित्सा देखरेख के लिए हकदार बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या को 7.2 पर प्रस्तुत विवरण में तालिकाबद्ध किया गया है।

दिनांक 31.3.2019 को कर्मचारियों की संख्या 330.26 लाख अनुमानित है, जबकि इसकी तुलना में दिनांक 31.3.2018 को कर्मचारियों की संख्या 311.86 लाख थी। दिनांक 31.03.2020 को तदनुरूपी संख्या 350.50 लाख होने का अनुमान है। चिकित्सा हितलाभ के लिए लाभार्थियों की कुल संख्या (बीमाकृत व्यक्ति तथा उनके परिवार के सदस्य) परिशोधित प्राक्कलन 2018–2019 में 14.31 करोड़ तथा बजट प्राक्कलन 2019–2020 में 15.36 करोड़ होने का अनुमान है।

7.1. कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन व्याप्ति, कर्मचारियों की मजदूरी सीमा द्वारा विनियमित की जाती है। पांचवें दशक के आरंभ में, कर्मचारियों की व्याप्ति के लिए मजदूरी सीमा ₹400/– प्रतिमाह निर्धारित की गई थी। लक्षित कर्मचारियों द्वारा अर्जित की जाने वाली मजदूरी में समय–समय पर बढ़ोतरी होने के कारण कर्मचारी राज्य बीमा व्याप्ति के लिए निर्धारित मजदूरी सीमा में समय–समय पर बढ़ोतरी किए जाने के बावजूद, भारी संख्या में, कर्मचारी इस योजना से बाहर होते रहे हैं। निगम ने 01.01.1997 से मजदूरी सीमा परिशोधित करके ₹6,500/– प्रतिमाह, 01.04.2004 से मजदूरी सीमा ₹7,500/– प्रतिमाह, 01.10.2006 से ₹10,000/–प्रतिमाह, 01.05.2010 से ₹15,000/– प्रतिमाह तथा 01.01.2017 से पुनः इसे बढ़ाकर ₹21,000/– प्रतिमाह कर दिया है। नियोक्ता तथा कर्मचारी अंशदान की दरें भी 01.01.1997 से 4% तथा 1.5% से बढ़ाकर क्रमशः 4.75% तथा 1.75% कर दी गई हैं। मजदूरी सीमा तथा अंशदान की दरों में बढ़ोतरी का उद्देश्य यह है कि (क) ऐसे बीमाकृत व्यक्ति जो पूर्व में मजदूरी बढ़ने के कारण योजना से बाहर हो गए

थे उन्हें पुनः योजना में शामिल करना, (ख) निगम का वित्तीय आधार सुदृढ़ बनाना ताकि पणधारियों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप योजना के अधीन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

7.2. निम्न तालिका में निष्पादन और किए गए कार्य संबंधित सांख्यिकीय आंकड़े दिए गए हैं:

	सूचना का स्वरूप	**वास्तविक 2017–2018**	**परिशोधित प्राक्कलन 2018–2019**	**बजट प्राक्कलन 2019–2020**
1.	व्याप्त कर्मचारियों की संख्या (लाखों में)	311.86	330.26	350.50
2.	चिकित्सा देखरेख के हकदार बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या (लाखों में)	343.31	368.75	396.08
3.	परिवार के सदस्यों की संख्या जिन पर चिकित्सा देखरेख का विस्तार किया गया है (लाखों में)			
	क. बीमाकृत व्यक्तियों को छोड़कर	896.21	951	1,009
	ख. बीमाकृत व्यक्तियों को मिलाकर	1,332	1,430	1,536
4.	(क) निर्मित अस्पतालों की संख्या			
	सामान्य	144	152	153
	क्षय रोग	8	8	8
	(ख) अनैक्सियों की संख्या			
	सामान्य	27	27	27
	क्षय रोग	15	15	15
	कुल (क) तथा (ख)	**194**	**202**	**203**
5.	बिस्तरों की संख्या (सरकारी तथा अन्य मान्यताप्राप्त अस्पतालों में आरक्षित बिस्तरों सहित)			
	सामान्य + क्षय रोग	23,759	24,659	25,359
	सरकारी अस्पतालों में आरक्षित	21,931	23,027	23,603
	क्षय रोग	2,050	2,050	2,050
	अनैक्सियों/सामान्य में	520	520	520
	क्षय रोग	329	329	329
	कुल (क)	**48,589**	**50,585**	**51,861**
6.	निर्माणाधीन बिस्तरों की संख्या :			
	क. किराए के परिसर में औषधालयों की संख्या	827	827	827
	ख. पैनल क्लिनिकों की संख्या	980	980	980
7.	उपचारित रोगियों की संख्या :			
	क. क.रा.बी.निगम अस्पतालों में दाखिल किए गए रोगियों की संख्या (लाख में)	31.22	34.34	37.77
	ख. औषधालयों में परिचर्या (बीमाकृत व्यक्ति और परिवार सदस्य दोनों) (लाख में)			
	i. नए मामले	93.97	122.68	148.31
	ii. पुराने मामले	135.41	166.50	194.66
8.	नकद हितलाभ के पात्र कर्मचारियों की संख्या (लाखों में)	343.31	368.75	396.08

	सूचना का स्वरूप	वास्तविक 2017–2018	परिशोधित प्राक्कलन 2018–2019	बजट प्राक्कलन 2019–2020
9.	आश्रितजन हितलाभ प्राप्त कर रहे आश्रितजनों की संख्या	1,14,966	1,19,429	1,23,971
10.	स्टाफ संख्या (राज्यों में योजना में नियोजित स्टाफ सहित)			
	क. चिकित्सा कार्मिक	14,074	14,778	15,147
	ख. अन्य कार्मिक	11,778	12,367	12,677
11.	राजस्व प्राप्तियाँ (₹ लाखों में)	23,48,036	26,09,903	23,57,958
12.	राजस्व व्यय (₹ लाखों में)	8,74,489	12,16,926	14,13,660
13.	कार्यालयों, औषधालयों, अस्पतालों तथा चिकित्सा महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण पर पूंजीगत व्यय (₹ लाखों में)	69,700	1,47,261	1,64,290

(क) वर्ष 2017–2018 के वास्तविक आंकड़ों व 2017–2018 के परिशोधित प्राक्कलन में अन्तर

	सूचना का स्वरूप	परिशोधित प्राक्कलन 2017–2018	वास्तविक 2017–2018	अन्तर (परिशोधित प्राक्कलन में से वास्तविक)	
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**
1.	व्याप्त कर्मचारियों की संख्या (लाखों में)	302.35	311.86		(+)9.51(क)
2.	परिवार के सदस्यों की संख्या जिन पर चिकित्सा देखरेख का विस्तार किया गया है। (बीमाकृत व्यक्तियों सहित) (लाखों में)	1308.00	2228.27		(+)920.27
3.	निर्मित अस्पतालों तथा अनैक्सियों की संख्या	194	202		(+)8
4.	अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या	29,045	28,855		(-) 190(ख)
5.	किराए के परिसर पर औषधालयों की संख्या	1489	827		(-)662
6.	राजस्व आय (₹ लाख में)	22,44,728	23,48,036		(+)1,03,308
7.	राजस्व व्यय (₹ लाख में)	12,36,179	8,74,489		(-)3,61,690 (ग)
8.	पूंजीगत व्यय (स्टाफ क्वार्टरों सहित) (₹ लाख में)	2,41,510	76,015		(+)1,65,495 (घ)

(क) कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि और लाभार्थियों पर तदनुरूप प्रभाव योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में इकाइयों की व्याप्ति, स्प्री के अंतर्गत नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों के स्वैच्छिक पंजीकरण योजना तथा मजदूरी की उच्चतम सीमा में बढ़ोत्तरी के अनुसरण के कारण हो सकते हैं।

(ख) सरकारी अस्पतालों में आरक्षित अतिरिक्त बिस्तर को कम किया गया है।

(ग) खर्च में बचत मुख्यतः राज्य सरकारों द्वारा चिकित्सा हितलाभ मद के अंतर्गत चिकित्सा देखभाल की उच्चतम सीमा राशि का पूरा उपयोग नहीं किए जाने के कारण है।

(घ) नई परियोजनाओं, जैसे—चिकित्सा महाविद्यालयों, नए अस्पतालों का निर्माण, विद्यमान कार्यालय भवनों/अस्पतालों इत्यादि, जिन्होंने उपलब्ध चिकित्सा अवसंरचना में वृद्धि की है, की पुनर्सज्जा पर दर्शाए गए से कम व्यय होने के कारण।

(II) 2018–2019 वर्ष के परिशोधित प्राक्कलन और 2018–2019 के मूल बजट प्राक्कलन में अन्तरः–

क्र. सं.	सूचना का स्वरूप	बजट प्राक्कलन 2018–2019	परिशोधित प्राक्कलन 2018–2019	अन्तर (बजट प्राक्कलन और परिशोधित प्राक्कलन में) (4) – (3)	
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	
1.	क. व्याप्त कर्मचारियों की संख्या (लाखों में)	311.79	350.50	(+)	38.71 (ज)
	ख. बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या (लाखों में)	353.80	396.08	(+)	42.28 (ज)
2.	परिवार के सदस्यों की संख्या जिन पर चिकित्सा देखरेख का विस्तार किया गया है (बीमाकृत व्यक्तियों सहित)। (लाखों में)	1,373	1,537	(+)	164
3.	निर्मित अस्पतालों और अनैक्सियों की संख्या	201	203		(+)1
4.	अस्पताल बिस्तरों की संख्या	24,859	24,659	(-)	200
5.	किराए के परिसर पर औषधालयों की संख्या	1,489	827	(-)	662
6.	राजस्व आय (₹ लाख में)	25,07,676	26,09,903	(+)	1,02,227 (झ)
7.	राजस्व व्यय (₹ लाख में)	15,93,473.00	12,16,927	(-)	3,76,546(ञ)
8.	पूंजीगत व्यय (₹ लाख में)	2,98,972	1,47,261	(-)	1,51,711 (ट)

टिप्पणी :

(ज) व्याप्त कर्मचारियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि से लाभार्थियों पर भी परिणामी प्रभाव होगा।

(झ) आय में वृद्धि मुख्यतः कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाने, बेहतर प्रशासनिक तंत्र, अनुपालन की सरलीकृत कार्यविधि तथा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अंशदान का भुगतान शुरू करने के कारण है।

(ञ) राजस्व व्यय में कमी का मुख्य कारण राज्य सरकारों के व्यय के स्वरूप में कमी है।

(ट) पूंजीगत कार्यों के निर्माण तथा 3/2019 तक किए जाने वाले भुगतानों को देखते हुए।

6. 2018–2019 के चालू वित्तीय वर्ष तथा 2019–2020 के अगले वित्तीय वर्ष के लिए निगम की वित्तीय आवश्यकताएं नीचे दी गई हैं। (क) कार्यक्रम/कार्यकलापवार (ख) उद्देश्यवार वर्गीकरण और उनके वित्त स्रोत का विवरण नीचे के पैराओं में दिया गया है :–

(क) कार्यक्रम/कार्यकलाप–वार

वर्गीकरण	वास्तविक 2017-2018	परिशोधित प्राक्कलन 2018-2019	बजट प्राक्कलन 2019-2020
			(₹ लाख में)
कार्यकलाप व्यय :			
चिकित्सा हितलाभ	6,86,774	8,79,907 **(ठ)**	10,56,829 **(ठठ)**
नकद हितलाभ	64,284.78	1,76,520.00 (ड)	1,77,959 (ड)
अन्य हितलाभ	252.44	363.00	383.00
प्रशासनिक व्यय	10,31,00.60	13,8470 (ढ)	16,0154
गैर–कार्यकलाप व्यय :			
आबंटन :			
पूंजीगत निर्माण निधि	20,077 (ण)	21,667	18,334
आकस्मिकता आरक्षित निधि	- (णण)	- (णण)	- (णण)
कुल राजस्व व्यय	**8,74,489.00**	**12,16,926.89**	**14,13,650**
भूमि के अर्जन पर पूंजीगत व्यय तथा कार्यालयों, औषधालयों तथा अस्पतालों का निर्माण	**69,700**	**1,47,261**	**1,64,290**

(ठ)	**निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं :–**	**(₹ करोड़ में)**
1	राज्य सरकारों को पूर्व देयता के निमित्त	125
2	क.रा.बी. निगम अस्पतालों/औषधालयों के निमित्त	3,283
3	अति विशिष्टता उपचार के निमित्त	1,177
4	सूचना प्रौद्योगिकी के सूत्रपात पर व्यय	200
5	आशोधित नियोक्ता उपयोगिता औषधालय	4
6	एस.ए.पी.	0.09
7	चिकित्सा महाविद्यालय	533

(ठठ) निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं : (₹ करोड़ में)

1	राज्य सरकारों को पूर्व देयता के निमित्त	125.00
2	क.रा.बी. निगम अस्पतालों/औषधालयों के निमित्त	3,399
3	अति विशिष्टता उपचार के निमित्त	1,484
4	सूचना प्रौद्योगिकी के सूत्रपात पर व्यय	55
5	क.रा.बी. निगम सुधार 2.0	1
6	आशोधित नियोक्ता उपयोगिता औषधालय	10
7	एस.ए.पी.	0.56
8	चिकित्सा महाविद्यालय	669

(ड) राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के लिए ₹ 7.00 करोड़ शामिल हैं।

(ढ) भर्ती व्यय के लिए ₹ 32.00 करोड़ का प्रावधान शामिल है।

(ढढ) घटाव प्रावधान भर्ती व्यय घटने के परिणामस्वरूप है।

(ण) दिनांक 17.12.2004 को आयोजित निगम की बैठक में लिए गए निर्णय के दृष्टिगत अंशदान आय के 1 प्रतिशत की दर पर प्रावधान किया गया है।

(णण) आकस्मिकता आरक्षित निधि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि निधि में शेष ₹ 75.00 करोड़ की राशि निर्धारित अधिकतम सीमा तक पहले ही पहुँच चुकी है।

(ख) वस्तुवार वर्गीकरण

		वास्तविक 2017-2018	परिशोधित प्राक्कलन 2018-2019	बजट प्राक्कलन 2019-2020
		(₹ लाख में)		
	निम्नलिखित व्यवस्था पर व्यय :			
1.	लाभार्थियों को चिकित्सा देखरेख	6,86,774.00	8,79,907.19	10,56,829.24
2.	नकद हितलाभ	64,284.78	1,76,520.00	1,77,959
3.	अन्य हितलाभ	252.44	363.00	383.00
4.	वेतन तथा अन्य प्रशासनिक व्यय :			
i.	वेतन (यात्रा व्यय तथा बोनस सहित)	5,6603	6,7875	8,1959
ii.	लेखन सामग्री तथा फॉर्म	391.70	600.00	800.00
iii.	जल तथा विद्युत प्रभार	1,977.94	2,740.00	3090.00
iv.	किराया, पौरकर तथा कर	4,709.36	8,000.00	8,500.00
v.	बीमा न्यायालय तथा विधिक खर्च	478.79	580.00	630.00
vi.	भर्ती तथा परीक्षा	3,593.52	3,200.00	5,000.00
vii.	विज्ञापन तथा प्रचार	1,532.77	2,500.00	3,000.00
viii.	कम्प्यूटरों तथा अन्य की खरीद और मरम्मत एवं रखरखाव	7,776.37	7,300.00	5,630.00
ix.	बैंक खाता रखरखाव प्रभार	1,298.26	1,000.00	900.00
x.	लेखापरीक्षा शुल्क	24.13	100.00	550.00
xi.	प्रशिक्षण	67.25	300.00	350.00
xii.	टेलीफोन/डाक खर्च तथा श्रेणी 'घ' कर्मचारियों की वर्दी सहित अन्य कार्यालयी व्यय	516.14	700.00	800.00
xiii.	विविध/अन्य	76,44.48	10,452.00	11,424.00
xiv.	आई.एस.एस.ए. आदि को अंशदान	74.64	90.00	90.00
xv.	कार्यालय भवनों (स्टाफ क्वार्टरों सहित) की मरम्मत एवं रखरखाव	2,737.02	5,050.00	6,370.00
xvi.	मूल्यह्रास	1,523.18	2,000.00	2,000.00
xvii.	सेवानिवृत्ति हितलाभ	12,149.85	25,982.70	29,061.47
5.	पूंजीगत निर्माण निधि के लिए विनिधान	20,077.18	21,667.00	18,334.00
	कुल राजस्व व्यय :	**8,74,486.80**	**12,16,926.89**	**14,13,659.71**

पूंजीगत व्यय :		वास्तविक 2017-2018	परिशोधित प्राक्कलन 2018-2019	बजट प्राक्कलन 2019-2020
			(₹ लाख में)	
क)	कार्यालय भवन (स्टाफ क्वार्टरों सहित)	1,911.96	3,170.00	994.00
ख)	अस्पताल तथा औषधालय भवन (स्टाफ क्वार्टरों सहित)	35,658.16	87,587.00	1,28,745.00
ग)	चिकित्सा शिक्षा परियोजनाएं	32,129.48	56,504.00	34,551.00
घ)	उपस्कर(अन्य गैर परियोजना व्यय)	6,315.39	21,074.00	39,246.00
6. वित्तीय स्रोत : राजस्व प्राप्तियां				
कर्मचारियों तथा नियोक्ताओं का अंशदान		20,07,718.35	21,66,734.00	18,33,390.00
निवेश ऋणों तथा पेशगियों आदि पर ब्याज़		3,19,688.17	4,23,004.00	4,95,203.00
भवनों का किराया		5,751.75	11,265.00	11,265.00
अन्य राजस्व प्राप्तियां		14,878.04	8,900.00	9,100.00
कुल राजस्व :		**23,48,036.31**	**26,09,903.00**	**23,57,958.00**

10. अनुबंध–2 के विवरण में मुख्य व्यय शीर्षों के अंतर्गत प्रति व्यक्ति व्यय की घटना दर को दिखाया गया है।

10.1. निगम के व्यय को मोटे तौर पर निम्नलिखित शीर्षों में वर्गीकृत किया गया है :–

i. चिकित्सा हितलाभ

ii. नकद हितलाभ तथा अन्य हितलाभ

iii. निदेशन, अधीक्षण तथा क्षेत्र कार्य के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय

iv. पूंजीगत निर्माण कार्य

10.2. निगम के व्यय को विनियमित करने के लिए अंतर्निहित प्रतिमानक, उच्चतम सीमा तथा सांविधिक नियम हैं।

निम्नलिखित पैराओं में इनका विस्तृत विवरण दिया गया है :

I – चिकित्सा हितलाभ

11.1 चिकित्सा हितलाभ पर व्यय नीचे दिखाया गया है :

वास्तविक 2017-2018	परिशोधित प्राक्कलन 2018-2019	बजट प्राक्कलन 2019-2020
		(₹ लाख में)
6,86,774.00	8,79,907.19	10,56,829.24

इस कार्यकलाप पर होने वाला व्यय (दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के नोएडा क्षेत्र को छोड़कर) शुरू में राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन चिकित्सा देखरेख के प्रशासनिक नियंत्रक हैं। व्यय की व्यय प्रतिपूर्ति के लिए उच्चतम सीमा नियत की गई है। निगम राज्य सरकारों को, तिमाही आधार पर, अपनी उच्चतम सीमा के 7/8 अंश का 90% के हिसाब से अग्रिम रूप में तथा बकाया राशि संबंधित महालेखाकार द्वारा राज्य सरकारों को जारी लेखा परीक्षित व्यय विवरण के आधार पर अदा करता है। उच्चतम सीमा से अधिक होने वाला व्यय राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है तथा ऐसा अधिक व्यय निगम के बजट में नहीं दिखाया जाता। दिनांक 01.04.2015 से पूर्ण चिकित्सा देखरेख पर व्यय की उच्चतम

सीमा ₹2,150/– कर दी गई है। इसे दिनांक 01.04.2017 से फिर ₹3,000/– तक बढ़ा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, बसईदारापुर (दिल्ली), ठाकुरपुकुर (पश्चिम बंगाल), के.के.नगर (चेन्नै), इन्दौर (म.प्र.) तथा अंधेरी (मुंबई) जहां व्यावसायिक रोग केन्द्र स्थापित किए गए हैं, इनका सम्पूर्ण व्यय कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा वहन किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, क.रा.बी.निगम ने आदर्श अस्पतालों की एक योजना बनाई है जिसके तहत चिकित्सा देखरेख सुविधाओं का उन्नयन करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक अस्पताल को अपने नियंत्रण में लेकर उसका प्रशासन सीधे निगम द्वारा चलाया जायेगा। इन आदर्श अस्पतालों को चलाने का सारा खर्च भी निगम द्वारा वहन किया जायेगा। निगम ने अब तक निष्पादन बजट के अनुच्छेद 4 में उल्लेख के अनुसार क.रा.बी.अस्पतालों को अपने अधीन ले लिया/निर्माण किया है। अति विशिष्टता उपचार की व्यवस्था के लिए परिशोधित प्राक्कलन 2018–2019 में ₹1,176.73 करोड़ तथा बजट प्राक्कलन 2019–2020 के लिए ₹1,483.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

पुनः, परिशोधित प्राक्कलन 2018–2019 में ₹533.20 करोड़ तथा बजट प्राक्कलन 2019–2020 में ₹669.04 करोड़ की राशि चिकित्सा शिक्षा के संचालन व्यय के लिए रखी गई है। इसके अतिरिक्त, क.रा.बी. निगम के पूर्ण रूप से चल रहे कम्प्यूटरीकरण हेतु अस्पताल और औषधालयों में सूचना प्रौद्योगिकी के सूत्रपात के लिए बजट प्राक्कलन 2019–2020 में ₹58.57 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

II –क – नकद हितलाभ

12.1 नकद हितलाभों पर अनुमानित व्यय नीचे दिया गया है :

वास्तविक 2017-2018	परिशोधित प्राक्कलन 2018-2019	बजट प्राक्कलन 2019-2020
	(₹ लाख में)	
64,284.78	1,76,520.00	1,77,959.00

12.2 रोजगार चोट के अलावा विभिन्न श्रेणियों के नकद हितलाभों के लिए पात्रता, कर्मचारियों द्वारा किसी अंशदान अवधि में देय/दिए गए अंशदान दिनों की संख्या पर आधारित है। बीमारी हितलाभ की वर्तमान दैनिक दर औसत दैनिक मजदूरी का लगभग 70 प्रतिशत किया जा चुका है तथा निःशक्तता और आश्रितजन हितलाभ की दैनिक दर को 75 प्रतिशत से बढ़ाकर मजदूरी का लगभग 90 प्रतिशत कर दिया गया था। बीमाकृत महिलाओं को देय मातृत्व हितलाभ पूर्ण मजदूरी दर है तथा यह जनवरी 2017 से बढ़ाकर 26 सप्ताह की जा चुकी है।

12.3 पिछले दस वर्षों के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा योजना में निम्नलिखित सुधार किए गए हैं:

1. स्थायी निःशक्तता हितलाभ तथा आश्रितजन हितलाभ की राशि भी समय–समय पर परिशोधित की जाती है, ताकि निर्वाह व्यय में वृद्धि हेतु बीमाकृत व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति की जा सके। मुद्रास्फीति के परिणामस्वरूप वास्तविक मूल्य में कमी की भरपाई हेतु 01.08.2013 से स्थायी निःशक्तता हितलाभ तथा आश्रितजन हितलाभ की मूल दरों में 1% से 702% तक वृद्धि की गई है।
2. स्थायी निःशक्तता हितलाभ प्राप्त करने वाले बीमाकृत व्यक्ति ऐसे भुगतान की दैनिक दर ₹1.50/– प्रतिदिन तक होने अथवा स्थायी निःशक्तता का अंतिम निर्णय लागू होने के समय संराशीकृत मूल्य ₹10,000/– से अनधिक होने की स्थिति में स्थायी निःशक्तता हितलाभ के लिए आवधिक भुगतान की एकमुश्त राशि को संराशीकृत कराने के हकदार थे। दिनांक 19.04.2003 से इस सीमा को बढ़ाकर ₹5.00/– प्रतिदिन अथवा कुल संराशीकृत मूल्य ₹30,000 से अनधिक कर दिया गया है। आगे 01.

06.2013 से ₹10.00/– प्रतिदिन अथवा संराशीकृत मूल्य ₹60,000/– से अनधिक तक बढ़ा दिया गया है।

3. बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु पर अंत्येष्टि खर्च का भुगतान किया जाता है। इस प्रयोजनार्थ राशि को 01.12.2007 से ₹2,500/– से बढ़ाकर ₹3,000/– कर दिया गया था। इसे 01.09.2009 से और बढ़ाकर ₹5,000/– कर दिया गया। पुनः दिनांक 01.04.2011 से इसे ₹5,000/– से बढ़ाकर ₹10,000/– कर दिया गया है।

4. बेरोजगार हो गए कर्मचारियों को नकद भत्ता देने के लिए राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना वर्ष 2019–2020 के बजट प्राक्कलन में ₹700.00 लाख का प्रावधान किया गया है। बेरोजगारी भत्ते का लाभ उठाने की शर्त में 5 वर्ष से ढील देकर 3 वर्ष किया गया है। हितलाभ की अवधि 12 महीने से बढ़ाकर 24 महीने कर दी गई है। प्रथम 12 माह के लिए हितलाभ की दर पिछली औसत दैनिक मजदूरी का 50% तथा पिछले औसत दैनिक मजदूरी का 25% शेष अवधि के लिए है!

5. विस्तारित बीमारी हितलाभ की मौजूदा कुल अवधि 400 दिन (91 + 309) को बढ़ाकर दो वर्ष करना तथा उपयुक्त मामलों में 400 दिन से अधिक विस्तारित बीमारी हितलाभ अवधि स्वीकृत करने की शक्तियां महानिदेशक को देना।

6. प्रसव के दौरान अपने पीछे जीवित शिशु छोड़कर किसी बीमाकृत महिला की मुत्यु के मामले में मातृत्व हितलाभ की मौजूदा छह सप्ताह की हकदारी अवधि को बढ़ाकर मातृत्व हितलाभ की हकदारी की पूर्ण अवधि करना।

7. जब प्रसव किसी ऐसे स्थान पर हुआ हो जहां क.रा.बी. योजना के अधीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न हो तो बीमाकृत महिला तथा बीमाकृत व्यक्तियों की पत्नियों को प्रसव खर्च पर चिकित्सा बोनस की मौजूदा दर को ₹50/– से बढ़ाकर ₹250/– करना। दिनांक 18.01.2004 से इन प्रभारों को बढ़ाकर ₹1,000/– कर दिया गया है और 01.12.2008 से इसे और बढ़ाकर ₹2,500/– कर दिया गया और निगम ने दिनांक 10 नवम्बर, 2012 को आयोजित 158वीं बैठक में दिनांक 01.10.2013 से इसे बढ़ाकर ₹5,000/– कर दिया है।

8. दिव्यांग बीमाकृत व्यक्ति द्वारा कृत्रिम अंग लगवाने/मरम्मत अथवा बदलवाने के लिए कृत्रिम अंग केन्द्र में ठहरने के लिए पुनर्वास भत्ते की दर को बढ़ाकर दैनिक मानक हितलाभ दर का दोगुना करना।

9. चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने वाले बीमाकृत व्यक्ति की मजदूरी की हानि की क्षतिपूर्ति दर को बढ़ाकर मानक हितलाभ दर का दोगुना करना।

10. कर्मचारी के भाग के अंशदान की अदायगी के लिए औसत दैनिक मजदूरी छूट सीमा को ₹15/– प्रतिदिन से बढ़ाकर ₹25/– प्रतिदिन करना। इस सीमा को 2000–2001 के दौरान बढ़ाकर ₹40/– प्रतिदिन तथा 01.04.2004 से ₹50/– प्रतिदिन कर दिया गया है। निगम ने 23.12.2006 को आयोजित बैठक में छूट सीमा को ₹50/– से और बढ़ाकर ₹70/– करने का अनुमोदन किया है और अब इसे ₹100/– प्रतिदिन तक बढ़ा दिया है। पुनः दिनांक 14.06.2016 से राशि बढ़ाकर ₹137/– प्रतिदिन है।

11. बीमारी हितलाभ की हकदारी के लिए पात्रता शर्तों का उदारीकरण और मातृत्व हितलाभ की हकदारी के लिए पात्रता शर्तों का उदारीकरण।

12. लाभार्थियों की कठिनाइयों को कम करने हेतु जीवन प्रमाण–पत्र 6 माह की अवधि की बजाए वर्ष में एक बार दिया जाता है तथा क.रा.बी. निगम संस्थाओं में यह प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने हेतु प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति को ₹100/– का भुगतान किए जाने का निर्णय किया गया है।

जहां योजना कार्यान्वित है, नकद हितलाभों का भुगतान सीधे निगम द्वारा लगभग उन सभी औद्योगिक केन्द्रों में स्थित अपने शाखा कार्यालयों/भुगतान कार्यालयों के मार्फत बीमाकृत व्यक्तियों/लाभार्थियों को किया जाता है। 31 मार्च, 2018 को ऐसे कार्यालयों की संख्या 815 थी जबकि 31 मार्च, 2017 को ऐसे कार्यालयों की संख्या 815 थी। नकद हितलाभों पर व्यय–भार अनेक तथ्यों अर्थात् स्वास्थ्य की स्थिति, औद्योगिक शांति और कामगारों की हितलाभ की अपनी हकदारी के बारे में जानकारी आदि पर निर्भर करता है।

12.4 नकद हितलाभों के विभिन्न वर्गों के अंतर्गत व्यय का ब्योरा नीचे तालिका में दिया गया है:-

	वास्तविक 2017-2018		**परिशोधित 2018-2019**		**बजट 2019-2020**	
	कर्मचारियों की संख्या का भारित औसत (लाख में)	राशि (₹लाख में)	कर्मचारियों की संख्या का भारित औसत (लाख में)	राशि (₹लाख में)	कर्मचारियों की संख्या का भारित औसत (लाख में)	राशि (₹लाख में)
बीमारी हितलाभ	241.21	30,748.04	320.72	41,640.00	340.38	55,700.00
विस्तारित बीमारी हितलाभ	241.21	4,107.81	320.72	5,410.00	340.38	4,870.00
मातृत्व हितलाभ	241.21	18,202.93	320.72	40,000.00	340.38	45,000.00
अस्थायी निःशक्तता हितलाभ	241.21	1218.20	320.72	15,770.00	340.38	14,000.00
स्थायी निःशक्तता हितलाभ	241.21	0.00	320.72	40,730.00	340.38	32,689.00
आश्रितजन हितलाभ	241.21	0.00	320.72	29,230.00	340.38	22,100.00
अंत्येष्टि खर्च	241.21	1,581.36	320.72	2040.00	340.38	2,500.00
राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना	241.21	426.44	320.72	700.00	340.38	600.00
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना	241.21	0.00	`320.72	10,00.00	340.38	500.00
योग :	241.21	**64,284.78**	**320.72**	**1,76,520.00**	**340.38**	**1,77,959.00**

12.6 दिनांक 01/07/2018 से अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना कार्यान्वित है, जो 90 दिनों तक की मजदूरी के 25 प्रतिशत की दर से, अधिवर्षिता, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तथा कदाचार के लिए दंड के अलावा किसी कारणवश हुई बेरोजगारी के मामले में जीवनभर में एक बीमाकृत व्यक्तियों के बैंक खाते में सीधे राहत देय है।

II (ख) अन्य हितलाभ :

13.1 अन्य हितलाभों पर व्यय निम्न प्रकार है :-

वास्तविक 2017-2018	परिशोधित प्राक्कलन 2018-2019	बजट प्राक्कलन 2019-2020
		(₹ लाख में)
252.44	363.00	383.00

13.2 इस कार्यकलाप में चिकित्सा बोर्ड तथा अपीलीय चिकित्सा न्यायाधिकरण के सदस्यों को शुल्क की अदायगी, बीमाकृत व्यक्तियों को चिकित्सा निर्देशी, चिकित्सा बोर्ड या अपीलीय चिकित्सा न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने के संबंध में मजदूरी की हानि की क्षतिपूर्ति, सवारी खर्चे व बीमाकृत व्यक्ति को पुनर्वास भत्ते का भुगतान शामिल है। उक्त राशि में वर्ष में एक बार जीवन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के लिए ₹100/– प्रति लाभार्थी वाहन भत्ता भुगतान भी शामिल है।

III. निदेशन, अधीक्षण तथा क्षेत्र कार्य :

14. इस शीर्ष के अंतर्गत निगम के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि तथा स्थापना पर अन्य व्यय के लिए बजट प्रावधान है। बजट प्राक्कलन वर्ष 2019–2020 के लिए यह प्रावधान सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार निगम के कर्मचारियों को वेतन के वर्धित दर पर भुगतान करने के लिए किया गया है। यह 30.03.2018 की स्थिति के अनुसार कुल संस्वीकृत संख्या 19,421 की तुलना में 3,346 अधिकारियों तथा कर्मचारियों के आधार पर है। नए क्षेत्रों में योजना के विस्तार के फलस्वरूप अपेक्षित अतिरिक्त पदों की व्यवस्था मौजूदा कर्मचारियों की पुनः तैनाती करके की जाएगी।

ये आंकड़े इस प्रयोजन के लिए निगम द्वारा 08.02.2013 को आयोजित बैठक में निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार संबंधित निधियों में अंतरित/अंतरणयोग्य राशियों के सूचक हैं। मरम्मत और रखरखाव पर जो कि राजस्व खाते में से किया जाता है को छोड़कर, व्यय संबंधित आरक्षित निधियों में उपलब्ध राशियों में से किया जाता है।

15. पूंजीगत निर्माण कार्य :

15.1 पूंजीगत निर्माण कार्य के लिए निम्नानुसार धन व्यवस्था की गई है/थी :

	वास्तविक 2017-2018	परिशोधित प्राक्कलन 2018-2019	परिशोधित प्राक्कलन 2019-2020
		(₹ लाख में)	
कार्यालय भवन (स्टाफ क्वार्टरों सहित)	1,911.96	3,170.00	994.00
अस्पताल तथा औषधालय (स्टाफ क्वार्टरों सहित)	35,658.16	87,587.00	1,28,745.00
चिकित्सा शिक्षा परियोजनाएं	32,129.48	56,504.00	34,551.00
योग :	69,699.60	1,47,261.00	1,64,290.00

16.2 परिशिष्ट–III में विवरण निर्माणाधीन परियोजनाओं के संबंध में बजट आवश्यकता के सूचक हैं।

16.3 संस्वीकृत की गई निधियों, निर्माण एजेंसियों को दी गई निधियों और आवश्यक होने वाली अनुमानित राशि के संबंध में सूचना सहित अस्पताल बिस्तरों, औषधालयों और कार्यालय भवनों के लिए पूंजीगत निर्माण कार्यक्रम की स्थिति नीचे दी गई है :

(क) अस्पताल बिस्तर :

i	दिनांक 31.03.2018 को प्रतिमानकों के अनुसार स्वीकार्य बिस्तरों की संख्या (बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या के आधार पर)	1,37,325
ii	पहले से निर्मित अस्पतालों और एनैक्सियों में बिस्तरों की संख्या (सितम्बर, 2018)	24,858
iii	निर्माणाधीन अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या (सितम्बर, 2018)	3,286
iv	निर्माण के लिए पहले से सहमत अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या	3,925

(ख) भवन :

i	निर्माण के लिए फिलहाल पात्र औषधालयों की संख्या	1,457
ii	पैनल क्षेत्रों में अपेक्षित औषधालय भवनों की संख्या	375
	योग (i) + (ii)	**1,832**
iii	निर्मित औषधालयों की संख्या (सितम्बर, 2018 तक)	405
	अभी निर्माण किए जाने वाले औषधालयों की संख्या	**1,427**

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) के मामले में वित्तीय परिव्यय :

			(₹ लाख में)
i	**निर्मित/निर्माणाधीन परियोजनाएं :**		
	सितम्बर, 2018 तक संस्वीकृत की गई राशि		13,62,485
	सितम्बर, 2018 तक दी गई राशि		10,40,648.00
	शेष देयता		3,21,837
ii	**निर्मित की जाने वाली परियोजनाएं :**		
क)	₹7.00 लाख प्रतिबिस्तर की लागत पर 1,05,256 अस्पताल बिस्तर		7,36,792.00
ख)	₹40.00 लाख प्रतिऔषधालय की लागत पर 1,427 औषधालय		57,080.00
ग)	कार्यालय भवन का परिव्यय (स्टाफ क्वार्टर सहित)		
	i)	सितम्बर, 2018 तक संस्वीकृत राशि	37,523.00
	ii)	सितम्बर, 2018 तक दी गई राशि	35,433.00
	iii)	शेष देयता	2 090.00
	iv)	कुल देयता	11,17,799.00

निर्माणाधीन परियोजनाओं के मामले में हुई प्रगति तथा निर्मित अस्पतालों को चालू करने के संबंध में आवधिक समीक्षा की जाती है। इस प्रयोजनार्थ, एक निर्माण उप समिति का गठन किया गया है।

तुलन पत्र

17.1 दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का सारांश नीचे दिया गया है :

शीर्ष	₹ करोड़ में
देयताएं	
क.रा.बी. सामान्य आरक्षित (व्यय से आय का आधिक्य)	70,534
आरक्षित निधियाँ	21,711
वर्तमान देयताएँ	
प्रतिभूति जमा	2,754
भविष्य निधि आदि में ऐसी जमा राशियां जिनके दावेदार नहीं है।	
कुल :	**94,999**

शीर्ष	₹ करोड़ में
परिसंपत्तियां	
स्थायी परिसंपत्तियां	12,772
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम	7,879
उद्दिष्ट/अक्षय निधि से निवेश	21,624
क.रा.बी. सामान्य आरक्षित का रोकड़ शेष तथा निवेश	52,724
कुल :	**94,999**

संलग्नक– I

दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन (1) व्याप्त कर्मचारियों (2) बीमाकृत व्यक्तियों/परिवार एककों बीमाकृत महिलाओं और लाभार्थियों की संख्या की राज्यवार स्थिति का सूचक विवरण तथा दिनांक 31. 03.2019 तक व्याप्त किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	1. व्याप्त कर्मचारियों 2. बीमाकृत व्यक्तियों/ परिवार एककों की संख्या	बीमाकृत महिलाओं की संख्या	लाभार्थियों की कुल संख्या	अभी व्याप्त किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या [केवल धारा 2(12)]
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	आंध्र प्रदेश				
	(i) विजयवाड़ा	5,37,720 5,82,040	1,23,399	22,58,315	32,962
	(ii) तिरुपति	2,22,600 2,40,860	59,675	9,34,537	13.645
	(iii) विशाखापट्टणम	3,20,490 3,49,390	50,225	13,55,633	19,646
2.	तेलंगाना	15,69,580 17,36,640	3,05,728	67,38,163	96215
3.	असम तथा मेघालय तथा नागालैण्ड तथा त्रिपुरा तथा सिक्किम	2,43,040 2,58,740	37,935	10,03,911	14898
4.	सिक्किम	19,470 20,950		81,286	1194
5.	बिहार	2,17,060 2,37,660	16,404	9,22,121	13,306
6.	चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र	2,16,700 2,30,300	16,179	8,93,564	13,284
7.	छत्तीसगढ़	5,11,940 5,58,420	41,317	21,66,670	31,382
8.	दिल्ली				
	(i) **राजेन्द्र प्लेस**	4,14,110 4,56,170		17,69,940	25,385
	(ii) रोहिणी	2,24,810 2,47,960	21,375	9,62,085	13,781
	(iii) ओखला	8,77,680 9,62,940	57,251	37,36,207	53,802
	(iv) नंदनगरी	1,88,020 2,09,600	55,558	8,13,248	11,526

क्र.सं.	राज्य	1. व्याप्त कर्मचारियों 2. बीमाकृत व्यक्तियों/ परिवार एककों की संख्या	बीमाकृत महिलाओं की संख्या	लाभार्थियों की कुल संख्या	अभी व्याप्त किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या [केवल धारा 2(12)]
1.	2.	3.	4.	5.	6.
9.	गोवा	2,16,020 2,42,770	29,580	9,41,948	13,242
10.	गुजरात				
	i अहमदाबाद	7,27,490 8,04,230	59,065	31,20,412	44,595
	ii वडोदरा	2,59,450 2,92,210	20,154	11,33,775	15,904
	iii. सूरत	4,29,160 4,82,230	26,175	18,71,052	26,308
11.	हरियाणा				
	(i) फरीदाबाद	7,22,570 8,24,980	68,709	32,00,922	44,294
	(ii) गुरुग्राम	16,71,470 18,64,320	78,633	72,33,562	10,2461
	(iii) टंबाला	2,34,860 2,55,030	21,203	9,89,516	14,397
12.	हिमाचल प्रदेश	2,78,600 3,14,720	33,256	12,21,114	17,078
13.	जम्मू व कश्मीर	2,63,990 2,75,780	12,212	10,70,026	16,183
14.	झारखण्ड	3,48,300 3,78,250	34,139	14,67,610	21,351
15.	कर्नाटक i. **बेंगलुरु**	10,35,230 11,58,610	2,40,840	44,95,407	63,460
	ii. हुबली	2,83,610 3,05,830	64,099	11,86,620	17,385
	iii. पीण्या	5,13,900 5,78,270	1,50,435	22,43,688	31,502

क्र.सं.	राज्य	1. व्याप्त कर्मचारियों 2. बीमाकृत व्यक्तियों/ परिवार एककों की संख्या	बीमाकृत महिलाओं की संख्या	लाभार्थियों की कुल संख्या	अभी व्याप्त किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या [केवल धारा 2(12)]
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	iv. बोम्मसंद्रा	7,58,340 8,68,720	1,78,369	33,70,634	46,486
	v. गुलबर्गा	1,48,160 1,60,480	21,115	6,22,662	9,082
	vi. मैसूर	2,00,830 2,25,960	63,629	8,76,725	12,311
	vii. मेंगलूर	1,85,320 1,98,220	70,514	7,69,094	11,360
16.	केरल तथा (लक्षद्वीप)				
	(i) तृश्शूर	1,56,450 1,76,360	63,014	6,84,277	9,590
	(ii) एरणाकुलम	4,05,300 4,43,220	1,32,840	17,19,694	2,4845
	(iii) कोल्लम	1,40,630 1,59,650	63,375	6,19,442	8,621
	(iv) कोषिकोड	1,69,430 1,80,440	65,683	7,00,107	10,386
	(v) तिरुवनंतपुरम	1,17,540 1,31,620	54,967	5,10,686	7,205
17.	मध्य प्रदेश	865940 949710	65,152	3,684,874	5,3082
18.	महाराष्ट्र				
	i लोअर परेल	6,21,210 6,81,960	63,494	26,46,005	38,080
	ii मरोल	9,08,420 9,88,020	1,06,745	38,33,518	55,686
	iii ठाणे	7,29,640 8,02,510	68,912	31,13,739	44,427
	iv नागपुर	3,22,240 3,43,470	21,688	13,32,664	19,753

क्र.सं.	राज्य	1. व्याप्त कर्मचारियों 2. बीमाकृत व्यक्तियों/ परिवार एककों की संख्या	बीमाकृत महिलाओं की संख्या	लाभार्थियों की कुल संख्या	अभी व्याप्त किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या [केवल धारा 2(12)]
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	v औरंगाबाद	2,18,260 2,48,160	20,296	9,62,861	13,379
	vi पुणे	12,19,070 13,61,600	1,42,084	52,83,008	74,729
	vii नाशिक	1,50,960 1,68,450	13,432	6,53,586	9,254
19.	ओड़िशा	6,24,060 6,76,970	51,156	26,26,644	38,255
20.	पुदुच्चेरी + अंडमान एवं निकोबार	1,14,530 1,26,590	32,102	4,91,169	7,021
21.	पंजाब				
	i चंडीगढ़ (पंजाब)	4,64,480 5,03,050	45,256	19,51,834	28,473
	ii जालंधर	2,29,260 2,48,150	40,799	9,62,822	14,054
	iii लुधियाना	3,76,880 4,15,250	42,503	16,11,170	23,103
22.	राजस्थान				
	i जयपुर	9,11,470 10,11,950	75,853	39,26,366	55,873
	ii उदयपुर	1,95,350 2,19,100	21,703	8,50,108	1,1975
	iii जोधपुर	1,51,590 1,67,490	17,443	6,49,861	9,292
23.	तमिलनाडु				
	i चेन्नै	21,51,200 23,65,540	4,49,435	91,78,295	1,31,869
	ii तिरुनेलवेली	2,09,980 2,26,420	64,464	8,78,510	12,872
	iii सेलम	3,99,760 4,40,330	82,256	17,08,480	24,505

क्र.सं.	राज्य	1. व्याप्त कर्मचारियों 2. बीमाकृत व्यक्तियों/ परिवार एककों की संख्या	बीमाकृत महिलाओं की संख्या	लाभार्थियों की कुल संख्या	अभी व्याप्त किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या [केवल धारा 2(12)]
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	iv कोयम्बतूर	7,04,120 8,04,570	2,20,894	31,21,732	43,163
	v मदुरै	4,03,700 4,36,060	1,51,748	16,91,913	24,747
24.	उत्तर प्रदेश				
	i. कानपुर	3,89,750 4,20,210	29,822	16,30,415	96,215
	ii. वाराणसी	83,160 89,950	7,028	3,49,006	23,892
	iii. नोएडा	10,41,960 11,89,500	97,896	46,15,260	68,872
	iv. लखनऊ	3,54,360 3,90,190	29,202	15,13,937	21,722
25.	उत्तराखण्ड	5,96,690 6,88,660	62,279	26,72,001	36,577
26.	पश्चिम बंगाल				
	i. कोलकाता	13,56,930 14,30,210	1,13,012	55,49,215	83,180
	ii. बैरकपुर	2,92,000 3,10,070	22,933	12,03,072	17,900
	iii. दुर्गापुर	2,01,840 2,13,590	10,327	8,28,729	12,373
	अखिल भारत	**3,11,18,680 3,43,31,300**	**45,42,029**	**13,32,05,444**	**19,07,575**

कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रति व्यक्ति अंशदान आय व विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत प्रति व्यक्ति व्यय

		वास्तविक 2015-2016	वास्तविक 2016-2017	वास्तविक 2017-2018	परिशोधित प्राक्कलन 2018-2019	बजट प्राक्कलन 2019-2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	अंशदान आय	6,054.41	6,127.83	8,323.52	6,755.84	5,386.30
II.	**व्यय**					
1.	**हितलाभ :**					
क)	**नकद हितलाभ :**					
	बीमारी हितलाभ	136.98	123.54	127.47	129.83	163.64
	विस्तारित बीमारी हितलाभ	19.31	17.20	17.03	16.86	14.31
	मातृत्व हितलाभ	47.22	40.69	75.46	93.53	132.21
	अस्थायी निःशक्तता हितलाभ	48.56	44.28	38.21	49.17	41.13
	स्थायी निःशक्तता हितलाभ	0.00	211.11	0	127.00	96.04
	आश्रितजन हितलाभ	109.60	235.68	0	91.13	64.93
	अंत्येष्टि खर्च	8.11	6.60	6.55	6.36	7.34
	राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना	2.26	1.67	1.76	1.87	1.76
	अटल बीमित योजना	0	0	0	3.11	1.47
	अन्य हितलाभ	1.33	1.09	1.04	1.13	1.13
	कुल नकद हितलाभ	**373.37**	**681.86**	**267.52**	**519.99**	**523.95**
ख)	चिकित्सा हितलाभ पर व्यय (निगम का अंश)	3,230.78	2,806.18	2,847.20	2,743.53	3104.85
2.	प्रशासनिक व्यय	734.96	776.84	427.43	431.74	470.51
	कुल प्रतिव्यक्ति व्यय (II)	**4,399.68**	**4,326.21**	**3,542.15**	**3,695.26**	**4099.31**
	अंशदान आय में अंतर	**1,654.73**	**1,801.62**	**4,781.37**	**3,060.58**	**1286.99**